रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/94

REGISTERED NO. DL-33001/94

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2, 1994 (चैत्र 12, 1916)

No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2, 1994 (CHAITR 12, 1916)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400005, दिनांक 31 दिसम्बर 1993

सं० 3 डब्ल्यूसीए (4) 3/93-94—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा 1(सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से सदस्यता शुल्क न भरने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिये गये हैं।

क्र० संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	000569	श्री नौरोजी रुस्तम रतनशाह, जी-22, कसरो बाग, कोलाबा कौसवे, बम्बई-400 005	1-10-93
2.	000622	श्री जोशी करसनदास रतनजी, अपोजिट स्टेशन, जवाहर रोड, घाटकोपर, बम्बई-4000 077	1-10-93
3.	000647	श्री शाह भूपेन्द्रराय टी०, नूतन नगर, एच-23, बान्द्रा, बम्बई-400 005	1-10-93

1	2	3	4
4.	000658	श्री चक्रवर्ती क्षितिस चन्द्र, 60ए/1, वृन्दावन सोसाइटी, मजवाडी, थाना-400 601	1-10-93
5.	000660	श्री देसाई नानूभाई जोगीभाई, 516, श्री विठ्ठलदास चैम्बर, 16, बम्बई समाचार मार्ग, बम्बई-400 023	1-10-93
6.	001206	श्री मेहता हर्षद शांतिलाल, प्रकाश, 5, सुभाष रोड, विले पारले पूर्व, बम्बई-400 057	1-10-93
7.	001888	श्री गोडबोले रामचन्द्र गाजन पद्मजा, 67/3, इंदरवान चिपलूनकर रोड, पूना-411 004	1-10-93
8.	002281	श्री श्रॉफ बेहराम मानेकजी बी/5, जर बाग, भायखला, बम्बई-400 027	1-10-93
9.	002412	श्री जोहरी मनोहर गोपाल, पंचदीप अपार्टमेंट, आई० आई० टी०, काम्पलेक्स के निकट, ऊंधा-पूर्व, पूना-411 007	1-10-93
10.	002467	श्री पारेलकर दुर्गादास बालाराम, इलैक्ट्रिकल प्रोडक्टस इण्डिया, अडवानी चेंबर, तीसरी मंजिल, सर पी० एम० रोड, फोर्ट, बम्बई-400 001	1-10-93
11.	002578	श्री शाह पुष्पकांत साकेरलाल, पोस्ट बाक्स नं० 41175, नैरोबी, केन्या-0	1-10-93
12.	002738	श्री श्रीराम कुरपद गुनडप्पा, 41, डेन्डालशन चिम्बर रोड, वान्द्रा, बम्बई-400 005	1-10-93
13.	003084	श्री पाटकर वत्तात्रय अनंत, सी-ग्राउन्ड फ्लोर, प्रथमेश को० आ० हाऊसिंग सोसाइटी, बम्बई डाईंग, कां० अन्ड आफ वीर सावरकर रोड, प्रभादेवी, बम्बई-400 025	1-10-93
14.	003347	श्री पटेल रंजीत वाडीयलाल, 2, लक्ष्मी निवास सोसायटी, पालदी 7, अहमदाबाद-0	1-10-93
15.	003364	श्री अडवानी चंदर कृष्ण चंद, 182, नीलाम्बर, डा० गोपाल राव देशमुख मार्ग, बम्बई-400 026	1-10-93
16.	003881	श्री शाह पूनमचन्द जेचन्दास, ब्लाक नं० 6, हर्षा वसंत कुंज, बापूभाई वाडा रोड, विले पारले-प०, बम्बई-400 056	1-10-93
17.	003611	श्री दौलतजदा जवाहर नवीन, फ्लैट नं० 19, चौथी मंजिल, कापरा ज्ञानव मंदिर रोड, बम्बई-400 006	1-10-93
18.	003896	श्री पटेल जयंतीलाल हरजीवन, जयंतीलाल पटेल एण्ड कं०, 5 हरी भवन तेजपाल रोड, बम्बई-400 007	1-10-93

1	2	3	4
19.	003986	श्री लाड लालभाई बुधाभाई, 3330, वाइनवाईल स्टेशन, न्यू आरलियन्स, ला 70119, यू०एस०ए०-0	1-10-93
20.	003991	श्री मावरिया रजनीकांत चंदूल, मनोरमा, छठा मंजिल, 203, वालकेश्वर रोड, बम्बई-400 018	1-10-93
21.	004158	श्री वेंकटेशन पी० एन०, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, बैंक मैनेजमेंन्ट कंसल्टेंट्स, 32, समुद्र महल, बम्बई-400 018	1-10-93
22.	004164	श्री पाकेटवाला कलीम इब्राहीम, पो० बा० सी-272, क्लेयरेन्स स्ट्रीट, सीडनी-2000	1-10-93
23.	004243	श्री बॉयस बोमी जमशेद, कुसरबाग, ब्लाक एस-3, पहला मंजिल, कोलाबा काजवे, बम्बई-400 001	1-10-93
24.	004245	श्री सुरती धनंजय धीरजलाल, न्यू सूरी बिल्डिंग, फ्लैट नं० 9, सोनारिया रोड, विले पारले-पूर्व, बम्बई-400 057	1-10-93
25.	004596	श्री वर्गिस के० वी०, असिस्टेंट फायनेन्स मैनेजर, फर्टीलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया, ट्राम्बे, डीव चेंबूर डीव, बम्बई-400 074	1-10-93
26.	005068	श्री शंकरन जी० एस०, 3/117, अप्सरा, इक्कीसवां रोड, चेंबूर, बम्बई-400 071	1-10-93
27.	005605	श्री तलवार बीरबल, 14/15, अमर ज्योति, चार बंगला रोड, अंधेरी-पश्चिम, बम्बई-400 058	1-10-93
28.	005677	श्री डावर मानेकजी रूस्तमजी, दलाल इस्टेट, पी-ब्लाक नं० 5, लैमिंग्टन रोड, बम्बई-400 008	1-10-93
29.	006890	श्री शाह जसवंतराय अमूलखवा, ए/402, गोलडेन ओक, हाई स्ट्रीट, हीरानंदनी गार्डन्स, पवई, बम्बई-400 076	1-10-93
30.	007002	श्री सुब्रमनियम वी०, 603, बिल्डिंग नं० एफ-2, पुनमकुंज, पुनमनगर कम्पलैक्स, आफ महाकाली, केवस रोड, अंधेरी-पूर्व, बम्बई-400 093	1-10-93
31.	007094	श्री ठाकरेरे, अजय इंद्रजीत, 1416, डालमल टावर, नरीमन पाइंट, बम्बई-400 021	1-10-93
32.	007174	श्री कोठारी डा० सुनील मनीलाल, श्री नवनीत पारेख, इवोराइन, 154 करवे रोड, बम्बई-400 020	1-10-93

1	2	3	4
33.	007337	श्री राय पारिताष, 403, होमस्टीड, लोखंडवाला–काम्पलैक्स, आफ चार बंगला, वर्सोवा रोड, अंधेरी (पश्चिम), बम्बई–400 058	1–10–93
34.	007508	श्री फादिया हर्षद अनियंत लाल, एच.ए.फादिया एंड कं., एफ 47, लीवन नगर, चौथी मंजिल, न्यू अंबीवली, को आप० ह्रा० सो० वीरा देसाई रोड, वर्सोवा, बम्बई–400 058	1–10–93
35.	007873	श्री कोठारी सुभाष चंद्रा, 1, सिद्धार्थ काम्पलैक्स, आनन्द नगर बस स्टोप के सामने, पालदी भट्ट रोड, अहमदाबाद–380 006	1–10–93
36.	008664	श्री बनातवाला साम फुर्सीतजी, 2ए, इंदु पार्क, चार बंगला, अंधेरी पश्चिम, बम्बई-400 058	1–10–93
37.	008757	श्री डोंगरे भालचन्द्र विनायक, 10–11 एवं ट्रेवलर्स लॉज, सायजी कुंज, बरोडा–390 005	1–10–93
38.	008787	श्री अशार विजयसिंह पुरुषोत्तम, 7, नीलकंठ, पैलेस, 157, गरोडिया नगर, घाटकोपर–प०, बम्बई–400 077	1–10–93
39.	008945	श्री खासजीवाले रघुनाथ अनंत, रमेश्वर प्रसाद, 10, शुक्रवार पथ, पो० बा० नं० 736, पूना–411 002	1–10–93
40.	009052	श्री शाह नवीन हंसराज, शाह शाह एंड कं., 203, निरंजन, 99 मरीन ड्राईव, बम्बई–400 002	1–10–93
41.	009389	श्री वेनुगोपाल पी०, 9/64, चंदर निवास सिंधी सो० चेंबूर, बम्बई–400 071	1–10–93
42.	009690	श्री शर्मा लीलाधर, इंडोफिल टैक्सटाईल मिल्स, आइएनके, 403, इक्यूटेबल बैंक बिल्डिंग सेम गिल, पुयात इक्सटेंशन कोर पैसेड डी, फिलीपीन्स–0	1–10–93
43.	010029	श्री मेहता जगतमोहन मोगीलाल, ई/8, कामर्स सेंटर तारदेव रोड, बम्बई–400 034	1–10–93
44.	010108	श्री बोरा त्रिजेन्द्र, कैम्फर एंड एलाइड प्रॉडक्ट्स लि०, 133, एम० जी० रोड, बम्बई–400 001	1–10–93
45.	010422	श्री महेश्वरी द्वारकाप्रसाद जी०ओ०, 70–26, ग्रोटन स्ट्रीट, फारेस्ट हिलस, न्यूयार्क–11375–5102, यू एस ए–0	1–10–93
46.	010622	श्री श्रीनिवासन एन० एस०, ए/605, नुगत,, म्यू प्रभादेवी रोड, बम्बई–400 025	1–10–93

1	2	3	4
47.	010679	श्री श्राप असितकुमार कृष्णलाल, 10, डाउनविंग कोर्ट, मिडलटाउन, एन०जे० 07748, यू एस ए–0	1–10–93
48.	010785	श्री जुस्साबाला अस्पी जाल, 14, एडम एवेन्यू, मालाबार हाइट्स, न्यू साउथ वेल्स, आस्ट्रेलिया–2036	1–10–93
49.	010837	श्री उपाध्याय दीपेन्द्र नानुभाई, 5, राजहंस अपार्टमेन्ट्स, गुरुकुल ड्राईव इन के सामने, मेमनगर, अहमदाबाद–380 052,	1–10–93
50.	010936	श्री दमानी विजयकुमारी ब्रिजगोपाल, फ्लैट नं० 11, टैक्नोक्राफ्ट सोसा०, वीर सावरकर मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई–400 054	1–10–93
51.	011194	श्री सेकार नातसन, 16/4, अश्विनी का–आ० सो० जनता के पीछे, सहकारी बैंक, स्टेशन रोड, कोल्हापुर–416 001	1–10–93
52.	011449	श्री शाह धैर्यकान्ता सुन्दरलाल, धैर्यकांत शाह एंड कं०, 7, पुरनेश्वर चैम्बर्स, पहली मंजिल, दिनेश हाल नवरंगपुर के सामने, अहमदाबाद–380 009	1–10–93
53.	011632	श्री अमिताभ सेम, फ्लैट नं० 10, कैलाश कुटीर को० आ० हा० सो०, फ्लेट नं० 199, वडाला, बम्बई–400 031	1–10–93
54.	011738	श्री धनेश सोहनराज शंकर एल०, एस०एस० धनेश एवं कं०, 7ए, रामकृपा बिल्डिंग, मंबपेश्वर रोड, बोरीवली–पश्चिम, बम्बई–400 092	1–10–93
55.	011752	श्री पारथासारथी एस०, 8, चंद्रा निवास, कालोनी रोड, सायन–पश्चिम, बम्बई–400 022	1–10–93
56.	011799	श्री कृष्णमूर्ति पी०, वैक्यू इंडोस्वेज, 607, रहेजा सेंटर नरीमन पाइंट, बम्बई–400 021	1–10–93
57.	012052	श्री मोदी जगदीशचन्द्र ठाकुर, जगदीश मोदी एंड कं० 109/110, श्री बालाजी दर्शन, पहली मंजिल, तिलक रोड, शांताक्रुंज-प० बम्बई–400 054	1–10–93
58.	012303	श्री पटेल इंदुलाल रावजीभाई, मोतापुर पी०ओ० नाडयाड जि० कैर, नाडयाड-0	1–10–93
59.	012615	श्री पारेख कृष्णकान्त वीरज एल०, के०डी० पारेख एंड कं०, 316, सर्वोदय कामर्स सेंटर, रिलाइफ रोड के निकट, अहमदाबाद- 380 001	1–10–93
60.	012619	श्री नाईक अनिलकुमार छगनलाल, शांति भवन, दूसरो मंजिल, चैपेल लेन, सांताक्रुंज पश्चिम, बम्बई–400 054	1–10–93
61.	013213	श्री मेहता धरमदास नंदलाल, महल अक्षमी एक्सपोर्ट, ऐजेन्सी, 602, शारदा चैम्बर्स, न्यू मरीन लाइन्स, बम्बई–400 022	1–10–93

1	2	3	4
62.	013355	श्री पंचामिया अश्विन प्राणलाल, 9/18, चन्द्रा निवास, सायन-पश्चिम, बम्बई-400 022	1-10-93
63.	013751	श्री मांकड रवीन्द्र कुमार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, रिजनल आफिस : 317, महात्मा गांधी रोड, पूना-411 001	1-10-93
64.	013763	श्री लाहोती सुभाष मोतीलाल, एस० एम० लाहोती एंड एसोसिएटस, लाहोती हाउस, आर० डी० रोड, चेंदानी, थाना-400 601	1-10-93
65.	013935	श्री काले माधव धुंडीराज, 9225-ए, सीफोस एवेन्यू, पनोरमा सिटी, सीए-91402, यू एस ए-0	1-10-93
66.	013985	श्री रानाडे सदानन्द भोपाल, कमल किशोर बाल गोविन्द दास आर० माहिम, बम्बई-400 016	1-10-93
67.	014062	श्री गोराडिया प्रद्युमन कल्याणदा, चीफ एकाउन्टैन्ट, ग्वार्डियन रायल एक्सचेंज एस्युरेन्स पोलिसी, पो० बा० 2310, सफात, कुवैत-0	1-10-93
68.	014383	श्री सेराव विलियम, बिल्डिंग नं० 5, फ्लैट नं० 8, अरविंद नगर कालीना, बम्बई-400 029	1-10-93
69.	014529	श्री आदित्य पुरी, वाइस प्रेसिडेन्ट एंड एरिया हैड (1), श्रीलंका नेपाल एंड बंगलादेश सी आई टी आई बैंक एन ए शेखर भवन, 230, बम्बई-400 054	1-10-93
70.	014642	श्री मेहता धलवंतराय कलाभाई, बी० के० मेहता एंड कं० शॉपिंग सेंटर, तीसरी मंजिल, ब्लॉक नं० 21 सान्ताक्रुज-पश्चिम, बम्बई-400 054	1-10-93
71.	014738	श्री कुमारस्वामी एस०, 32, डेवन स्क्वायर, डेवन रोड, किंग्सटन-10, जमायका, वेस्ट इंडीज-0	1-10-93
72.	014749	श्री मोदी पीयूष गिरधरलाल, 14/बी, विश्वनगर सोसायटी, जीवराज पार्क के निकट, रविनगर वेजलपुर के पीछे, अहमदाबाद-380 051	1-10-93
73.	014830	श्री राजपाल रनरेश जयकिशन, सी/0, सेंट्रल ट्रेडिंग कं०, पो० बाक्स 812, दुबई, यू ए ई-0	1-10-93
74.	014889	श्री साडेकर दिगम्बर कृष्णजी, पोस्ट बाक्स 2323, दुबई, यू ए ई-0	1-10-93

1	2	3	4
75.	015140	श्री रिबेलो डेसमंड पेरी, 502, सीकिंग अपार्टमेन्ट्स, एच०, के० भामा रोड, बैंडस्टैंड, बान्द्रा, बम्बई–400 056	1–10–93
76.	015213	श्री चिनाय रंजीत जयंतीलाल, आर० जे० चिनाय एंड कं०, रमणीक हाउस, जुबली चौक, अल्फर्ड हाई स्कूल, राजकोट–360001	1–10–93
77.	015251	श्री महता मनोज हरिचन्द, मनोज मेहता एंड एस्सो० 38, वसुन्धरा, बोथी मंजिल, 17, भुलाभाई देसाई रोड, बम्बई–400 026	1–10–93
78.	015469	श्री चतुर्वेदी रामजी श्यामलाल, 1606, योगी टावर, योगी नगर, बोरीवली–पश्चिम, बम्बई–400 092	1–10–93
79.	016132	मिस० अरनाज जे० भारुचा, 41981 मरीन ड्राईव अपार्ट० "ए", हेमेट कैलिफोर्निया 92344, यू एस ए–०	1–10–93
80.	016263	श्री वैद मोहम्मद फारूख अब्दुल्ला, 99, इस्माईल करटे रोड, वैद बिल्डिंग, बम्बई–400 003	1–10–93
81.	016337	श्री भंभलानी रमेशचन्द्र के०, पो० बा० नं० 3974, नेरोबी, केनया–0	1–10–93
82.	016610	श्री कानुगो शेवर चन्द्र, 503, मनीष दर्शन–1, कांतिनगर, जैन टेम्पल के पीछे, जे० बी० नगर, अंधेरी–पूर्व, बम्बई–400 059	1–10–93
83.	016681	श्री शारदा हरिश्वर आर०, हरिश्वर शारदा एंड कं०, 7यक्ष सो०, न्यू पंडित कालोनी, नासिक–422 002	1–10–93
84.	016801	श्री चन्द्रा देवाशीष, पोस्ट बाक्स––33304, लुसाका, जाम्बिया–0	1–10–93
85.	016853	श्री जोशी रमेश भालचन्द्र, 307, आशीर्वाद अहमदाबाद स्ट्रीट, कर्नाक बन्दर, बम्बई–400 009	1–10–93
86.	016908	श्री गुप्ता सुरेश कुमार, सुरेश गुप्ता एंड कं०, 322, अजंता टैक्सटाइल एण्ड शापिंग टैक्सटाईल, अर्कोडे रिंग रोड, सूरत–395 002	1–10–93
87.	017179	श्री जान सुन्दरेशन लक्ष्मी, 186, स्यालवान स्ट्रीट, ब्लवरफोर्ड, न्यू जर्सी–07070, यू एस ए–0	1–10–93
88.	017210	श्री चोक्सीहेमन्त नवीनचन्द्र, हेमन्त चोक्सी एंड कं० 5/1212, हरिपुर भवनवार्ड–3, सूरत–0	1–10–93

1	2	3	4
89.	017437	श्री किशनानी रमेश किशानचन्द, आर के किशनानी एंड कं० ए/5, आशा किरण एम बी एस कूप, 20 तेजपाल रोड, विले पारले–ई०, बम्बई–400 057	1–10–93
90.	017566	श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, 5/50, रामेश्वर अपार्टमेंट्स, सोला रोड, अहमदाबाद–380 013	1–10–93
91.	018223	श्री नेत्रवली उदय शंकर, बी/10, कार्तिक सदन, दूसरी मंजिल, रामचन्द्र थिएटर के निकट, डोंबिवली (पूर्व), थाने–421 201	1–10–93
92.	028466	श्री कृष्णा पी, मार्फत: भवन बिजनेस सेंटर, सुहेल एंड सौदभवन, पोस्ट बाक्स 169, मसकट, सुलतानेट आफ ओमान–0	1–10–93
93.	022302	श्री नटट्राजन के वी , 4 इंदु अपार्टमेन्ट्स, कामा लेन, एन आर, पातिमा हाई स्कूल, घाटकोपर–पश्चिम, बम्बई–400 086	1–10–93
94.	022929	श्री रवि शंकर बी, बी–706, शंकर इमकलेव, अशोक नगर, कांदिवली–पूर्व, बम्बई–400 101	1–10–93
95.	023261	श्री रंगनाथ आर, मैनेजर, भारत पैट्रोलियम, कारपोरेशन लि०, भारत भवन 2, पो० बा० नं० 688, बीए, बम्बई–400 038	1–10–93
96.	024904	श्री गोपाल कृष्ण वी मार्फत डा० खांडेलवाल 27, विकास नगर पवन गैस के पीछे, न्यू ओसमानपुर औरंगाबाद–431 004	1–10–93
97.	025823	श्री कृष्णनन के० मार्फत : बीमको लिमिटेड, इंडियन मर्चेन्टाईल चैंबर, रामलीभाई कामानी मार्ग, बलार्ड बम्बई–400 038	1–10–93
98.	027768	मिस० राधा एस 4/11 बीपीटी क्वार्टर्स वरली, बम्बई–400 025	1–10–93
99.	028063	श्री अब्राहम जोसेफ पो० बाक्स 1003 अल–खोबार 31952 साऊदी अरबिया–0	1–10–93
100.	028279	श्री श्रीकरन एस०, सी–11/13 एचडीएसी कालोनी एम आय डी सी चिंचवाड पूना–411 019	1–10–93
101.	028313	श्री सुब्रहमनीयम पी एफ 82 मेकर कुन्दन गार्डन्स जुहू तारा रोड, सान्ताक्रुज–पश्चिम बम्बई–400 049	1–10–93

1	2	3	4
102.	028403	मिस० श्रीदेवी एस सी–49 सेवेन्थ फ्लोर, राष्ट्र सारथी कूप हाउसिंग सोसाइटी, दीन दयाल नगर, मुलुन्ड, बम्बई–400 081	
103.	028588	श्री श्रीराम पी असिस्टेन्ट एकाउन्ट्स मैनेजर, दी रेमन्ड वूलेन मिल्स लि०, डी०वी० जे०के० इंजीनियर्स फाइलस, पो० बा० जीई थाने–400 606	1–10–93
104.	029470	मिस० पद्मावती टी० एल०, नं 302 सन्नी इस्टेटस, थर्ड फ्लोर, सायन ट्राम्बे रोड,] चैंबूर बम्बई–400 071	1–10–93
105.	029798	श्री चार्ली के एस द्वारा : हिहन्नी मुरे एंड कं०, पो० बो० 3795 अखलोवार 31952 साऊदी अरबिया–0	1–10–93
106.	029883	श्री प्रकाश आर द्वारा : केसेरगल बीवरेजेज लि० बीथोरा, पोन्डा, पोन्डा गोवा–403 401	1–10–93
107.	029897	श्री जयरमन वी 28/219 गोकुलम सायन–पूर्व, बम्बई–400 022	1–10–93
108.	029998	श्री बास्कर बी द्वारा : एम/एस ईस्मार इन्वेस्टमेन्ट्स लि० फोर्टीन्थ फ्लोर, मेकर चेम्बर, फोरथ नरीमन प्वाइंट बम्बई–400 021	1–10–93
109.	030022	श्री छेड़ावाला शब्बीर फाखुर्द, 152, अल–अली मंजिल पहली मंजिल,फ्लैट नं० 1 नागदेवी स्टेट बम्बई–400 003	1–10–93
110.	030047	श्री हफतकार अहमद मैसर्स बदेइ अल–मुल्ला एंड ब्रास० कं० पो० बा० 177 सफात कुवैत–130 002	1–10–93
111.	030094	श्री शाह भरतकुमार अमृतलाल बी० ए० शाह एंड 9 मंगल प्रभात फिरोजशाह स्टे सान्ताक्रुज–वेस्ट, बम्बई–400 054	1–10–93
112.	030264	श्री भंडारकर नारायन अनंत 11सी, अश्विन प्लाट नं० 27/1, मारवे रोड मलाड–वेस्ट, बम्बई–400 064	1–10–93
113.	030264	श्री शाह शैलेश रमनलाल , शैलेश शाह एंड कं० डी जे रुपारेलिया एंड कं०, 42, गोपाल भुवन, तीसरी मंजिल, 199 प्रिंसेज स्ट्रीट, बम्बई–400 002	1–10–93
114.	030350	श्री केजरीवाल रतनलाल नारायन पी, 610 कामर्स हाऊस मेडाबम्स स्टे०,140 नागिनदास मास्टर रोड, बम्बई–400 023	1–10–93

1	2	3	4
115.	030446	श्री देसाई राजेन्द्र मगनलाल राजेन्द्र देसाई एंड क० 26 अंजली बिल्डिंग, बम्बई–400 055	1–10–93
116.	030505	श्री परदसनी लाल परदसनी लाल फतेहचन्द, 2, अल्लावाह कोर्ट बरवोंटिक साउथ बीक 3133, आस्ट्रेलिया–0	1–10–93
117.	030512	श्री जोशी मुकुन्द मधुसूदन, श्री हरि, 17/18, धनश्री को-आप० हा० सो०, कोथरूड, पुने–411 029	1–10–93
118.	030535	श्री शाह प्रकाश शांतिलाल, गुप्ता शाह एंड क०, तीसरी मंजिल, 141ए, ग्रेट वेस्टर्न बिल्डिंग मेडोवस, स्टे–एक्सटेंशन–130/132 अपोलो स्टे०, बम्बई–400 023	1–10–93
119.	030562	श्री आरोट दिनेश रमनाथ, 92, पैराडाईज पार्क, अम्बाडी, अहमदाबाद–0	1–10–93
120.	030785	श्री गापीयानी दिनेशचन्द्र उगी फर्स्ट फ्लोर, 265 एम, भगत सिंह रोड, फोर्ट, बम्बई–400 092	1–10–93
121.	030853	श्री कुलकर्णी प्रताप सिंह शेष, "ई" विनायक बंगलो के पीछे, शाहपुरी फोर्थ स्टे०, कोल्हापुर–416 001	1–10–93
122.	031028	श्री छाटे विलास अनंतराव 50 श्री कृष्ण नगर, बोरीवली–ईस्ट, बम्बई–400 066	1–10–93
123.	031039	श्री गाडगिल जयंत श्रीपद, समृद्धि कोआपरेटिव बिल्डिंग, चौथी मंजिल, भवन, 1 शंकर क्रास रोड, दादर–वेस्ट, बम्बई–400 028	1–10–93
124.	031396	श्री बुराड सज्जन सिंह, जी० एम० फाइनांस, जैन स्पीनर्स एल टी प्लाट सी–1, एम आरडीसी, इंडस्ट्रीयल एरिया, पो० वा० पायथन, औरंगाबाद–0	1–10–93
125.	031506	श्री कपाडिया किशोर माधवदास, 99, विट्ठल वाडी, बम्बई–400 002	1–10–93
126.	031609	श्री बेडे अरविंद ट्रमबक, गोकुल बिल्डिंग, 1184, शिवाजी नगर, फरगुसन, कालेज रोड, पुने–411 005	1–10–93
127.	031825	श्री गोयल अलोक राजेन्द्र, 54–बी, नरीमन भवन 227 नरीमन प्वाइंट, बम्बई–400 021	1–10–93

1	2	3	4
128.	031913	श्री सांघवी मांधुकान्त गिरधर एल, एम ही सांगघवी एंड कं०, 816, गांधी रोड, जैन टैम्पल, के बगल में, पहली मंजिल, खाडिया चार रास्ता, अहमदाबाद–380 001	1–10–93
129.	031983	श्री चलपति राव बी वी अरुणा, अरुआ सी–24/213 एम आयजी कालोनी, गांधी नगर, बान्द्रा–ईस्ट, बम्बई–400 051	1–10–93
130.	031985	श्री केशवानी, टी एल, द्वारा, एम० के० पटेल, 28, तीर्थनगर सोसाइटी नं० 1, सोला रोड, घाटलोडिया, अहमदाबाद–390 061	1–10–93
131.	032019	श्री संचेती सुरेश जावरचन्द, 6 शिवनाथ अपार्टमेन्ट, 1304/10, शुक्रवार पथ, पुणा–411 002	1–10–93
132.	032032	श्री वैद्य कश्यप कृष्णप्रसाद, 51, देवप्रयाग वीरा देसाई रोड, अंधेरी–वेस्ट, बम्बई–400 058	1–10–93
133.	032073	श्री पिन्टो ग्लैसन पी, डी 4, परब अपार्टमेन्ट्स, गिलबर्ट हिल, रिक्रिएशन के पीछे, क्लब, अंधेरी–वेस्ट, बम्बई–400 058	1–10–93
134.	032197	श्री अग्रवाल सुभाष चन्द्र, 2ए, किताब हमहल, फर्स्ट फ्लोर, 192, डा० डी० एन० रोड, बम्बई-400001	1–10–93
135.	032261	श्री पारिख शिरिश शांतिलाल, पारिख एस एस एन्ड कं०, 27 चकला क्रास लेन, बम्बई–400 003	1–10–93
136.	032473	श्री मित्तल जगदीश प्रसाद, द्वारा : बालीद एसोसिएशट्स, पो० बा० 437, मसकट, सुलतानेट आफ ओमान–0	
137.	032475	श्री वेद दीपक माधवजी, डी एम वेद एंड कं०, ए–202, मोदी नगर, मथुरादास रोड, कांदिवली–वेस्ट, बम्बई–400 067	1–10–93
138.	032493	श्री ओमबिये सुधाकर राजाराम, सीनाल 602, सिक्सथ फ्लोर, सरस्वती इंग्लिश मिडियम स्कूल के निकट, स्कूल पंथ पाखाडी, थाने–0	1–10–93
139.	032494	श्री काजी दिगंत ईश्वरलाल, 9, नीलराज सिधी सदन कालोनी, मंदपेश्वर रोड, भगवती हास्पीटल के सामने, बोरीवली–वेस्ट, बम्बई–400 092	1–10–93

1	2	3	4
140.	032888	श्री पटेल तुषार, जशभाई, ए–27, तुलिप बंगलोज, ड्राईव-इन-सिनेमा, गोयल इंटरमिटी के निकट, अहमदाबाद–380 052	1–10–93
141.	032898	श्री पगड़ीवाला केकी फिरोज, 694, रोड नं० 3, पारसी कालोनी, दादर, बम्बई–400 014	1–10–93
142.	033070	श्री० फैमरोज मीनो मेहरजी दरया हमहल –ए 80 नेपियन सी रोड 12 वां मंजिल, फ्लैट नं० 70 बम्बई – 400006	01–10–1993
143.	033085	श्री बुटला राजेश बसंतीलाल 8/10, कैलकोट हाउस टैमरिंड लेन, फर्स्ट फ्लोर, फोर्ट बम्बई –400023	01–10–1993
144.	033155	श्री भोंबे उदय रघुवीर द्वारा चौगले एंड कं० प्रा० लि० चौगले हाऊस हारबर मरगांव– 0	01–10–1993
145.	033379	श्री काडकिया माथुर एन बी० / 7 सागर 73–74 रिलीफ रोड सान्ताक्रुज – वेस्ट बम्बई – 400054	01–10–1993
146.	033513	श्री जवारिया नवीन हेमचंद 103-104 एफ विंग, पटेल नगर एम जी क्रास रोड नं० 4 कांदिवली – वेस्ट	01–10–1993
147.	033797	श्री० शाह राजेश हिमतलाल 103 भाग्योदय –ए 53– बी० सरोजिनी रोड विले पारले – वेस्ट बम्बई-400056	01–10–1993
148.	033870	श्री व्यास विजयकुमार जयमनीष 21 अशोतोषनगर सोसायटी केरलीबाग बरोडा – 390018	01–10–93

1	2	3	4
149.	034031	श्री. कंसारा नितिन विठ्ठलभाई टी०-8 – विक्रम चैम्बरस् एन ० आर० इन्कम टैक्स आफिस आश्रम रोड अहमदाबाद –380009	01-10-93
150.	034184	श्री मजुमदार शिल्पीन शाह मेहता मजमदार 204 श्रीजल आपार्टमेन्टस् लकड़ी पूल डांडिया बाजार के सामने बरोदरा – 390001	01-01-1993
151.	034221	श्री खेतानी हसमुख हीरालाल एच० एच० खेतानी एंड कं 205 महावीर चैम्बरस, आनंद डायनिंग हाल के निकट सलापोज रोड अहमदाबाद – 380001	01-10-1993
152.	034318	श्री पोपट अजयकुमार चिमनलाल 1/ए 32 दन्तनी ग्राम मथुरादास रोड, ईरानीवाडी नं० 3 के निकट कांदिवली – वेस्ट बम्बई – 400067	01-10-93
153.	034556	श्री तेजवानी दिनेशकुमार डी० के० तेजपाल एंड कं० 303 वर्धमान चैम्बर कल्याण एस बम्बई – 400009	01-10-1993
154.	034560	श्री शिंदे अभिजीत वागुदेव 8 उन्मेष कं० ओ० सो० , भगत लेन माहीम बम्बई – 400016	01-10-1993
155.	034595	श्री देसाई उत्पल रमनलाल यू० देसाई एड कं०, भारत कुंज आठवां रा० सान्ताक्रुज – ईस्ट बम्बई – 400055	01-10-93
156.	034636	श्री देराश्री महेश कुमार रोड नं० 36, तीसरी मंजिल 56 तेजगल विठ्ठल वाडी, कालबादेवी बम्बई – 400002	01-10-1993
157.	034677	श्री अन्ना क्षत्रे अरुण पदमाकर 1206/बी० /13 शिवाजी नगर पुने – 411004	01-10-93

1	2	3	4
158.	034700	श्री हकानी कीर्तिकुमार 196/5408 पंतनगर घाटकोपर–ईस्ट बम्बई – 400075	01–10–1993
159.	034902	श्री दुसाद शिवलाल फूलचंद आफिस नं० 25, हाईवे टावरस पुने, बम्बई रोड चिचवाड पुना – 411019	01–10–1993
160.	034902	देसाई उमंग अरुण कुमार प्लॉट नं० 236/ए, फर्स्ट फ्लोर एन–आर, "जीएच" 6 कॉनर्र, सेक्टर–28 गांधी नगर–382028	01–10–93
161.	035055	श्री शाह जिवेन्द्रकुमार कांतिलाल डी० /15–102 योगी स्मृति को० ओ० हा सो० योगी नगर इक्सार रोड, बोरीवली – वेस्ट बम्बई – 400092	01–10–93
162.	035132	श्री क्षेत्रिय विश्वास हीरालाल बी० एच० के क्षत्रीय एंड एसोसिएट नील सागर, फ्लैट नं० 10 प्लाट नं० 10 बी० आध्र रिक्लेमेशन कृष्णचद बम्बई –400050	01–10–93
163.	035259	श्री शाह वेलचंद वालजीभाई 105 लकी पैलेस स्टेट बैंक नवघर के निकट वसई रोड– वेस्टर्न रेलवे थाने – 401202	01–10–1993
164.	035264	श्री वेंकटरमन शिवकुमार स्कलबरजर टेक्नीकल सर्विसेज फैंसनस पो० बा० 9261 दुबई यू० ए० ई० – 0	01–10–93
165.	035307	श्री मदन नेवीला दिन्शा सेन्ट्रल ट्रेडिंग कंपनी पो० बा० नं० 812 दुबई – 0	01–10–1993
166.	035342	मिज पून्जा आरती 31 जाली मेकर आपार्ट० नं० 3, कफ पैरेड, बम्बई – 400005	01–10–1993
167.	035412	श्री ठक्कर हसमूखभाई शांति 54 – बी/104, आंनन्द नगर, क्षत्रपति शिवाजी रोड, दहिसर, बम्बई, 400063	

1	2	3	4
168.	035468	श्री भेसानिया केरसी शवाक्षशाव तक्षिला बिल्डिंग नं० 24 ए, तीसरी मंजिल फ्लैट नं० 32 महाकाली केवस रोड अंधेरी – ईस्ट बम्बई–400093	01–10–93
169.	035493	श्री बुकवाला युनुस जुल्फीकार 52 सर्वेन, चैपेल लेन सान्ताक्रुज – वेस्ट बम्बई – 400054	01–10–93
170.	035572	मिज० कुलकर्णी वरदा भालचंद्र सी० 10 अनुप्रिया को० आ० वीरा देसाई रोड अंधेरी–वेस्ट बम्बई – 400058	01–10–93
171.	035575	श्री जजोडिया राम गोपाल जजोडिया एंड कं० , 403 – ए, स्विस् पैलेस, शास्त्री नगर चार बंगाँल , अंधेरी – वेस्ट बम्बई – 400058	01–10–93
172.	035777	श्री सेठ विजय राजेन्द्र 1/12, "साई रचना", 30 जुहू, रोड, सान्ताक्रुज– वेस्ट, बम्बई–4000541	01–10–93
173.	035780	श्री कोलाबा खुशरु भोमी स्टैंर्ड चार्टर्ड बैंक इनवेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन 23–24, एम० जी० रोड, बम्बई–400001	01–10–93
174.	035896	श्री वोरा मेहुल केसरीचन्द चौथा मंजिल विक्टर विला 5, बाबुलनाथ रोड बम्बई–400007	01–10–93
175.	035960	श्री पटेल अशोक मोतीभाई ए/15, "सुमेरा" एन० आर०, अमलतास बंगलोज, ओ/एस वस्त्रापुर विलेज अहमदाबाद–380054	01–10–93
176.	036332	बी नांगिया जयन्त रूपलाल इडेन 11, बी/102, हीरानन्दनी गार्डन, पवई बम्बई–400076	01–10–93
177.	036343	श्री वोरकर भास्कर गुरूदास राहत मंजिल, दूसरी मंजिल डॉ आम्बेडकर रोड, खार-वेस्ट, बम्बई–400052 ।	01–10–93
178.	036577	श्री रनदिवे समीर गजानन 31 विट्ठल नगर सो०, दसवां रास्ता जे० बी० पी० डी० बम्बई–400049	01–10–93

1	2	3	4
179.	036575	श्री अय्यर नारायन परशुराम 6 सरोज सदन सर बालचन्द्र आर माटुगा बम्बई–400019	01–10–93
180.	036597	श्री देसाई जयेश ए सी/0 डाँडमल जिम पो० बा० नं 701 आबू धाबी यू ए ई–0	01–10–93
181.	036600	श्री रेडीज नन्दकिशोर परसुराम 3/44 बाहरी बिल्डिंग, जाकरिया बान्द्रा रोड शिवरी बम्बई–400015	01–10–93
182.	036787	मिज, मुरलीवाला काश्मीरा होम कला निकेतन, अपार्ट०, तिथल रोड, वलसाड–396001	01–10–93
183.	036844	श्री चन्द्रक त्रिज बल्लभ बी बी चन्द्रक एण्ड कं०, 49 लॉयरस चैम्बर पिकेट रोड, बम्बई–400002	01–10–93
184.	036852	श्री आचार्य कुलदीपक अर्जुनदे 43–13–65 वां रास्ता 3 ए, बुडसाइड एन० वाय० 11377 यु०एस०ए०–0	01–10–93
185.	036899	श्री डागा अलोक ग्लोबल इन्टरप्राइजेज, पो० बा० नं० 2925 सीब मुल्तानुट ऑफ ओमान–0	01–10–93
186.	036916	श्री सैबेस्टीन पैस्कल मार्टिन "सिसिलिय" सैमानीवायगाव तालु० व पोस्ट––बसई बसई–401201	01–10–93
187.	036987	श्री लोचन राजीव एम ई एस ब्लॉक 3/9 नेवी नगर कोलाबा बम्बई–400005	01–10–03
188.	037108	श्री झा धरमेश विष्णु प्रसाद 108–110 चवला स्ट्रीट बम्बई–400003	01–10–93
189.	037117	मिज मंत्री अनिता त्रिजलाल 1201/12ए हाहकार शिरोले रोड पूना–411004	01–10–93
190.	037182	मिज संकरण चित्रा 3/117 अम्मरा 21वां रास्ता चेम्बुर बम्बई–400071	01–10–93
191.	037230	श्री शाह अजय कांतिलाल अजय के शा एण्ड एसोसियेट्स 403/डी 5वां मंजिल, शांति नगर को० आ० ह्रा० दत्त मन्दिर बम्बई400097	01–10–93
192.	037278	श्री दुबाश फेड्डा रुसो 5–ए, काराय इस्टेट, ताड़देव रोड, बम्बई 400007	01–10–93

1	2	3	4
193.	037289	श्री राजू वी एस एम 44/179 श्रीनिवास गरोडिया नगर घाटकोपर-ईस्ट बम्बई–400077	01–10–93
194.	037307	श्री अय्यर जनार्धनन मुत्थरम बी–37 मुक्तिधाम को० आ० श्रीनगर, थाने-वेस्ट थाना–0	01–10–93
195.	037327	श्री नाडकर्णी शंकर श्रीपद 4/158 अम्बेडकर नगर वरली पुलिस स्टेशन के सामने वरली बम्बई–400018	01–10–93
196.	037361	श्री पानवाला जितेन्द्र कुमार ईश्वर 11/2511 मातृछाया मछली पीठ सूरत–0	01–10–93
197.	037405	श्री गुसानी दीपक कुमार बजलाल प्लाट नं० 584/1, ब–2 कॉनर्र, सेक्टर नं० 7, गांधी नगर–382007	01–10–93
198.	037412	श्री शाह अशोक शांतिलाल 357 नगिनदास बिल्डिंग एस० वी० पी० रोड, फर्स्ट फ्लोर, ब्लाक न० 1, बम्बई–400004	01–10–93
199.	037443	श्री पाटील पुरुषोतम उत्तम ए/54/श्री महल अकमी कूपटी अम सो०वीर देसाई रोड अन्धेरी–वेस्ट बम्बई–400058	01–10–93
200.	037579	श्री वेंकटेश रघुरा, 3 उषा अपार्टस्० एस नवधर क्रास रोड मुलुन्ड-ईस्ट बम्बई–400081	01–10–93
201.	038593	श्री विष्णु कुमार नंदलाल एण्ड सन्स मावावरा 202 नुल बाजार तीन बत्ती बम्बई–400003	01–10–93
202	037735	श्री कोरैया, जरहार्द मैरती सी/0, नेशनल बैंक ऑफ आबुधाबी पो० बा० नं० 4, यू० ए० ई०–0	01–10–93
203.	037757	श्री रूंगटा मधु अमरचन्द, एफ–9 शांति भवन, सरोजिनी नायडू रोड, मुलुन्ड–वेस्ट बम्बई–400080	01–10–93
204.	03778	श्री कमारी बरहनुद्दीन एम मोहम 46, मिठाईवाला बिल्डिंग सारंग स्ट, फर्स्ट फ्लोर बम्बई–400003	01–10–93
205.	037977	श्री मुलेय मकरंद नरहरि ब्लॉक नं० 9, दूसरी मंजिल अमोल को० आ० इक्सार रोड, इक्सार तलाब के निकट, बोरावली–वेस्ट बम्बई–400092	01–10–93

1	2	3	4
206.	037977	श्री खत्री सुधीर जदुप्रसाद जेड –1 स्वास्तिक अपार्टस० वसना बारेज रोड नारायन नगर अहमदाबाद–380007	01–10–93
207.	037986	श्री अर्जुन वाडकर प्रकाश विनय अर्जुन वाडकर एण्ड ऐसा फ्लैट नं० 9, अच्युत ए कोटेश्वर प्रीकिमेज को० आ० सो० 688/5, पूना–411037	01–10–93
208.	038044	श्री मैथ्यू पी के फायनांस एण्ड अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट, कृभको, फरटीलाइजर नम्बर, सूरत–394515	01–10–93
209.	038186	श्री शाह जयेश कुमार, चन्द्रका, बी/24, मिलन अजाद लेन एस वी रोड, अन्धेरी–वेस्ट बम्बई–400058	01–10–93
210.	038303	श्री सुब्रह्मण्यम राजगोपाल बी/2 सलॉहकार, डॉ अम्बेडकर रोड, मुलुन्ड–वेस्ट बम्बई–400080	01–10–93
211.	038314	श्री शुक्ला जितेन्द्र छोटेलाल 518/जी कमला नगर एम जी रोड कांदिवली वेस्ट, बम्बई–400067	01–10–93
212.	038326	श्री अग्रवाल विवेक कुमार डी–1 बद्री काशीराम सेंट्रल स्कूल के पीछे, पुलिस के निकट, अहमदाबाद–9	01–10–93
213.	038355	श्री विजय कुमार एन० एस० एन० ओ० 2–अशोक भवन सारस्वत कॉलोनी डोंबीवली–ईस्ट, जि०–थाना डोंबीवली–421201	01–10–93
214.	038502	श्री आहुजा सुनील जवाहरलाल 141–बी–2 करुणाहाउस, सिंधी सोसायटी, चेम्बुर बम्बई–400071	01–10–93
215.	038541	श्री बाल सुब्रह्मण्यम सुरेश के 2/278 स्ट एनथोनी एस रोड चेम्बूर बम्बई–400071	01–10–93
216.	038550	श्री कृष्णन स्वामीनाथन, सी/0 फश्वरो इस्टेब्लिशमेंट, पो० बा 710 मनामा बरहरी–0	01–10–93

1	2	3	4
217.	038566	श्री वैद्य मिलिन्द काशीनाथ चौथा मंजिल अश्वारी चैम्बरस् मालारिया बस स्टॉप कॉलेज रोड, के निकट, नासिक–422005.	01–10–93
218.	038588	श्री पुरी नील फ्लैट नं० 604, बिल्डिंग नं० बी–15 अपना घर यूनिट नं० 9, अन्धेरी–वेस्ट बम्बई–400058	01–10–93
219.	038729	श्री जगदल सुरेश कुबेर, सी/0 ललित वी गजारिया 43/343 उन्नत नगर नं० 4, एम जी० रोड, गोरेगांव 'वेस्टइ– बम्बई–400090	01–10–93
220.	038745	श्री कपूर देवेन्द्र जोगिन्दर डी–1 बन गंगा को गोवन्डी स्टेशन आर, देवनार बम्बई–400088	01–10–93
221.	038756	श्री पवारी सुनील मनुभाई एस एम पवारी एण्ड कं० 320 अनन्त लक्ष्मी चैम्बरस, साने गुरजीत पथ, शिवाजी नगर, नवपाड़ा थाने–400602	01–10–93
222.	038775	श्री कामत विनय मधुकर, एफ 2/114, जम्बो दर्शन को आ० लो० कलडोंगरी रोड नं० 2, अन्धेरी,-ईस्ट, बम्बई–400069	01–10–93
223	038910	श्री वीरा राघवन नारायणन डी०/3, नवगीता सोसायटी सेंट, एन्थोनी रोड, चैम्बुर बम्बई–400071	01–10–93
224.	038966	श्री गोम्स यूवेस एंजल साँवनीर राठौड़ी मारवे रोड, मलाड–वेस्ट बम्बई–400097	01–10–93
225.	039015	मिज, पल्लावल स्वाति हर्षद, एस० एच० पल्लावल एण्ड कं०, 19 गोपाल भवन, 19 गोपाल भवन, 199 प्रिसेंज स्ट्रीट, बम्बई–400002	01–10–93
226.	039067	श्री गर्ग संजीव फ्लैट नं० 104, फर्स्ट फ्लोर, जनक अपार्ट, बिल्डिंग नं० 2, बसई रोड–ईस्ट थाने–401202	01–10–93
227.	039077	श्री पाठक महेश गिरिजाशंकर 10 बुरेल क्लोज, एडवर्ग (हुमिडेक्स) लन्दन एच 8 8 एफ० एच, यूके–0	01–10–93

1	2	3	4
228.	039079	श्री रवानी ईश्वर लाल रणछोड़ मै॰ आर रवानी एण्ड कं॰, ई/11 कनकावती अपार्टस्, पी एण्ड टी कॉलोनी के निकट वसना अहमदाबाद–380007	01–10–93
229.	039147	श्री रामचन्द्रन ए, 3, अभिधर अपार्टस, रामबाग, मनी नगर, अहमदाबाद–380008	01–10–93
230.	039122	श्री अय्यर बालचन्द्रन संगमीस 6 न्यू ड्रीमलैण्ड सीजरस् रोड, अम्बोली, अन्धेरी-वेस्ट, बम्बई–400058	01–10–93
231.	039292	श्री मेहता अशोक मनहरलाल, बी–10 गीता प्रकाश 123, गरोडिया नगर घाटकोपर-ईस्ट बम्बई–400007	01–10–93
232.	039324	श्री शिवराम कृष्ण गोपाल 27 गोतम दर्शन जे॰ पी॰ रोड, 7 बंग्लोज, अन्धेरी-वेस्ट बम्बई–400058	01–10–93
233.	039512	श्री छेड़ा रमेश दामजी, रमेश डी, छेड़ा एण्ड कं॰, अशोक चैम्बरस्, ब्रॉच स्ट्रीट, भस्जिद-ईस्ट, बम्बई–400023	01–10–93
234.	039568	श्री शेख अतिक उर रेहमान, सी/0, बम्बई फरनिशिंग कं॰, 30, होमी मोदी स्ट्रीट, बम्बई–400023	01–10–93
235.	039610	श्री रमन सी सुरेश, 23/714, टैगोर नगर, विक्रोली बम्बई–400083	01–10–93
236.	039624	श्री नायक सुनील सुबर्य 6, नूतन विला, 146, गरोडिया नगर, घाटकोपर, बम्बई–400077	01–10–93
237.	039740	श्री शाह नैनेश कांतिलाल, सी–8, तीसरा मंजिल, फ्रैन्डस् होम, 44, जुहुकॉस लेन, अन्धेरी-वेस्ट, बम्बई–400057	01–10–93
238.	039742	श्री डी॰ लिमा एन्थोनी ब्लॉक पी॰ फ्लैट 9, एवर्ड नगर सायन, बम्बई–400022	01–10–93
239.	039885	श्री कपूर अशोक ओमकारराज, 272, कार्टर रोड, फर्स्ट फ्लोर, बान्द्रा, बम्बई–400050	01–10–93
240.	039938	श्री जैन संजय कुमार आनन्द कुमार, शाह एण्ड तपारिया, 721, कॉटन एक्स्चेंज बिल्डिंग, कालबादेवी रोड, बम्बई–400002	01–10–93

1	2	3	4
241.	039998	श्री डिसूजा रेमन्ड, 3, मैरी लैण्ड फोर्थ रोड टी पी० एस० 111, मान्खा, बम्बई–400050	01–10–93
242.	040059	श्री ठाकुरदेसाई सुहास पांडुरंग, 5 दाते भवन अधिकार स्ट दादा बम्बई–400028	01–10–93
243.	040061	श्री कामत एन अरूण अनन्त, ए 302 आरबी आय क्वाटर्स, कैलाश, मलाड-ईस्ट, बम्बई–400097	01–10–93
244.	040076	श्री शाह परेश मीठालाल, 1, मंगलदीप चन्दनसर रोड विरार –401303	01–10–93
245.	040138	मिज० पारिख प्रीति अमित, पारिख एण्ड ब्रांस, 120/ए, पिकेट क्रॉस रोड, लोहार चॉल, बम्बई–400036	01–10–93
246.	040161	श्री बंगर ललित कुमार, डी–37/206 योगी नगर, दक्सार रोड बोरीवली-वेस्ट, बम्बई–400092	01–10–93
247.	040163	मिज० रामनाथन गीता 98 ज्योतिकैलाश सो० सेटेलाइट आर अहमदाबाद–380015	01–10–93
248.	040187	मिज० स्वामी भवना गोपाल स्वामी, 5, मधुवन सोसायटी, आनन्द नगर, सान्ताक्रुज ईस्ट, बम्बई–400055	01–10–93
249.	040294	श्री चारी वेंकट रघुनाथ, ए–3, थ्री स्टार बी पी रोड पेन्डसे नगर डोंबीवली–421201	01–10–93
250.	040367	श्री भट्ट योगेश कुमार, 9, प्रकाश जेनीथ कालोनी, खपोली जिला रायगढ़ खपोली–410203	01–10–93
251.	040371	श्री पवार दत्ता हरि, एम० जी० मिल चॉल, रोड नं० 183, शोलापुर–413001	01–10–93
252.	040418	श्री साईनारायण अनंतनारायण, फ्लैट नं० 406, निकिता अपार्टस् अमृत नगर (घाटकोपर इण्डस्ट्रीयल इस्टेट के निकट) घाटकोपर, बम्बई–400086	01–10–93
253.	040424	श्री राय अरविन्द कुमार, 10 साधना एन गमादिया रोड बम्बई–400026,	01–10–93
254.	040451	श्री श्रॉफ नोजर जसी, डी० एस० प्रभुदास एण्ड कं०, 1107, स्टॉक एक्सचेंज टॉवरस, 11 वां मंजिल दलाल स्ट्रीट फोर्ट, बम्बई–40003	1–10–93

1	2	3	4
255.	040555	श्री वोरा नीलेश नरणी, नीलेश वोरा एण्ड कं, 123, श्रीजी दर्शन, एस० वी० रोड, कांदिवली वेस्ट बम्बई–400067	01–10–93
256.	040732	श्री श्रीवास्तव गोविन्दकुमार नार, पूर्णिमा डी ए ई अपार्ट्स, 6 ए, रिज रोड, मालाबार हिल्स, बम्बई–400006	01–10–93
257.	040744	श्री देसाई राजेश कृष्णकान्त, कूपर्स एण्ड लीब्रैण्ड डीलोंलबे पो० बा० 6075, रूवाय सुल्तानेट आफ ओमान–0	01–10–93
258.	040746	मिज० सरदेसाई तनुजा राजेन्द्र, 20, हीरा कुंज आरे रोड, गोरेगांव-ईस्ट, बम्बई–400203	01–10–93
259.	040763	श्री चतुर्वेदी अनिल कुमार, 5/203, पवन बाग, खिचवोली मलाड वेस्ट, बम्बई–400064	01–10–93
260.	040849	श्री ट्रीचर कृष्ण कुमार नारायण, 1, राधिका कुमुद नगर, एस वी रोड, गोरेगांव वेस्ट, बम्बई–400204	01–10–93
261.	040862	मिज० मर्चेन्ट प्रीति शिरीष, 131, साईनारा 17, कफ पैरेड, बम्बई–400005	01–10–93
262.	040886	श्री शाह नितिन कुमार रमनलाल, जी/11, महालक्ष्मी सोसायटी, उत्कर्ष के सामने, पेट्रोल पम्प, करेल बाग, बरोडा–390018	01–10–93
263.	040929	श्री जोगलेकर प्रसाद कृष्ण, 8, अमरदीप पाटिल वाडी, गोखले रोड, नवपाड़ा–वेस्ट, थाना–400602	01–10–93
264.	040930	श्री महेन्द्रले राजीव गोपाल राजीव मेहेन्द्रले एंड कं०, 24, सूर्योदय पार्क, गोदी रोड, बरोडा – 390021	01–10–93
265.	040953	मिज० अग्रवाल ज्योति राजकुमार 714–715 राम गुरुछा को० ऑ० हां० सो० एस० वी० रोड, अंधेरी – वेस्ट बम्बई–400058	01–10–39
266.	041074	श्री खेतान संजय मदनलाल मैनेजर – अकाउन्टस सेंचुरी ऐनका लिमिटेड नक्षत्रावर, नरीमन प्वाइंट बम्बई– 400021	01–10–93

1	2	3	4
267.	041104	मि ज० परख रेखा सुधीर 8/238, सहकार नगर – 3, चेम्बुर बम्बई – 400071	01–10–93
268.	041153	श्री जैन निर्मल चंद्र भनवा, 108, श्याम कमल सी अग्रवाल मार्केट सी, विले पारले – ईस्ट बम्बई – 400057	01–10–93
269.	041165	श्री टिकेकर मकरन्द चिन्तामन 30, टेल्को सिनियर आफिस आर० एस० को० ऑपरेटिव, पिम्परी पुना–411018	01–10–93
270.	041174	श्री अहमद रयीस सैय्यद 158, बापु खोटे स्ट्रीट बम्बई – 400003	01–10–93
271.	041306	श्री खान राजी दाव मेसर्स० ऑरथर एडेरसन, एंड कं० पो० बा० 6482, रुवाय सुल्तानेट आफ ओमान – 0	01–10–93
272.	041400	श्री देसाई हितेश महेन्द्र कुमार एच० एम० देसाई एंड कं०, 76/86, लक्ष्मी भवन, फर्स्ट फ्लोर, धीरजभाई पारेखो मार्ग, कालबादेवी बम्बई – 400002	01–10–93
273.	041428	मिज शाह पुर्णिमा जितेन्द्र बी० – 15/102, योगी स्मृति को० आ० हौ० सो० लि०, इक्सार रोड, योगी नगर बोरीवली – वेस्ट बम्बई – 400092	01–10–93
274.	041450	श्री शेठ देवल नरेन्द्रभाई 486, रामजी मंदिरस् पोल के सामने, हजपटेलम पोल, कलपुर अहमदाबाद – 380001	01–10–93
275.	041565	श्री पोतदार विक्रम केसव बी० – 41/382, एम० आय जी० कालोनी बान्द्रा ईस्ट बंबई – 400051	01–10–93
276.	041570	श्री हेगडे कुशल सदानंद मक्खा मंजिल, फर्स्ट फ्लोर ब्लाक नं० 415 – ए, पाली रोड, बान्द्रा बम्बई – 400050	01–10–93

1	2	3	4
277.	041605	श्री कृष्णन के नारायण 8/771, आनंद भवन डा० जैजंती रोड पारसी कालोनी, दादर, बम्बई – 400014	01–10–93
278.	042627	श्री राव प्रसाद कृष्णमूर्ति सी०/ओ० प्रिजम लि० पो० बां० 9865 न्यू मार्केट, आंकलैण्ड न्यूजीलैण्ड–0	01–10–93
279.	041660	श्री मनियारथनिल शिवनारायण ए०–4/304, ब्रह्माण्ड आजाद नगर, मानपद रोड थाने – वेस्ट थाने – 400607	01–10–93
280.	041736	श्री जापी राजेन्द्र जावेरीलाल 21/ए, कपूरवाला बिल्डिंग सखाराम किर रोड बम्बई –400016	01–10–93
281.	041748	श्री वारजी अरविंद कुमार मगनभ अरविंद वारजी एस्सोसिएटस 402–ए, चंदन चैम्बरस, फोर्थ फ्लोर 138, मोदीस्ट्रीट बम्बई – 400001	01–10–93
282.	041987	मिस० प्रनीति प्रदीप नाडकर्णी 3/318, पाली हिल बान्द्रा (वेस्ट) बंबई – 400050	01–10–93
283.	042062	श्री मरवैय जतिन रजनीकान्त 7, सुवर्णदीप एस० वी० रोड सान्ताक्रुज – वेस्ट बंबई –400054	01–10–93
284.	042131	मिस० फिलिप अन्ना प डी० – 661, 628, गांधीनगर बान्द्रा ईस्ट बम्बई –400051	01–10–93

1	2	3	4
285.	042314	श्री छाबड़ा गुरुचरण सिंह पोस्ट बाक्स – 2923 दुबई – 0	01–10–93
286.	02319	श्री ग्रोवर राजीव श्याम बिल्डिंग नं० 9 ब्लाक 321 निर्मल नगर हा० सो० बान्द्रा – ईस्ट बम्बई –400051	01–10–93
287.	042321	श्री नगर संजय ब्रिज एंड रूफ कं०– 1 20 सी० एस०टी० रोड चेम्बूर बम्बई – 400071	01–10–93
288.	042368	मिज० सरवश्य वेला परमानंद 187/5231 संभति पंत नगर घटकोपर – ई० बम्बई – 400075	01–10–93
289.	042570	श्री रोड्रिग्स रसेल माइकल मरवन बिल्डिंग, तीसरी मंजिल कोलाबा पुलिस टेशन के सामने बंम्बई – 400039	01–10–93
290.	042579	श्री तेकचेंदानी शंकर बी० – 9 वासुकी, तीसरी मंजिल सोमैया कालेज कैंप० 7 वां शेड राजावाडी विदियाविहार बम्बई – 400077	01–10–93
291.	042590	श्री ठाकुर देसाई सुरेन श्री कृष्ण 3 आशिवाद एम मार्वे रोड नवपाड़ा थाना – 400602	01–10–93
292.	042606	श्री पटवर्धन गिरीज गजानन ए०/2 सुयोग को–आ हा० सो० संत दयानेश्वर मार्ग बम्बई – 400081	
293.	042611	श्री जोशी भूपेन्द्र प्रताप सिंह 50 जी० एम० एस्सो बिल्डिंग सिविल कोर्ट के निकट गांधी धाम – कुच गांधीधाम – 370201	01–10–93
294.	042725	श्री शेषाद्री वी सी०/ इरनस्ट एंड यंग पोस्ट बाक्स – 140 मनामा बरहीन – 0	01–10–93

1	2	3	4
295.	042834	श्री नाम्बियार राजेन्द्र पी० ए- 8 क्रिमिटिना 15/16, श्रीनगर इस्टेट गोरेगांव – वेस्ट बम्बई – 400064	01-10-93
296.	042848	श्री पटोडिया राम अवतार 158/208, जनकल्याण नागर, मारवे रोड, खरोडी मलाड – वेस्ट बम्बई – 400094	01-10-93
297.	042884	श्री पटेल स्नेहल महावीर 218/एम – 13, जुहू शांतिवन गुलमोहर रोड नं० 6 जे० श्री० पी० डी० एस० बंबई – 400049	01-10-93
298.	042902	श्री रुगंटा पवनकुमार रामप्रास 6, करीम चैम्बरस, 40 हमाम स्ट्रीट बंबई – 400023	01-10-93
299	043041	मिज दुरवानी मीना बिहारीलाल लुपिन लैबोट्रीजल कालीना, बंबई– 400061	01-10-93
300.	043064	श्री अय्यर नटराजन रामचंद्रा 20/180, शिवगीत, गोडोदिया नगर घाट कोपर, बम्बई – 400077	01-10-93
301.	043087	श्री ठाकुर संजय सुंदरलाल 204, अश्विनी अपना घर, 4 बंग्लोज अन्धेरी – वेस्ट बंबई – 400058	01-10-93
302	043091	श्री सोमैय रमन त्रिठ्लवास 27, वृदावन खेतवाडी 12 वां लेन बंबई – 400004	01-10-93
303.	43097	श्री तलपदे वैभव कुंजविहार ग्राउन्ड फ्लोर, हाऊस नं 30 डी "मोन्ते स्ट्रीट बान्दा बम्बई – 400050	01-10-93
304.	043119	श्री रामचंद्रन अय्यालूर श्रद्धा नं 16, भावना गोशाला रोड मुलुंड-वेस्ट बम्बई – 400080	01-10-93
305.	43141	श्री शीष पंडित भाविक 37, अल उल सोसायटी कुबीपुराकके पीछे, पालदी अहमदाबाद – 380007	01-10-93

1	2	3	4
306.	043176	श्री रौड्रिक्स क्रिसेंसिया डी : आर० एम 14/जी पर्ले मेशन आचार्य दोन मार्ग परेल बंबई – 400012	01–10–93
307.	043180	श्री चोपड़ा ओमप्रकाश 6 मोती अपार्टस् जैन कालोनी तेरापंत भावन लेन साहीबाग पुलिस के निकट चौकी साहीबाग अहमदाबाद – 380004	01–10–93
308.	043213	श्री अग्रवाल सुरेन्द्र अग्रवाल सुरेन्द्र एडं एसोसिएटस प्लाट नं० 549, चारकोप, कांदिवली – वे बम्बई – 400060	01–10–93
309.	043318	श्री गोपालकृष्णन एस० फ्लैट नं० 203 बिल्डिंग सी० – 2ए "अनंत" वसंत विहार, 2 रा वसंत विहार, थाना – 400601	01–10–93
310.	043319	श्री अय्यर सोमनाथ सुब्रामनियन 19 नरहरि ओम सोसायटी दंतेश्वर बरोडा–390004	01–10–93
311.	043325	मिज० प्रीति श्यामल पारेख 7 नील पुलिस स्टेशन रोड, विले पारले – वेस्ट, बंबई – 400056	01–10–93
312.	043365	श्री टायटस् माइकेल एन्थोनी, 203 बी०/29 आनंद नगर, वहिसर (ईस्ट) बम्बई – 400068	01–10–93
313.	043422	श्री शर्मा सुनील गिरवरनारायण 47, 2 रा भावाडा, भुलेश्वर कालबादेवी, बंबई – 400002	01–10–93
314.	043429	श्री गोयल अनील अनिल गोयल एडं कं० ई–7, हरमीज अपार्टमेंट भट्ट लेन, एस० वी० रोड बोरीवली – वे बंबई – 400092	01–10–93

1	2	3	4
315.	043466	श्री आचार्य नवीनचंद्र करम 13711 एस० वी० 84 वां रास्ता यूनिट "डी" मियामी, एफ० एल० – 33183 यू० एस० ए०–0	01–10–93
316.	043487	श्री रावल भाविन गिरिशकुमार पो० बा० – 17734, नैरोबी केनया–0	01–10–93
317.	043508	श्री राठौड़ महेन्द्र गोविंदभाई रतनदेव इंवेस्टमेंट कं० 2 रा मंजिल, रोड नं० 12 विठ्ठल चैम्बरस, कल्यान – वे, कल्यान – 421301	01–10–93
318.	043519	श्री कोठारी श्रीधर अरविंद कु ए० एस० कोठारी एंड एसोसिएटस, 1 पदमा चैम्बरस, गांधीधाम रेलवे स्टेशन के सामने ऐलिसब्रिज अहमदाबाद – 380006	01–10–93
319.	043554	श्री वखे महेन्द्र धरमलाल 27, वी० पी० चपल धनजी वाडी, आर० एस० रोड मलाड – ईस्ट बंबई –400097	01–10–93
320.	043660	श्री मेहता राकेश कॉनवुड हाऊस यशोधाम फिल्म सिटी रोड, गोरेगाँव – ईस्ट बंबई – 400063	01–10–93
321.	043668	श्री इयारकी अब्बास अली सी० /0 आटो सेन्टर पो० बा० 14850 दुबई यू० ए० ई० –0	01–10–93
322.	043071	श्री शाह अमित वर्धमान शाह 86/88, मेहता सदन 401 5 वां मंजिल, भवानी शंकर दादर, बंबई – 400028	01–10–93
323.	043674	श्री वर्मा, हरि शंकर एच० एस० वर्मा एंड कं०, 115, सरस्वती सदन, 1 ला फ्लोर नं० 18 केश० एन० रोड, चिच बंदर, बंबई – 400009	01–10–93
324.	043806	श्री हेमन्त प्रभुदास वसंती हेमन्त पी० वसंती एंड कं० प्रोडक्टीविटी रोड, अलकापुरी बरोदा – 0	01–10–93

1	2	3	4
325.	043856	श्री देसाई फिरोज नयन 45, जरीवाला बिल्डिंग 3 रा मंजिल ताड़देव बंबई – 400034	01–10–93
326.	043917	श्री जैन राजीव 4 गंगोत्री एस० बी० रोड बोरीवली – वेस्ट बंबई – 400092	01–10–93
327.	043927	श्री अरसीवाला मुस्तफायुसुफ अली 38 सैफ जुबीली स्ट्रीट नोमान मंजिल, तीसरी मंजिल बंबई – 400003	01–10–93
328.	044036	श्री तोशनीवाल चन्द्रा प्रकाश बी –9 एकता अपार्ट; सी० पी० टूल्स के सामने एल० बी० एस० रोड मुलुन्ड – वेस्ट बंबई – 400080	01–10–93
329.	044040	श्री कृष्णस्वामी मूर्ति राजेश सी – 12/2 गोदरेज हिलमाइड कालोनी बंबई –400079	01–10–93
330.	044060	मिज० रेगे संगीता श्रीकृष्ण सती स्मृति, बिल्डिंग ब्लांक नं० 1–(ए) रानी सती रोड, मलाड – ई बंबई – 400064	01–10–93
331.	044072	श्री घोलकर संतोष राजाराम 257 वालकेश्वर रोड, बंबई – 400006	01–10–93
332.	044100	श्री वेकटेश्वरन श्रीराम 5/87 बालाजी 2रा रोड चेम्बूर बंबई – 400071	01–10–93
333.	044168	मिज० अय्यर प्रभा नारायणस्वामी भवानी 4–ए माधव नगर नागपुर –400010	01–10–93

1	2	3	4
334.	044194	श्री विनायक कृष्ण चौधरी विनायक चौधरी एंड कं०, संजीवन 85 स्वालंबी नगर, नागपुर –444022	01–10–93
335.	044253	श्री पालियातुसरील कुरियन चन्द 14, विक्रम, 224 /41, एल० बी० एस० मार्ग, कुर्ला, बम्बई – 400070	01–10–93
336.	044316	मिस मदन सुलभा मधुकर 1/ 9 सी– ब्यू सो० स्टेट बैंक कालोनी, 4 बंग्लोज, अंधेरी – वेस्ट बंबई – 400058	01–10–93
337.	044323	श्री जोर्जसुबी घीवरघीज 302 गोदावरी सुविधाम मालाड – ईस्ट बंबई – 400097	01–10–93
338.	044330	श्री संजय कुमार सुन्दरका हाईलैण्ड पार्क, बी– 104, लोखंडवाला कॉम्पलेक्स अंधेरी वेस्ट बंबई– 400958	01–10–93
339.	044333	श्री पारुल नरेन्द्रकुमार शाह 4, शिव शक्ति सोसायटी जलराम टेम्पल के निकट करेलबाग, बरोडा – 0	01–10–93
340.	044334	श्री बुद्धिराजू वेकंट रमन ए-54, कावेरी, रिलाइफ रोड मलाड – वेस्ट बंबई – 400064	01–10–93
341.	044335	श्री रोहित अग्रवाल 404बी, एक्कार्ड लोखंडवाला कॉम्पलेक्स, अंधेरी – वेस्ट बंबई – 400058	01–10–93
342.	044414	श्री संचेती अशोक 610 रहेजा सेन्टर नरीमन प्वाइंट, बंबई – 400021	01–10–93
343.	044428	श्री ठक्कर अनिलकुमार कांतिलाल 10, रोकडनाथ सोसायटी रेसकोर्स सर्कल बरोडा – 390005	01–10–93

1	2	3	4
344.	044485	श्री शेवक वशदेव बचानी द्वारा अबुधाबी इंवेस्टमेंट आंथोरटी, इंटरनल ऑडिट डिपार्ट०, पो० बॉ० – 3600, अबुधाबी – 0	01–10–93
345.	044514	श्री शेख शकिलमियाँ नजिरमियाँ एस० एन० शेख एड कंपनी 90/ 92 लक्ष्मी बिल्ड०, बी–3, ग्रा० फ० क्लेयर रोड, बंबई – 400008	01–10–93
346.	044520	श्री रवीश सिंह सी – 16, लावण्य को० ऑ० हा० सो नाहर रोड, मुलुंड – वेस्ट बंबई – 400080	01–10–93
347.	044524	श्री मेमन साकुब अब्दुल रजाक 6/26, अल–हुसैन कलोनी दरगाह स्ट्रीट, माहीम बंबई–400 016	01–10–93
348.	044527	श्री शावर अरूण कुमार 22, मधुरिमा हा० को० आ० सो० एम० जी० रोड कांदिवली वेस्ट बोरिवली–400067	01–10–93
349.	044761	श्री भलात्मा राम 432, सिल्क हाऊस मार्केट, चौक बाजार, सूरत–397001	01–10–93
350.	044763	श्री संजीव गिरिश चन्द अल शामली ग्राउण्ड ओफ कम्पनीज, पो० बा० 4559, दुबई यू ए ई–0	01–10–93
351.	044575	श्री किरन कुमार चिनुभाई शाह 11 श्रीनाथ अपार्टस ड्राईव-इन सिनेमा के पीछे, स्वपना अपार्टस के सामने, थलताज रोड, अहमदाबाद–380054	01–10–93
352.	044620	श्री एलोसिज घिकेट माइकेल गनसलवेज 16 एम एस/आरबी/11/115 न्यू सेन्ट्रल रेलवे कालोनी, कुर्ला ईस्ट, बम्बई–400044	01–10–93
353.	044690	श्री नेहाते अनन्त वमन श्री एस० एस० वैद्य ए–2, 1 फ्लोर इकोपा गुनसागर नगर कालवा वेस्ट थाने–400605	01–10–93
354.	044714	मिस रूपा श्रीधरे कोठारी 18/208 गोकुल अपार्ट, सोला रोड, नारायनपुरा, अहमदाबाद–380013	01–10–93
3/55.	044728	श्री अय्यर राम 578 कृष्ण महल जी एम रोड, चेम्बूर बम्बई–400089	01–10–93

1	2	3	4
356.	044786	श्री श्री नारायण वेंकटीरमन नं० 12, गीता सदन, सेन्ट्रल एवन्यू रोड, चैम्बूर, बम्बई–400071	01–10–93
357.	044810	श्री थौमस कुरियन ए 4, अजन्ता बायरामजी टाउन नागपुर–440013	01–10–93
358.	044825	श्री अय्यर प्रकाश शिवमनी न्यू सूर्योदय को० आफ० हा० सो० वाशी न्यू बम्बई-400703	01–10–93
359.	044831	श्री अक्षय ज्ञानचन्द कटारिया, द्वारा, जी० सी० कटारिया, एडवोकेट नोटरी, मेन रोड, चन्द्रापुर–442 401	1–10–93
360.	044943	श्री दिनेश कुमार पचोरी, 101/नीलांबुज, डी विंग कमल अपार्टमेन्ट्स, शंकर लेन, कांदिवली–वेस्ट, बम्बई–400 067	1–10–93
361.	045029	श्री निमेश देसाई, 17 वृंदावन सोसायटी, अमरकुंज सोसायटी के निकट, रेस कोर्स, बरोड़ा–390 007	1–10–93
362.	045032	श्री विजय हर्षदराज गांधी, ए/101, दर्शन अपार्टस, सोना वाडी, शिम्पोली रोड कार्नर, बम्बई–400 093	01–10–93
363.	045039	श्री पदमभूषण दिलीपसिंह गोह, 18, अरुण चैंबर्स, ताड़देव रोड़, बम्बई–422 001	01–10–93
364.	045069	श्री सोनाली सुभाष गुप्ते, बी 20 स्टर्लिंग अपार्टमेन्ट्स, पेडर रोड, बम्बई–400 026	1–10–93
365.	045096	श्री एन्थोनी पॉल वेलियिल, 2/207 ए, एनजेल अपार्टट्स, आई० सी० कालोनी, रोड नं० 4, बोरीवली–वेस्ट, बम्बई–400 103	1–10–93
366.	045112	श्री मेहता राजू जगदीशचन्द्र, 9 कृष्णा भवन, पी० पी० रोड, अंधेरी–ईस्ट, बम्बई–400 069	1–10–93
367.	045119	श्री अहलुवालिया पवन प्रेमचन्द 25 नंद अपार्ट्स, पंच पाखड़ी, थाने–वेस्ट, थाना–0	1–10–93
368.	045124	श्री राजेश किशोर शाह टॉय हाउस, फ्लैट नं० 2, ग्राउन्ड फ्लोर, 16, के० डी० रोड, रसराज होटल लन, विले पारले–वेस्ट, बम्बई–400 056	1–10–93

1	2	3	4
369.	045127	श्री शिवराम राजगोपाल प्लाट नं० 39, ब्लाक नं० 1, मोती महल, सायन–वेस्ट, बम्बई–400 022	01–10–93
370.	045220	श्री संदीप बत्रा, फ्लैट नं० 1 के० एच० किशोर दर्शन, फोर बंग्लोज, अंधेरी–वेस्ट, बम्बई–400 058	01–10–93
371.	045236	श्री कल्लत्तु हरीश रामकृष्ण, क्रेस्ट पेपर मिल्स लि०, तरुण प्लास्टिक कम्पाउन्ड, 2रा मंजिल, मोगरा, अंधेरी–ईस्ट, बम्बई-400 069	01–10–93
373.	045252	श्री मेहता राजुश रतिलाल द्वारा, मेहता दोहावजी नारनजी एंड कं०, मेन रोड, ग्राम पड्घरी, राजकोट–360 110	01–10–93
374.	045254	श्री क्षत्रपाल डी० सरगिया, 408–सी, निरंजन 99, मरीन ड्राईव, बम्बई–400 002	01–10–93
375.	045269	श्री दिनेश कुमार के० आर०, के० आर० दिनेश एंड कं०, द्वारा, पी० आर० प्रभाकरन, 33/865, नेहरू नगर, कुर्ला–ई०, बम्बई–0	01–10–93
376	045284	मिस०, सुगन्धी गनेश, 11, उषा, छेड़ा नगर, चेम्बुर, बम्बई–400 089	01–10–93
377	045430	श्री मर्चेंट जरसिस सोरब 666, ओरिएन्ट हाउस, 3रा फ्लोर, पारसी कालोनी, लेडी जहांगीर रोड, दादर, बम्बई–400 014	01–10–93
378	045432	श्री दत्ता राकेश जगदेव 10, देवरूप, 36 सी, टर्नर रोड, बान्द्रा, बम्बई-400 050	01–10–93
379	045500	श्री मोदी अलापनवीन चन्द्र, 9, अमृतबाग सोसायटी, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380 014	01–10–93
380	045637	श्री बगाय हरिन्द्र सुरिन्दर, 10, आइरिस, कफ परेड, कोलाबा, बम्बई–400 004	01–10–93
381	045675	श्री पारेख प्रशान्त दिनेशचन्द 4/2, सैनी भवन, जी० एम० रोड, चेम्बूर, बम्बई–400 089	01–10–93
382	045696	श्री सेठी अशोक चंदमालजी, 7 मयूर काम्प्लैक्स, 2रा फ्लोर, औरंपुर बाजी मंडी के सामने, औरंगाबाद–0	01–10–93

1	2	3	4
383.	045708	मिस० भवनानी नंदिता नारायण 31 दरिया महल "ए", 80, नेपेनसियन सी रोड, बम्बई–400 006	01–10–93
384.	045773	श्री अधरकर मिलिंद वामन, 31–बी, जयप्रकाश नगर, रोड नं० 3, गोरेगांव–ई, बम्बई–400 063	01–10–93
385.	045764	श्री वैरियर मेघनाद, जेएन 4–6/15, सेक्टर 9, वाशी, न्यू बाम्बे–400 703	01–10–93
386.	045907	श्री वर्मा सुनील बजरंगलाल 24 शृंगीला अपार्टस कोलाबा पोस्ट आफिस के सामने, कोलाबा, बम्बई–400 005	01–10–93
387.	045987	श्री मेहता राजन जयंतकुमार द्वारा, आर० कामदार बिल्डिंग 41 807 पोइसर कीर्ति को० हा० समता नगर कांदिवली–ई, बम्बई–400 101	10–93
388.	046193	श्री अनिल पीटर एम्फेट्रोनिक्स लि० भोसारी, पुने–411 026	10–93
389.	046277	श्री खुराना विपिन सुदर्शन ए–1/5, सेंचुरी सरायोन, शाहाड शाहाड–421 103	01–10–93
390.	046285	श्री कुलकर्णी शेखर मधुकर 5 मधुमहाती 9, हाईवे स्ट्रीट, नमपाडे, गोविन्द पथ, बम्बई–400 602	01–10–93
391.	046453	श्री रुईया संजय कुमार, डीबीएस हाऊस, फर्स्ट फ्लोर, 31 मरजबान रोड, फोर्ट बम्बई जिमखाना एनएन के निकट, बम्बई–400 001	01–10–93
392.	046474	मिस० दवदा इंदिरा दुगंरशी, 18, हीरा सदन, आर आर 7 रोड, मुलुन्ड–ई, बम्बई–400 080	01–10–93
393.	046482	श्री पण्डित मलेय शिरीषभाई, 37, अमूल सोसायटी, पालदी, अहमदाबाद–380 007	01–10–93
394.	046484	श्री ठक्कर सुभाष कुमार चीमा दर्पण बिल्डिंग, 7 वां फ्लोर, एक्सप्रेस होटल के निकट, बरोडा–0	
395.	046533	श्री शाह किरन विरेन्द्र, 9ए साकेर अपार्टमेन्ट्स, पोचखाना वाला रोड, वरली, बम्बई–400 025	01–10–93

1	2	3	4
396.	046544	श्री राने दिनेश अनन्तराव डी 62, प्रसन्ना जीवन सो० बोरीवली–वेस्ट, बम्बई–400 092	1–10–93
397.	046620	श्रीधुत रमनलाल बालकिशन, 280, शिवाजी चौक, ओशार एम आई जी, नासिक–422 206	1–10–93
398.	046626	श्री गुप्ता प्रेमलता दिनेश चन्द 31, उत्तर गुजरात पटेल्स सो० नं० 1, असारवा, अहमदाबाद–380 016	1–10–93
399.	046631	श्री देवरंजन रानरसिम्हा, 1/32, सर्वोदय इस्टेट चेम्बूर, बम्बई–400 071	1–10–93
400.	046640	श्री राम कुमार के बिल्डिंग 65, फ्लेट 651, सैक्टर 2, सी जी एस क्वार्टर्स, एन्टाप हिल्स, बम्बई–400 037	1–10–93
401.	046645	श्री लोधा मनोज लाल चन्द, शाप नं० 128, फर्स्ट फ्लोर, बी बी एम गोलानी मार्केट, जलगांव–425 001	1–10–93
402.	046658	श्री जैन अलकेश कुमार सी/ओ, आर एम टेक्सटाईल्स, 42/44–ए, न्यू हनुमान लेन, 3 रा मंजिल, कालबादेवी रोड, बम्बई–400 002	1–10–93
403.	46671	श्री शाह पराग द्वारका दास, 18 /बी, यशश्रीन कमला नेहरू रोड नं० 1, कांदिवली–वेस्ट, बम्बई–400 067	1–10–93
404.	016682	मिस० कपूर संगीता राजेन्द्र बी/602, संजीव इनक्लेव, जे० पी० रोड, 7 बंगलोज, अंधेरी–वेस्ट,, बम्बई–400 061	1–10–93
405.	046694	श्री/ साथी श्रीधर, 14/100, लक्ष्मी सदन, पी० एल० लोखनडे मार्ग, चेंबूर, बम्बई–400 089	1–10–93
405.	046728	श्री सोनी सुरेश चन्द्र एम–111–2, टाटा हाऊसिंग सेशन, एल० बी० पार्क रोड, अंधेरी–वे०, बम्बई–400 058	1–10–93
407.	046734	श्री डिसूजा रोनाल्ड अलैक्जैन्डर, सी/501, दीप दर्शन, आय० सी० कालोनी, बोरीवली–वेस्ट, बम्बई–400 103	1–10–93
408.	046735	श्री जवाहर किशन गोपाल बी-1, फर्स्ट फ्लोर, मालेगाडी, दहिसर–वेस्ट, बम्बई–400 068	1–10–93

1	2	3	4
409.	046746	श्री जैन अजय द्वारा : मोतीलाल जैन, 315, ब्लाक बी–5, 3 रा मंजिल, केसर अली, गोकुल नगर, भिवंडी–0	1–10–93
410.	046749	श्री शाह राजेन्द्र प्रसाद द्वारा : एम आर जी एस हीरानन्दनी, सरस्वती रोड, सान्ताक्रुज, बम्बई–400 054	1–10–93
412.	046753	मि० किनीकर स्वाति सुधाकर ए/8, उषाकाल अपार्टमेन्टस, 1010 शिवाजी नगर, पुने–411 016	1–10–93
412.	046778	श्री जोगिन्दर सिंह फ्लैट 16, हरिकृष्ण धाम, बैनर रोड, पुने–0	1–10–93
413.	046796	श्री गौरव सम्भाजी बापूराव, 1241, सदाशिव पथ, पुना–411 030	1–10–93
414.	046850	श्री शाह राजेन्द्रकुमार बाबूलाल, 105, नीलम, माडेलटाउन, बी/एच प्रताप नगर, सेवेन बंगलोज, अंधेरी–वेस्ट, बम्बई–400 058	1–10–93
415.	046871	श्री शाह नीरव धनसुखलाल, 6 हनुमान निवास, पोद्दार रोड, मलाड–ई, बम्बई–400 097	1–10–93
416.	046891	मिज. गुप्ता अलका परमेश्वर प्रसाद वामनले, भवन, माता मंदिर रोड, धरमपथ, नागपुर–10	1–10–93
417.	0468006	मिज. मुकदम शानिया हामिद बी/39/360, एम आयजी कालोनी, गांधीनगर, बान्द्रा– ईस्ट, बम्बई–400 051	1–10–93
418.	050294	श्री डे भौमिक, अशीम कुमार, एडमीनिस्ट्रेशन मैनेजर, क्राम्पटॉन ग्रीव्स लिमिटेड, स्वीचगियर डिवीजन, अमबाड, नासिक–0	1–10–93
419.	050914	श्री कपाडिया हरेन्द्र जगमोहन महेन्द्र कपाडिया 3/416, पंच हठी रोड, बैंक आफ बरोडा के निकट, मलेसार, जिला सुरत्सार, नवसारी–396 445	1–10–93
420.	051521	श्री गर्ग विनोद कुमार, 16 विजय नगर, छावनी, नागपुर–440 001	1–10–93

1	2	3	4
421.	053166	श्री रमेश एस० जी०, 43-ए जॉली मेकर अपार्टस्, नं० 1 कंप पैरेड बंबई-400 005	1-10-93
422.	053262	श्री कृष्ण एम० ई० रीडिंग एंड बैटिंस एक्सप्लोरेशन को, अशोक हाल 2 रा फ्लोर एस वी. रोड, विले पारले, बम्बई-400 056	1-10-93
423.	053364	श्री सुराना अजित मुश्तफा बिल्डिंग, 3 रा मंजिल, 7ए सर पी एम रोड, बम्बई-400 001	1-10-93
424.	053631	श्री नोगी, सोम शंकर, असिस० एकाउन्टैट्स आफिस आर० इंस० स०, एकाउन्ट्स डिपा० टी एयर इंडिया, ओल्ड एयर पोर्ट, बम्बई-400 029	1-10-93
125.	053725	श्री भंडारी महेन्द्र भंडारी महेन्द्र एंड एसोसिएट्स, 45, साकेत साव हाउसेज, अहमदाबाद-380 052	1-10-93
426.	054344	श्री ठाकरे शरद 81, राजकुन्द सोसायटी, आर पी एफ कालोनी के पीछे, चेम्बुर, बम्बई-400 071	1-10-93
427.	054619	श्री चंद रंजीत कुमार आर० के० चंद एंड एसोसिएट्स, भटदा चेम्बर्स, 2रा मंजिल, अनाज बाजार, इतवारी, नागपुर-440 002	1-10-93
428.	055230	श्री सुनील अग्रवाल, सी०/ओ, सतीश अग्रवाल एक्सपोर्ट सेंचुरी, टैक्सटाईलस एवं इंड० लि०, सेंचुरी, भवन, वरली, बम्बई-0	1-10-93
429.	070726	श्री परवीन कुमार राव डी, सी/ओ, डा० बी० रोड, 302 विष्णु, प्लाट नं० 37, इंद्रानी, आउटसाइड, दिल्ली गेट, औरंगाबाद-431 001	1-10-93
430.	071363	श्री विजय कुमार गोयल, गोयल विजय एंड कं० 14, न्यू सिल्वर हाउस, 15 कन्तवा रोड, पेरी क्रास रोड के सामने, बांद्रा, बम्बई-400 050	1-10-93
431.	071750	श्री व्यास परमेश्वर एस, पी० व्यास एण्ड कं० 32 जाली मेकर चैम्बर्स नं० 2, नरीमन प्वाइंट, बम्बई-400 021	1-10-93
432.	071896	श्री अनिंदया दत्ता टाटा हाउसिंग सेंटर, के आई/12, लालूभाई रोड, अंधेरी-वेस्ट, बम्बई-0	1-10-93

1	2	3	4
433.	072396	श्री जैन प्रदीप कुमार 11/215, कार्लस बरी हाऊस, शेरे-ई-पंजाब को-आप० हा० सो० एलटी, महाकाली केवस रोड, अंधेरी–ई, बम्बई–0	1–10–93
434.	072746	श्री भंडारी राकेश पी, मैनेजर एकाउन्टस, सेंचुरी इनका लि० भोसारी, पुना–411 026	1–10–93
435.	072974	श्री भन्साली पंकज ए–1 भारत नगर नागपुर–440 001	1–10–93
436.	073076	श्री अतुल भहरोत्रा 141/1ए प्लॉट नं० 5 बनर रोड, आयटीआय के बगल में ऊध, पुने–411007	1–10–93
437.	074022	श्री मदन लाल संचेती, एम० एल० संचेती एंड कं०, ए–203, फेयरडील हाउस, स्वास्तिक चार रास्ता, नवरंगपुरव, अहमदाबाद–380 009	1–10–93
438.	080697	श्री महिन्दर कुमार , एल टी, 19/33, एल एंड टी कोऑपरेटिव विजय नगर, अंधेरी–ई, बम्बई–400 059	1–10–93
439.	084410	श्री अग्रवाल अनुराग मोहसीन हैदर दारवीश एल एल सी, पो० बॉ० 3880 रुवई सुल्तानेट, ऑफ ओमान, सुल्तानेट ऑफ ओमान–0	1–10–93
440.	084717	मिज० रामशंकर, फ्लैट नं० 32, मीना आर बी, मेहता मार्ग, घाटकोपर, बम्बई–400 077	1–10–93
441.	086167	श्री शशि कान्त खण्डेलवाल, एल/21/13, लोअर परेल, एन० एम० जोशी मार्ग, बम्बई–400 039	1–10–93
442.	086464	श्री संजय ईसरानी फ्लट नं० 1, बेलवेडरे, 79 वार्डन रोड, बम्बई 400 026	1–10–93
443.	086798	श्री स्वेन ए० सी० बीडीए, लिमिटेड, प्लाट नं० 6, एम आई डीसी चिकल थाना, महाराष्ट्र औरंगाबाद–0	1–10–93
444.	087148	श्री जलान सुभाश चन्द्रा रमनी व्हीन्नी मूरे एंड कं०, पोस्ट बॉक्स नं० 213, धहरान एअरपोर्ट 31932, सऊदी इरबिया–0	1–10–93

1	2	3	4
445.	090186	श्री लक्ष्मन चतुर्वेदी, लक्ष्मण एंड कं०, ए-203 शिव कृपा, लोखंडवाला काम्पलैक्स, 4 बंगलोज, अंधेरी–वेस्ट, बम्बई–400 058	1–10–93
446.	200080	श्री शिवरमन एन, 1/2ए, जवान नगरे, भानुसती नगर, तिलक रोड, घाटकोपर–ई, बम्बई–400 007	1–10–93
447.	200460	श्री सैईदकान्थ, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुटरल फण्ड 19 वां मंजिल, मेकर टावर ई कफ पैरेड, बम्बई–400 005	1–10–93
448.	200885	श्री राघवन पी, सी/ओ, ईस्सार गुजरात लि०, मेकर चैम्बरस 4 नरीमन प्वाइंट, बम्बई–400 017	1–10–93
449.	201238	श्री चन्द्रशेखरन शंकर, 3/265, हैप्पी होम, शेर-इ-पंजाबी, को-आप० सो० ,अंधेरीवेस्ट, बम्बई–400 093	1–10–93

ए० के० मजूमदार,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय)

संख्या : य्-16/53/1/90-चि.-2 (महाराष्ट्र/संग्रह-2)—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम, 1950 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25/4/1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण के द्वारा मैं बम्बई के डा. भगवती एस. जौहरी को विद्यमान मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 7-2-94 से 6-2-95 तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निदेशों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि तक, इसमें से जो भी पहले हो, बम्बई केन्द्र के बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता में संदेह होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

एल. बी. परियार,
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय

(केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 1994

सं. 2/1959/डी. एल. आई./तक्जाम/89/भाग-1/1002—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, जी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, जी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–1

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	भारत सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना सं० व दिनांक	छूट समाप्त तिथि	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० कन्ट्रोलस एण्ड स्कीमैटिक्स प्रा० लि०, 3–6–584/जी, हिमायातनगर, हैदराबाद–500029 (आन्ध्र प्रदेश)	ए०पी०/5008	2/1959/डी०एल० आई०/89/एक्जाम/ पार्ट–1 दिनांक 3–9–91	30–11–92	1–12–92 से 30–11–95	2/3752/91–डी०एल०आई०
2.	मै० आन्ध्रा बैंक फारमर सर्विस कोप० सोसाइटी लिमिटेड, कोरवी, बारांगल—जिला (ए०पी०) 506105	ए०पी०/5855	—वही— दिनांक 10–4–92	30–9–92	1–10–92 से 30–9–95	2/4113/92–डी०एल०आई०
3.	मै० प्रीकोट मिल्स लिमिटेड, बी यूनिट, कोडीगेनाहाली, एच० एस० मंदिर–515212 हिन्दुपुर (ए०पी०)	ए०पी०/14353	—वही— दिनांक 24–2–92	31–8–90	1–9–90 से 31–8–93	2/2134/89–डी०एल०आई०
4.	मै० श्री वेन्केटशवरा ग्रामीण बैंक एच० ओ० पी० बो० नं० 17, चितूर–517001	ए०पी०/13273	—वही— दिनांक 11–1–92	30–9–92	1–10–92 से 30–9–95	2/1563/86–डी०एल०आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-II 1026—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के लागू होने से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—1

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा दिनांक जिसके द्वारा छूट प्रदान की गई है	छूट की समाप्ति तिथि	छूट की बढ़ाई गई तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० अक्षय टेक्सटाइल्स लि०, पी० बी० नं० 2008 गणपति कोयम्बटूर—6	टी०एन०/2395	2/1959/डी० एल०आई०/एक्जाम/89/ दिनांक 5-3-92	10-9-91	11-9-91 से 10-9-94	2/598/92 डी०एल०आई०
2.	मै० एस० के० एम० पोलटरा सर्विस मारकेटींग सेन्टर, 49 सी, गांधी जी रोड, इरोड—638002	टी०एन०/10725	—वही— दिनांक 21-7-92	27-8-92	28-8-92 से 27-8-95	2/2073/89 डी०एल०आई०
3.	मै० हिन्दुस्तान टेक्टाईल्स, 1/405, के० बधामदुराई (पी० ओ०) कोयम्बटूर—641017	टी०एन०/11505	—वही— दिनांक 21-7-92	31-10-90	1-11-90 से 30-11-93	2/4188/92 डी०एल०आई०
4.	मै० कोयम्बटूर राजेन्द्र इंडस्ट्रीयस, 7 जयराम पलायम रोड, गणपति (पो० आ०) कोयम्बटूर—641005	टी०एन०/17520	—वही— दिनांक 26-12-90	31-12-90	1-1-91 से 31-12-93	2/3129/90-डी०एल०आई०
5.	मै० सगोसर्वे, जगारम्मा पलायम जोमलूर मैन रोड, सलैम—636302	टी०एन०/17730	—वही— दिनांक 26-10-90	30-9-90	1-10-90 से 30-9-93	2/2048/89-डी एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कृते : केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 4 मार्च 1994

सा. का. सं. 2/1959/डी. एन. आई/एक्जाम/89/भाग-1/1050—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 2 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक व सं० जिस द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की प्रभावी तिथि	छूट बढ़ाई गई तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० लक्ष्मी मिल्स कं० लि० 348, अपमाशी रोड, पप्पनायकनपलायम कोयम्बटूर–37	टी०एन०/57 टी०एन०/57–ए	2/1959/एक्जम/डी० एल०आई० दिनांक 2–1–91	28–2–90	1–3–90 से 31–5–91	2/3295/90/ डी०एल०आई०
2.	मै० लक्ष्मी मिल्स कं० लि० पल्लादम शाखा कुपास्वामी नायडू पुरम (पोस्ट) कोयम्बटूर–633664	टी०एन०/57–ए	—वही—	28–2–90	1–3–90 से 31–5–91	—वही—
3.	मै० कारंगार स्पिनरस प्रा० लि० पेथापमपटी—638205	टी०एन०/8400	—वही— दिनांक 2–10–89	31–5–90	1–6–90 से 31–5–93	2/1855/88/ डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सा. का. सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जम/89/भाग 1/1058—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना सं० व दिनांक	छूट समाप्ति तिथि	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० स०
1	2	2	4	5	6	7
1.	मै० हिन्दुस्तान थामप्सन एसोशियेट्स, लक्ष्मी बिल्डिंग, सर पी एम रोड बम्बई–1 शाखा सहित	महा/3966	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम/ 10–4–92	28–2–93	1–3–93 से 29–2–96	2/421/80/ डी०एल०आई०
2.	मै० कालमा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० 7, ग्यावाडी इण्ड० एस्टेट एस०वी० रोड गोरे गांव (वेस्ट) बम्बई–400062 (शाखा सहित)	महा/4260	––वही–– 14–292	31–5–93	1–6–93 से 31–5–96	2/3998/92/ डी०एन०आई०
3.	मै० किलाचन्द देव चन्द एंड कं० लि० ओरीयेन्टल हाऊस, टी० डी० रोड, चर्च गेट रेकलामेशन बम्बई–20 तथा इसकी शाखाएं	महा/4290	––वही–– 23–12–91	31–1–93	1–2–93 से 31–1–96	2/3908/91/ डी०एन आई
4.	निकोलस पीरामल इंण्डिया लि० सन ट्राम्बे रोड, देव नगर, बम्बई–400088	महा/4505	––वही–– 31–1–92	2–3–93	3–3–93 से 2–3–96	2/799/82/ डी०एल०आई०
5.	मै० गिन्नरस एंड प्रैसर्स लि० ओरियेण्टल हाउस 5वी मंजिल 7 जे०टी० रोड, चर्च गेट रेकलामेशन बम्बई–20 तथा इसकी शाखाएं	महा/5205	––वही–– 9–4–92	31–1–93	1–2–93 से 31–1–96	2/405/92 डी०एल०आई०
6.	मै० इण्डियन डाइस्टप इण्डस्टफ लि० शाहाद रेलवे स्टेशन के पास पो० बा० 227, कल्याण—421304	महा/9400	––वही–– 31–1–92	28–2–93	1–3–93 से 29–2–96	2/867/83/ डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
7.	मै० यूनीवैक्स आलास प्रोडक्ट्स लि० लिबर्टी बिल्डिंग सर विट्ठलदास ठाकरसे मार्ग, बम्बई–400020	महा/13893	2/1959/डी०एल०आई/एक्जम/ 20-9-91	31-5-93	1-6-93 से 31-5-96	2/3802/91 डी०एल०आई०
8.	मै० हाउसिंग डेवलेपमेंट फाइनेन्स कार्प० लि०, 169 बैकबे, बम्बई–400020 तथा इसकी शाखाएं	महा/20972	—वही— 11-7-91	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96	2/2122/89/ डी०एल०आई०
9.	मै० हिन्दुस्तान डायमंड कं० लि० एटलंटा 15, वी मंजिल नारीमन पायंट, बम्बई-400021 तथा इसकी शाखाएं	महा/21088	—वही— 13-11-91	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96	2/3845/91/ डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-1/1066—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा दिनांक जिस द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की समाप्ति की तिथि	छूट की बढ़ाई गई तिथि	के०भ०नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दी कोयम्बटूर डिस्ट्रीक कनजुमरस को०ओ० होल सैल स्टोर लिमिटेड के०—881 पोस्ट बैग नं० 1098 आर० एस० पुरम, कोयम्बटूर—641002	टी०एन०/2616	एस—35014/415 82—पी० एफ० 11 दिनांक 11—12—82	10—12—85	11—12—85 से 10—12—88 11—12—88 से 10—12—91 11—12—91 से 10—12—94	2/784/82—डी०एल०आई०
2.	मै० दी धर्मापुरी डिस्ट्रिक को० ओ० बैंक लि०, धर्मापुरी—636701	टी०एन०/4147 —ए	एस—35014/109/83 —एस०एस० 1 दिनांक 28—7—86	27—7—89	28—7—89 से 27—7—92 एण्ड 28—7—92 से 27—7—95	2/32/76—डी०एल०आई०
3.	मै० अहोरा वेल्डींग इलैक्ट्रोड, मनुफैक्चर्रस लिमिटेड, एस० एफ०—308 एण्ड 14413 थीरुमलायम पलायम, कोयम्बटूर पलधाट रोड, कोयम्बटूर—641105	टी०एन०/9488	एस—35014/12/84 —पी० एफ० 1 दिनांक 9—2—87	30—3—90	31—3—90 से 30—3—93 31—3—93 से 30—3—96	2/1014/85—डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनकूल हो जो एकल स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि ऐसे राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन सब सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1074—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक व सं० जिस द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की प्रभावी तिथि	छूट की बढ़ाई गई तिथि	के भ० नि० आ० फा० सं०
1.	मै० प्रकाश चेन एण्ड कं०, 156, थाम्बु चेट्टी गली मद्रास–600001	टी०एन०/22231	2–1959–डी०एन आई० 10–9–90	28–2–90	1–3–90 28–2–93	2/2823/90–डी०एल०आई०
2.	मै० ओम सिंदुरम होटल्स लि० नं० 24, ग्रीमा लेन, ग्रीम रोड, मद्रास–600006	टी०एन०/23342	—वही— 2–2–93	30–10–92	31–10–92 31–3–93	2/4374/92–डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड–क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ हटाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जाम/89/भाग-2/1082—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—II

क्र० स०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना सं० व दिनांक	छूट समाप्ति तिथि	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० मनोहर प्रिंटिंग प्रैस बिबार, राजस्थान	आर०जे०/225	2/1959/डी० एल० आई०/एक्जम/89 10-12-92	28-2-92	1-3-28-2-95	2/4460/92 डी०एल०आई०
2.	मै० आसाम रोलर फ्लोर मिल्स लि० जोधवाडा रोड़ जयपुर	आर०जे०/397	—वही— 10-12-92	31-3-92	1-4-92 31-3-95	2/4459/92 डी०एल०आई०
3.	मै० ओ० एस० मोटर्स लि० चोपासनी रोड, जोधपुर राजस्थान ।	आर०जे०/1383	—वही— 2-4-93	31-12-91	1-1-92 31-12-94	2/2321/89 डी०एल०आई०
4.	मै० रामबाग पैलेस होटल प्रा० लि० भवानी सिंह रोड़ जयपुर ।	आर०जे०/1692	—वही— 29-1-90	3-1-91	4-1-91 3-1-94	2/1131/89 डी०एल०आई०
5.	मै० राजस्थान वाच मैनुफैक्चरर्स डी-468 बी, रोड नं० 9ए, वी० के० आई० एरिया जयपुर ।	आरजे०/2679	—वही— 1-10-92	30-4-92	1-5-92 30-4-95	2/4192/92 डी०एल०आई०
6.	मै० थार आंचलिक ग्रामीना बैंक ए-54, शास्त्री नगर जोधपुर ।	आर०जे०/4110	—वही— 28-9-89	30-10-90	1-11-90 30-10-93	2/2557/90 डी०एल०आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्विष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोज्यक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 7 मार्च 1994

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1098—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—II

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड स०	भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक व सं० जिस द्वारा छूट प्रदान की गई	छूट की प्रभावी तिथि	छूट बढ़ाई गई तिथि	के०भ०नि०आ० आ० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दिनाकार लिथो प्रिंटरस (प्रा०)लि० बी–5 इंडस्ट्रीज एस्टेट, विजयवाडा–520007	ए०पी०/13522	2/1959/डी०एल० आई०/89/411/ 2–2–93	29–2–92	1–3–92 28–2–95	2/2445/90/ डी०एल०आई०
2.	मै० डेल्टा एगरो केमीकल्ज (प्रा०)लि० सेरी नरासनापलयम बापूलापाडू मन्डलम वोरा वाली (पो० आ०) 521110 कृष्णा जिला	ए०पी०/13630	—वही— 24–3–93	31–8–92	1–9–92 31–8–95	2/4629/92/ डी०एल०आई०
3.	मै० दि कृष्णावेमी एग्रो आयल प्रोडुक्टस लि० मल्यापलम गुडीवाडा–52301 कृष्णा जिला	ए०पी०/16507	—वही— 17–10–92	30–6–92	1–7–92 30–6–95	2/4153/92/ डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1106—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची- II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	भारत सरकार द्वारा दी गई अधिसूचना दिनांक व सं०	छूट समाप्ति तिथि	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा०सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० दि निजाम सुगर फैक्टरी लि० फतेह मैदान रोड पो० बा० नं० 1 खैराताबाद हैदराबाद–500004 (शाखाएं सहित)	ए०पी०/158 28,940, 41 और 6110	2/1959/डी०एल० आई० एक्जम/89/ 2–5–93	28–2–93	1–3–93 29–2–96	2/2903/90/ डी०एल०आई०
2.	मै० न्यूट्रीन कान्फेक्सनरी कं० लि० बी० वी० आर० कालोनी, चित्तौर–517001 और इसकी शाखाएं जो इसी कोड नं० में है	ए०पी०/1269	—वही— 9–12–91	13–9–93	14–3–92 13–9–96	2/1455/86/ डी०एल०आई०
3.	मै० दि आन्ध्रा प्रदेश हैंडलूम विवरस कोपरेटिव सोसायटी लि० विवरस भवन 3–5–770 नरायणा गूडा हैदराबाद (ए०पी०)	ए०पी०/1406	—वही— 10–9–91	28–2–93	1–3–93 29–2–96	2/3769/91/ डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० ई० सी० आई० एल० पोस्ट आफिस हैदराबाद।	ए०पी०/3260	2/1959/डी०एल०आई० एक्जम/89/2-5-93 22-12-92	28-2-93	1-3-93 29-2-96	2/22/76/ डी०एल०आई०
5.	मै० हैंगलेडस डेनीसन लि० पतानचेरु-502319 मेदक डिस्ट्रीक	ए०पी०/4238	—वही— 22-5-90	28-2-92	1-3-92 28-2-95	2/2698/92/ डी०एल०आई०
6.	मै० रायलसीमा ग्रामीण बैंक, एच० ओ० पी० बो० नं० 65, कुडडप्पा-516001 आन्ध्रा प्रदेश	ए०पी०/6075	—वही— 27-3-90	2-3-93	3-3-93 2-3-96	2/982/83/ डी०एल०आई०
7.	मै० ए० पी० स्टेट पुलीस हाऊसिंग कारपोरेशन लि० डाइरेक्टर आफ जनरल आफ पुलिस आफिस कम्पाऊण्ड सेफाबाद।	ए०पी०/6149	—वही— 27-3-92	28-2-93	1-3-93 29-2-96	2/2910 93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के पेंशन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण, प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के सावधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है, अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-1/1130—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची—II

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड सं०	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के०भ०नि०आ० फाईल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० देवान प्लास्टिक्स लि० 147, ग्रीमस रोड, मद्रास–600006	टी०एम०/3139	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम०/89 पार्ट दिनांक 8–3–90	28–2–92	1–3–92 से 28–2–95	2/2418/90/ डी०एल०आई०
2.	मै० गेस्ट कीन वीलम्स लि० पन्थेन रोड, मद्रास–600008	टी०एम०/3768	दिनांक 21–10–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/558/81/ डी०एल०आई०
3.	मै० क्वालटी प्रोडक्ट (प्रा०) लि० अम्बत्तूर, मद्रास–600058	टी०एन०/3846	दिनांक 3–4–93	31–1–91	1–2–91 से 31–2–94	2/4054/92/ डी०एल०आई०
4.	मै० वी० एस० टी० सर्विस स्टेशन (विल्लौर) 144, अन्नासलाई मद्रास–600002	टी०एन०/3045 –बी	दिनांक 5–2–90	27–1–93	28–1–93 से 22–1–96	2/958/83/ डी०एल०आई०

1	2	3	4	5	6	7
5.	मै० तमिलनाडु सीमेंट कारपोरेशन लि० 235 अन्नासलाई, मद्रास–600002	टी०एन०/1132	एस–35014 (269)82 दिनांक 18–12–82	17–12–85	18–12–85 से 17–12–88, 18–12–88 से 17–12–91 और 18–12–91 से 17–12–94	2/762/82/ डी०एल०आई०
6.	मै० वीरागाका टैक्सटाईल्स प्रा० लि० उधीरामीरर–603406	टी०एन०/7768	2/1959/डी०एल० आई० एक्जम०/89/ पार्ट–1 दिनांक 3–5–91	30–7–91	31–7–91 से 31–7–94	2/3445/91/ डी०एल०आई०
7.	मै० एस० एण्ड एस० पावर स्वीच गियर लि० पोस्ट मद्रास–600116	टी०एन०/1991	दिनांक 29–8–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2731/90/ डी०एल०आई०
8.	मै० वीकेन आयुर ए–21 सिडको इन्डस्ट्रीयल इस्टेट, वेलीकटम मद्रास–49	टी०एन०/19263	दिनांक 10–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93 तथा 1–3–93 से 28–2–96	2/2821/90/ डी०एल०आई०
9.	मै० बीयरिंग एण्ड स्पीयरस सेंटर; 156 पम्बूचेट्टी मद्रास–1	टी०एन०/22259	दिनांक 10–9–90	28–2–90	1–3–90 से 28–2–93	2/2841/90 डी०एल०आई०
10.	मै० बी० एस० टी० सर्विस स्टेशन प्रा० लि० 182, अन्नासलाई, मद्रास–6	टी०एन०/1134	दिनांक 3–9–93	27–1–93	1–3–93 से 29–2–96 तथा 28–1–93 से 27–1–96	2/958/93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के पेंशन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना का भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली–110001, दिनांक 9 मार्च 1994

सं० के० भ० नि० आ० 1/4 (टी०एन०) 694/93/1146––केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किए जायें ।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/29111	मै० एन०एन० 619, मनीडुथिकोटटल प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०–आप० बैंक, मनीडुथिकोटटल (टी०एन०)	01–03–1993
2.	टी०एन०/29124	मै० 597 हनुमानथाकुडडी प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०–आप० बैंक, हनुमानथाकुडडी पोस्ट, देवाकोटटई (टी०एन०)	01–06–1993
3.	टी०एन०/29084	मै० ए–1146, पुंगनकुलम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०–आप० बैंक, मिथालई पोस्ट, थिरूमंगलम तालुक, मदुरई डि०, तमिलनाडु ।	01–04–1993
4.	टी०एन०/29127	मै० कुप्पामपलयम प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०–आप० बैंक, लक्सुपापुरम, पापामपटटी पोस्ट, पलानी ता०, डिंडीगुल, मदुरा डि० (टी०एन०)	01–05–1993
5.	टी०एन०/30481	मै० कमुरा वेल पैकेजिंग (प्रा०) लि०, प्लाट सं० 373 से 376, नेहरू नगर, मद्रास–96, शाखाओं सहित ।	01–05–1993

1	2	3	4
6.	टी०एन०/30480	मै० वी० समापतसेकर एण्ड कं०, 3 जफर सारंग, मद्रास–1	01–05–1993
7.	टी०एन०/30479	मै० सुपर एन्टरप्राइजिज, 5, पहला तल, 198–ए, एम०टी०एच० रोड, पडडी, मद्रास–50 शाखाओं सहित ।	01–05–1993
8.	टी०एन०/30476	मै० सास्था क्लीयरिंग व फारवर्डिंग कं०, रूम सं० 6, पहला तल, 47/49, अब्राहिम साहब, एम०एस०टी०, अम्बाटूर, मद्रास–53	01–05–1993
9.	टी०एन०/30475	मै० श्री वेंकटेश्वरा एन्टरप्राइजिज, 453/6, टी०आई०सी० रोड, अम्बाटूर, मद्रास–53	01–05–1993
10.	टी०एन०/30474	मै० श्रीराम मेराइन हारवेस्ट लि०, 1958–सी–11, एवेन्यू, अन्ना नगर, मद्रास–40	01–04–1993

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1/4 (टी०एन०) 646/ 93/ 1150—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/30441	मै० ट्रैनसन्जरी लि०, 206 सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बाटूर, मद्रास–98, शाखाओं सहित ।	01–03–1993
2.	टी०एन०/30429	मै० वरूण सिस्टम्स (आई०) प्रा० लि०, 19, फर्स्ट क्रास स्ट्रीट, कस्तूरीबाई नगर, अडयार, मद्रास–20	01–04–1993
3.	टी०एन०/30421	मै० सन मैटल रोलिंग मिल्स, 241, सिडनहंस रोड, मद्रास–600112	01–04–1993
4.	टी०एन०/30420	मै० आर०आर० एन्टरप्राइजिज, 5–ए, छूलई हाई रोड, छूलई, मद्रास–600112, विभागों/शाखाओं सहित ।	01–01–1993
5.	टी०एन०/30383	मै० सुन्दरम पोलीमर्स लि०, पो०बा० सं० 38, पडडी, मद्रास–600050 शाखाओं सहित ।	01–03–1993
6.	टी०एन०/30378	मै० एम०ई०आई० सैटर्स प्रा० लि०, 86, बाजनई कायल स्ट्रीट, पामल, मद्रास–600075, शाखाओं सहित ।	01–03–1993
7.	टी०एन०/30355	मै० एसवरी इलैक्ट्रिकल्स प्रा० लि०, प्लाट सं० 54, इंडस्ट्रियल इस्टेट, पेरूनगुडडी, मद्रास–96	01–03–1993
8.	टी०एन०/30350	मै० इलेगिरी हिल्स मिल्क प्रोडयूसर्स को०–आप सोसा० लि०, एथनावूर पोस्ट, एलेगिरी, एम०ए० डि०	01–01–1993
9.	टी०एन०/30346	मै० शक्ति पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, 39, सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट, अम्बाटूर, मद्रास–98, शाखाओं सहित ।	01–08–1992
10.	टी०एन०/30460	मै० एम्बली इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 58, अराथून रोड, रोयापुरम, मद्रास–600013, शाखाओं सहित ।	01–03–1993

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामन दर्शायी गई हैं ।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) कर्ना० (718)/ 93/ 1153—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	कर्ना०/15769	मै० सीविंग सिस्टम्स (प्रा०) लि०, 215, रिचमंड टावर्स, 12, रिचमंड रोड, बंगलौर–25	01–03–1993
2.	कर्ना०/15355	मै० सुबुलक्ष्मी एन्टरप्राइजिज सं० 118, पहला तल, बालाकुमार निलाया 4 क्रास रोड, पपन्ना, ब्लाक गंगा नगर, बंगलौर–32	01–01–1993
3.	कर्ना०/15755	मै० एस०के०ए०जी०, आई०एन०सी० सं० 15, वुड स्ट्रीट, रिचमंड रोड, बंगलौर–25, शाखाओं सहित।	01–03–1993
4.	कर्ना०/15427	मै० सिबा साफ्टवेयर प्रा० लि०, 201, पार्वती प्लाजा, रिचमंड रोड, बंगलौर–25, शाखाओं सहित।	01–04–1992
5.	कर्ना०/12808	मै० टी० ए० पी० सी० एम० एस० लि०, बी० एम० रोड, हसन।	30–06–1993
6.	कर्ना०/16160	मै० ई०सी० टैक्नोलीजीस (प्रा०) लि०, 204/सी० 6, मेन, 27 वां क्रास 111 ब्लाक, जयानगर, बंगलौर–11	31–03–1993
7.	कर्ना०/15407	मै० मारिया एसोसिएटस सं० 4, निसेन हाउस, आस्टिन टाउन, बंगलौर–47	01–10–1992
8.	कर्ना०/15363	मै० डाटा एक्वायर सं० 988, 12 वां मेन, पहला क्रास, हल–11, स्टेज, बंगलौर–8	01–10–1992
9.	कर्ना०/15979	मै० साफ्टदच हाईजिन प्रोडक्टस (मार्कीट) प्रा०लि०, 1101, 13 वां क्रास, 2 स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलौर–38	01–04–1993
10.	कर्ना०/15732	मै० एम०आर०एस० एन्टरप्राईजिज, नं० 14, नर्जुनदेश्वरा काम्पलैक्स, चलागाटा, यपालूर, पोस्त, बंगलौर–37	01–03–1993
11.	कर्ना०/15283	मै० डायनालाग मार्कीटिंग सर्विसेज, 988, 12 वां मेन हाल, 11 स्टेज, इंदिरा नगर, बंगलौर–37	01–10–1992

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामनें दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) आं० प्र० (722)/ 93/ 1157—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	आं०प्र०/16953	मै० ऊषाकिरन मूवीस एयनाडू कम्पाउण्ड, सोमाजीगुडा, हैदराबाद–500482	01–02–1987
2.	आं०प्र०/21569	मै० अनुपमा ट्रेडर्स, जमींदार स्ट्रीट, सत्यनारायनापुरम, विजयवाड़ा–520011	01–09–1992

1	2	3	4
3.	आं०प्र०/21568	मै० कामथ एन्टरप्राइजिज, 14-17-6, मकानीवरी स्ट्रीट, गांधी नगर, विजयवाड़ा-520003	01-09-1992
4.	आं०प्र०/21567	मै० यूनाइटिड एजेंसीज, स्वामी स्ट्रीट, गांधी नगर, विजयवाड़ा-520003	01-09-1992
5.	आं०प्र०/21566	मै० पायनीयर ट्रेडर्स, स्वामी स्ट्रीट, गांधी नगर, विजयवाड़ा-520003	01-09-1992
6.	आं०प्र०/21565	मै० प्रीमियर एन्टरप्राइजिज, स्वामी स्ट्रीट, गांधी नगर, विजयवाड़ा-520003	01-09-1992

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) (टी० एन०) 723/93/1162—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किए जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/27750	मै० मंगल व मंगल 25, एन०एस०बी० रोड, त्रिची-620002	01-05-1993
2.	टी०एन०/29143	मै० ढपे 37, मल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०-आप० बैंक लि०, मल्ली, पो०आ० (वाया श्रीवायलीपुटटुर) कामराज डि०	01-07-1993
3.	टी०एन०/30564	मै० एन०एन०एन० ड्रिंकिंग वाटर सप्लायर्स, 8/बी०, रथीनासिंग कोलाथू से० अरनी रोड, वैलोर-632001	01-07-1993
4.	टी०एन०/30557	मै० बटरफ्लु क्वालिटी सेंटर (प्रा०) लि०, 272, माउण्ट रोड, नियर वेनाविल, को-आपटेक्सटेयनामेंट, मद्रास-600018	01-03-1993
5.	टी०एन०/30520	मै० अरूणा इंडस्ट्रियल, 43, एम०के०एन० रोड, गविन्डी, मद्रास-600032	01-06-1993
6.	टी०एन०/30519	मै० एलाइड आफसेट प्रिंटर्स, 43-बी०, लेंगस गार्डन रोड, पुडुपेट-मद्रास-2	01-05-1993
7.	टी०एन०/30495	मै० स्वैन इंजीनियर्स, 26, थिरूवोटियूर हाई रोड, मद्रास-81	01-03-1993
8.	टी०एन०/30492	मै० कटफास्ट, आई०टैक प्रा० लि०, 118, टी०टी०के० रोड, पहला तल, मद्रास-18	01-04-1993
9.	टी०एन०/28034	मै० कायर प्लस इंडिया प्रा० लि०, अरासपलयम विलेज अरसामपलयम पोस्ट वाया किनाथुकादावु पोलक तालुक, शाखाओं सहित।	01-04-1993
10.	टी०एन०/29078	मै० दी० शक्ति मैच वर्क्स, 12-ए, चेयरमैन शनमुगा नदर रोड, शिवाकाशी-426123, शाखाओं सहित।	01-02-1993
11.	टी०एन०/29139	मै० थाई० 288 पन्नाविलई को०-आप० स्टोर लि०, वनियाककुडी पोस्ट, कन्याकुमारी डि०-629251	01-07-1993

अतः मैं बी० एन० सोम केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) टी० एन० (726)/93/1166—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	टी०एन०/29142	मै० कविता आफसेट प्रिंटर्स, 2/447, देवानाई नगर, विश्वानाथन रोड, शिवकासी–23	01–04–1993
2.	टी०एन०/29133	मै० सैयद शरीयत फाइनेन्स लि०, नं० 28, मिडल स्ट्रीट, सिन्धु बुपोन्द्री, तिरूनेवली–1	01–06–1993
3.	टी०एन०/29181	मै० इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग टैक्नालाजी 12–डी/1, सिवलापेरी रोड, पलयामकोट्टई, तिरूनेवली–2	01–07–1993
4.	टी०एन०/29129	मै० एन०एन० 559 कलुवनकुल्पा प्राइमरी एग्री० को० आप० बैंक, कुसावनकुंडु पोस्ट, पी०एम०टी० डि०	01–04–1993
5.	टी०एन०/29158	मै० एन०एम० 593, नामनूर प्राइमरी एग्री० को० आप० बैंक, अलावकोट्टई पोस्ट, सिवागंगा तालुक, पासुमपोन डि०–62553	01–04–1993
6.	टी०एन०/29140	मै० होटल कथीरवा, 39, ईस्ट कार स्ट्रीट सिरीवलीपुट्टुर–626125	01–05–1993
7.	टी०एन०/29199	मै० श्री अंजया चिट फंडस, 68, थेनवडाल न्यू स्ट्रीट, सत्तूर, शाखाओं सहित।	01–07–1993
8.	टी०एन०/29197	मै० क्यू० 531 लार्डेंडल प्राइमरी एग्री० को०आप० बैंक लि०, लार्डेंडल माना मदुरई, पसुमपन थेवर डि०	01–08–1993
9.	टी०एन०/29159	मै० क्यू० 1244 चटहूर वेदामंगलम प्राइमरी एग्री० को०आप० बैंक, कोट्टागुड्डी धारामकुड्डी ता०	01–06–1993
10.	टी०एन०/29141	मै० बी०आर० डी० 18, धालावईपुरम, को०आप० मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसा० लि०, धारावईपुरम (वाया राजापलयम)	01–02–1993

अतः मैं०, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) आं० प्र० (729)/93/1170—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किए जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	आं०प्र०/22855	मै० दी यूनाइटिड टैक्नीकल एण्ड लान टैक्नीकल वर्कर्स लेबर कान्ट्रैक्ट को०—आप० सोसा० लि०, एलेरू शाखाओं सहित।	01-03-1993
2.	आं०प्र०/22847	मै० होटल नन्दनी, रामा चन्द्रा राव पेट, एलेरू—534003	01-04-1993
3.	आं०प्र०/22846	मै० ऊषा बाला चिट्स एण्ड इन्वैस्टमेंट (प्रा०) लि०, डोर नं० 22ए-1-8/25, भालासानी बिल्डिंग्स, जी०एन०टी० रोड, एलेरू—534002	01-04-1993
4.	आं०प्र०/24202	मै० मिण्डीकेट फार्मर्स सर्विस को०—आप० सोसा० लि०, के-4333, 7-117, आत्माकुर—5243322, नैल्लोर डि० शाखाओं सहित।	01-06-1993
5.	आं०प्र०/24220	मै० श्री जी०बी०एस० इंडस्ट्रीज, 65, आई०डी०ए०, चेरलापल्ली, हैदराबाद—500051 शाखाओं सहित।	01-04-1993
6.	आं०प्र०/24211	मै० सरस्वती सिक्योरिटी सर्विसेज, 32/1850 मद्रपेडु गेट, एन० गार्डन, पोस्ट नैल्लोर—524002	01-05-1993
7.	आं०प्र०/22857	मै० टेवरापल्ली प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०आप० क्रेडिट सोसा० लि०, एच०—790 टेवरापल्ली, डब्ल्यू०जी० डि०	01-04-1993
8.	आं०प्र०/22854	मै० कोरुपल्ली प्राइमरी एग्री० को०आप० क्रेडिट सोसा० लि०, सं० 968 कोरुपल्ली, डब्ल्यू० जी० डि०	01-04-1993
9.	आं०प्र०/22856	मै० पोंडलापरू प्राइमरी एग्रीकल्चरल को०आप० सोसा० लि०, सं० 11400, पोंडलापेरू, निडयाडवोल मंडल	01-04-1993
10.	आं०प्र०/22853	मै० मटुरू प्राइमरी एग्री० को०आप० क्रेडिट सोसा० लि०, डब्ल्यू०जी० 1765, मटुरू	01-04-1993
11.	आं०प्र०/22840	मै० दी० को०—आप० सेंट्रल बैंक एम्पलाइज को०आप० सोसा० लि०, सं० डब्ल्यू० जी. 142, एलेरू।	01-04-1993

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) उड़ीसा (731)/93/1174—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	उड़ीसा/3052	मै० सुरेश सी० वर्गीस सिंह बिल्डिंग मेन रोड, 2रा फ्लोर, राउरकेला।	05-06-1985
2.	उड़ीसा/3554	मै० एस०आर० इलैक्ट्रिक, कचहरी रोड उदित नगर, राउरकेला-12	01-08-1987
3.	उड़ीसा/3940	मै० टंकी इंजीनियर्स, टी०/4, सिविल टाउनशिप एरिया, 7-8, राउरकेला-4	01-05-1989
4.	उड़ीसा/4543	मै० पुमा सिक्योरिटी सर्विसेज, एट पी०ओ० गंगपुर, डि० सुन्दरगढ़, उड़ीसा	31-12-1991
5.	उड़ीसा/4695	मै० भारत इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वेदव्यास चौक, वेदव्यास, राउरकेला-769041, शाखाओं सहित।	01-12-1992
6.	उड़ीसा/7003	मै० नलिमा एण्ड सन एट डी०ए०वी० स्कूल लेन, पी०ओ० राउरकेला, डि० सुन्दरगढ़	01-05-1993

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) कर्ना० (735) 93/1178—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किये जायें।

क्रमांक	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	कर्ना०/13842	मै० मोटोरोला ब्लू स्टार (प्रा०) लि०, 108, बुल टैम्पल रोड, गवीपुरम, गुटाहाली, बंगलौर-19 शाखाओं सहित।	01-01-1990
2.	कर्ना०/14853	मै० जी० एण्ड जी० एन्टरप्राइजिज 362, 4 एन II ब्लाक III फेस बनाशंकरी, III स्टेज, बंगलौर-85	01-02-1992
3.	कर्ना०/13511	मै० मैट फेट लाइन्स प्रा० लि० 7 वां माइल, चौथी फ्लोग, कनकपुरा रोड, पी०ओ० डोडाकलासन्द्रा, बंगलौर-62 शाखाओं सहित।	01-04-1989
4.	कर्ना०/13418	मै० डी०ई० (जे०) आफिस "ए" टाइप टिफिन रूम 544/47, आर०बी० रोड, बंगलौर-4	01-02-1989
5.	कर्ना०/15387	मै० मूला टैक्नोलोजीन्स (प्रा०) लि०, 1381 साउथ एण्ड रोड, 9 वां ब्लाक ईस्ट, जयानगर बंगलौर-560009, शाखाओं सहित।	31-01-1992
6.	कर्ना०/16188	मै० हीटकान सेंसरस प्रा० लि०, सं० 348/4, एस रोड, जालहाली पोस्ट, बंगलौर-560013, शाखाओं सहित।	31-03-1993

अतः मैं, बी० एन सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शाई गई हैं।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (736) 93/1181 —केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्चचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथी
1	2	3	4
1.	महा० /37236	मै० नोबल मैटलस कैटालिस्टस प्रा० लि० प्लाट नं० 31 फेस – II सैन्ट्रल रोड एम० आई० डी० सी० अंधेरी (ई) बम्बई –400093 शाखाओं सहित ।	1–4–90
2.	महा० /35779	मै० मैटल फैब्रीकेटरस आफ इंडिया 17 डी० उद्योग सदन नं० 11 एम० आई० डी० सी० अंधेरी (ई) बम्बई –4000 93	31–3–89
3.	महा०/ 60928	बम्बई जबलपुर रोडवेज पुस्तक मंजिल गांधी बाग नागपुर।	1–4–93
4.	महा० /39386	मै० कोपरान लैबरोट्रीज प्रा० लि० परीजात हाऊस 1076 डा० ई० मासिस रोड वोरली बम्बई – 400018.	1–3–93
5.	महा० /39407	मै० जी० आई० सी० ग्रिन्हाबिटा लि० 3रा फ्लोर यूनीवर्सल इन्शयोरेंस बिल्डिंग सर पी एम रोड बम्बई –4 00001 शाखाओं सहित	1–4–94

अतः मै, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि के अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं ।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के भ० नि० आ० / 1(4) आं० प्र० (747)/93/1184 — केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्त तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	आं० प्र० / 22901	मै० अप्पा राजूपेटा प्राइमरी एग्री० को०– आप० क्रेडिट सोसा० लि० अमाण्राजुपेटा – 50	1–8–93
2.	आं० प्र० / 24327	मै० विजय पब्लिक स्कूल आदित्य नगर कनापारा आराआर डि० हैदराबाद – 62	1–7–93
3.	आं० प्र० / 24326	मै० हाइफैब इंडस्ट्रीज प्लाट नं० 68 आई०डी० ए० चेरलापल्ली एच० सी० एल० पोस्ट हैदराबाद – 51	1–6–93
4.	आं० प्र० / 24285	मै० प्रतिभा चिट फण्ड्स (प्रा०) लि० 1–2– 166/ए पहला तल सरोजनी देवी रोड सिकन्दराबाद – 3	1–6–93

1	2	3	4
5.	आं० प्र० / 24318	मै० ट्रबोमैशनरी टेक्नीकल सर्विसज (प्रा०) लि० चन्द्रानगर हैदराबाद – 38 शाखाओं सहित।	1–6–93
6.	आं० प्र० / 22920	मै० केन डेवलपमेंट कौन्सिल भीमासिंगी – 14	1– 8–93
7.	आं० प्र० / 22860	मै० नीना लैदर्स 10–2–99, हुकुमपेटा विजिया नगरम – 530202	1–5–93
8.	आं० प्र० / 22898	मै० श्री हरी सो० रिफ्रैक्टरीज प्रा० लि०, शेड नं० – 15, ए० आई० एफ० पेडागनटायाडा विशाखापटनम् — 44 शाखाओं सहित।	1–7–93
9.	आं० प्र० / 24322	मै० हन्सा बूटस 34–1 ए०बी० सी० ग्राउन्ड फ्लोर मेथोडिस्ट कम्पलेक्स एबिडस हैदराबाद शाखाओं सहित।	1–8–93
10.	आं० प्र० / 22872	मै० टी० एसोसिएटिड टैक्नीकल्स आई० टी० आई० नियर रेलवे स्टे० अपो० पेडडीयालम्मा टेम्पल, विजयानगरम – 531203	1–5–93
11.	आं० प्र० / 22929	मै० अलमन्डा प्राइमरी एग्रीकल्चरल को– आप० क्रेडिट सोसा० लि० नं० बी० – 1223 जमी मंदलम विजयानगरम डि०	1–8–93

अतः मैं, बी एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं को उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) गुज० /93/ 1189 — केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात में सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड नं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	गुज० /20520	मै० फैल्कन मैन पावर सर्विस स्टेशन रोड हलोल डि० पंचमहल	1–3–93
2.	गुज० / 20521	मै० बड़ौदा रैफरीजरेशन इंडस्ट्रीज 714 जी० आई० डी० सी० मकरपुरा बड़ौदा – 10	1–4–93
3.	गुज० / 24033	मै० राम इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन कं० 24 नियरपंचावटी आपार्टमेंन्ट श्री जी रोड अहमदाबाद।	31–12–92
4.	गुज० / 24031	मै० कैमी प्रोटैक्ट इंजीनियर्स 2114/ बी० जी० आई० डी० सी० फेस –3 वत्वा अहमदाबाद – 45	1–6–93
5.	गुज० /24034	मै० बैस्ट कैमिकल्स सी – 1/ 121 जी० आई० डी० सी० फेस– 1 वत्वा, अहमदाबाद – 45	1–5–93
6.	गुज० / 24004	मै० गिरधारीलाल दामोदर दास प्रा० लि० बिहाइन्ड सकुन तालु० अम्बयादि अहमदाबाद – 6	1–5–93
7.	गुज० / 24053	मै० एलक्पस इंडस्ट्रीज 5 शाहजहां स्टेट अपो० अवतार होटल सनपुर नारोल रोड, अहमदाबाद – 43	1–6–94

अतः मैं, बी० एम सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हू जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

बी० एन० सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) दिल्ली (754)/94/1193 --केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एतद्द्वारा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	डी०एल० / 15462	मै० आर एन बी ए एक्सपोर्टस, ए– 203, ओखला इंड० एरिया फेस– 1, नई दिल्ली ।	1–10–92
2.	डी०एल / 15445	मै० बेज सर्विसेज, एम एस – 20, पहला तल, मायापुरी रोड, हरी नगर, नई दिल्ली ।	1–8–93
3.	डी०एल / 15440	मै० स्फिनिक्स ट्रैवल्स, जीएफ, 01, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली ।	1–8–92
4.	डी०एल / 15418	मै० डिटेक्टिव इन मैनपावर व सिक्योरिटी – सर्विसज (डी एम एस एस) कोनाबा बिजनेस सेंटर, सी – 25/5, कनाट प्लेस, नई दिल्ली ।	1–7–93

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस पर उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

बी एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं०के० भ० नि आ० 1 (4) एम पी० (771)/94/1196 -- केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एतद्द्वारा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र०सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	एम० पी० / 7438	मै० प्रदीप मेल्स एण्ड सर्विसज, शापिंग नं 8 सैक्टर – 1, शापिंग सेंटर, बालको टाउन शिप कोरबा डिस्ट्रि०, बिलासपुर, एम० पी	31–1–92
2.	एम० पी० / 7709	मै० पिंटू इंजीनियरिंग 74, सी, इंदिरा पुरी भोपाल, एम पी	1–1–93
3.	एम० पी० / 7852	मै० परमात्मा इंटरप्राइजेज (प्रा०) लि०, 12 "ए" सैक्टर – डी, इंडस्ट्रियल एरिया, गोविंदपुरा – भोपाल – 462023	1–9–92

अतः मैं, बी० एन० सोम०, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस पर, उस प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई हैं ।

बी एन सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

स० के० भ० नि० आ० 1 (4) महा० (781)/93/1199 --केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को एतद्द्वारा प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें ।

क्र०सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की तिथि
1.	महा०/29463	मै० एयर लिकस कार्गो (प्रा०) लि० 5, सतत इंडस्ट्रियल इस्टेट, कार्डीनल गेशियस रोड, चकला, अंधेरी (ई०) बम्बई – 400099।	1-10-92
2.	महा०/60905	मै० कुपाराम मोहन लाल असाती लेबर सपलायर, कट्टी, पी० ओ० बिसरोला डि० भण्डारा।	1-3-93
3.	महा० 60947	मै० निप्पोन ट्रांसफार्मस (इंडिया) प्रा० लि० प्लाट नं० सी० – 59 एम० आई० डी० सी० इंडस्ट्रियल एरिया, नागपुर–440028।	1-4-93
4.	महा०/39557	मै० पनजेतन इंवेस्टमेंट्स व प्रोपर्टीज प्रा० लि० 305, लोहा भवन, तीसरा तल, पी० डी० मेला रोड, बम्बई—400009।	1-9-93
5.	महा०/27970	मै० मोतीवाला सिस नामदार बिल्डिंग, अपो० विले पारले स्टेशन (वै०) बम्बई–400056।	1-4-93

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूँ जो उक्त स्थापनाओं के के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं० के० भ० नि० आ० 1 (4) केरल/(789)/93/1203—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को जहां प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित कर्मचारियों तथा नियोक्ता का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र० सं०	कोड सं०	स्थापना का नाम व पता	व्याप्ति की निति
1.	केरल/11670	मै० केसीनों रबड, फैक्ट्री 6/380, बैंक रोड, कालीकट 673001, शाखाओं सहित।	1-2-90
2.	केरल/11980	मै० एम० ई० एस० इंगलिश मीडियम स्कूल, पी० ओ० पटम्बी – 679303	1-1-93
3.	केरल/11996	मै० जोसको फुटवियर कं० करुथापरम्बा, कुमंगलम, कालीकट डि०।	1-12-92

अतः मैं, बी० एन० सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करता हूँ जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गयी है।

बी० एन० सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मार्च 1994

स. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/994—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कोचीन ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं।

अनुसूची I

क्र० स०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी तिथि	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० बेमबनड वाटर वे विलिडन आईलैंड कोचीन, केरला	के०आर०/2980	1-12-89 31-7-91	2/5251/93/ डी०एल०आई०
2.	मै० फासफोरस एण्ड केमिकल ट्रवेनकोर लि० ग्रोलट थीवेरा रोड, कोचीन-682016	के०आर०/12182	1-8-92 31-7-95	2/5250/93-डी०एल०आई०
3.	मै० अरूणाकुलम डिस्ट्रीक कोप० बैंक लि० पीबी० नं० 1786 अरूणाकुलम कोचीन-682016	के०आर०/1912	1-8-89 31-7-92	2/4874/93-डी० एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीमों के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बताए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के सांविधिक दावेदार/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपनी अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/जी. एल. आई./एक्जम/89/भाग-2/1010—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ०. फाइल सं०
1.	मै० दि हिसार डिस्ट्रीक सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक रोड, हिसार	पी०एन० /3430 नया कोड नं० एच०आर०/1062	1-3-91 से 28-2-94	2/5288/92-डी०एल०आई०
2.	मै० हाफेड स्पिनिंग मिल्स उमरा रोड, हांसी डिस्ट्रीक, हिसार	पी०एन०/5964 नया कोड नं० एच०आर०/989	1-3-89 से 29-2-92	2/5289/93-डी०एल०आई

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ा दिए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों में अधिक अनुकूल बने जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस तारीख में संदेय होती जब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के सामूहिक बीमा/लाभ निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और उसका किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्य होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

डी. एन. सोम
कृते केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./(एक्जाम/80/भाग-1/1018—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और एकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है । जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ।

और मैं, डी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी लेखें अथवा अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किसी बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सह-बन्धन बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत प्रतिकर लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा दिनांक जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने लिखी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, डी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची-II

क्र० सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट देने/बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की सं० तथा तिथि	छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके के भा०नि०आ० लिए और छूट फाईल सं० दी गई है	
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० आंध्रा प्रदेश स्टील लिमिटेड पलोचा जिला खम्माम (और शाखाएं सहित) आन्ध्रा प्रदेश	ए०पी०/5094	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम०/89/ पार्ट-I दिनांक 1-8-91	28-2-93	1-3-93 से 29-2-96	2/3732/91-डी०एल०आई०
2.	मै० बसंत केमिकल्स (प्रा०) लि०, 90-एफ, आई०डी०ए०, जैंदी मेठा, हैदराबाद-500855	ए०पी०/16266	2/1959/डी०एल० आई०/एक्जम०/89/ पार्ट-I दिनांक 11-1-92	31-8-92	1-9-92 से 31-8-95	2/3931/91-डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा (3-क) के खंड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और वह किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, वह क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना को कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो वह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1034—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि आदि प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अमृतसर ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—II

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० अमीन चन्द प्यारे लाल टान्डा रोड जालन्धर शहर	पी०एन०/107–ए	1–1–92 31–12–94	2/5160/93/ डी०एल०आई०
2.	मै० जे० एम० पी० मैनुफेक्चरिंग कम्पनी 983, प्रति नगर सोडल रोड, जालन्धर	पी०एन०/472	1–1–92 31–12–94	2/5188/93/ डी०एल०आई०
3.	मै० पजाब वोन मिल्स जी० टी० रोड रेलवे स्टेशन के पास चाहरु फगवाडा	पी०एन०/2023	1–12–91 30–11–94	2/5157/93/ डी०एल०आई०
4.	मै० बसन्त मैटल वर्क्स, होशियारपुर रोड, जालन्धर	पी०एन०/1797	1–4–89 31–3–92	2/5168/93/ डी०एल०आई०
5.	मै० प्रिंस रबड़ इन्डस्ट्रीज एम130, एस०–158, इण्डस्ट्रीयल एरिया, जालन्धर	पी०एन०/2412	1–12–91 30–11–94	2/5163/93/ डी०एल०आई०
6.	मै० जी० एन० ए० डूरा पार्ट्स 7 पो० आ० वून्डाला, जिला जालन्धर	पी०एन०/2892	1–9–91 31–8–94	2/5164/93/ डी०एल०आई०
7.	मै० डेली अजीत प्रिन्टर्स, एन० जी० रोड, जालन्धर	पी०एन०/4939	1–3–92 28–2–95	2/5165/93/ डी०एल०आई०
8.	मै० पटेल हास्पीटल्स प्रा० लि० सिविल लाइन्स जालन्धर	पी०एन०/5658	1–1291 30–11–94	2/5162/93/ डी०एल०आई०

1	2	3	4	5
9.	मै० आनन्द अग्रवाल आयल प्रा० लि०, सुलतान पुर रोड 7 शेख काट कपूरथला	पी०एन०/9956	1-1-90 31-12-92	2/5169/93/ डी०एल०आई०
10.	मै० एक्स० ई० एन० टन्नलिंग डिविजन नं० 2 आर० एस० डी० प्रा० शाहपुर कान्डी	पी०एन०/15132	1-3-92 28-2-95	2/5128/93/ डी०एल०आई०
11.	मै० नकोदर को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि० नकोदर, जिला जालन्धर	पी०एन०/15275	1-9-91 31-8-94	2/5155/93/ डी०एल०आई०
12.	मै० इण्डिया आरगैनिक प्रोडक्टस नजदीक रेलवे स्टेशन, चहरू, फगवाडा	पी०एन०/15302	1-12-91 30-11-94	2/5156/93/ डी०एल०आई०
13.	बोमन सिसटम्स, कपूरथला रोड, नकोदर जिला जालन्धर	पी०एन०/15461	1-1-92 31-12-94	2/5161/93/ डी०एल०आई०
14.	रेन आदर्स प्रा० लि०, बस्ती बाबा सेल, कपूरथला रोड, जालन्धर	पी०एन०/15502	1-2-92 31-1-94	2/5166/93/ डी०एल आई०
15.	यूनाइटिड क्रिशयम इंस्टीट्यूट सूरानसी, जिला जालन्धर	पी०एन०/15371	1-10-91 30-9-94	25167/93/ डी०एल०आई०
16	सुरेन्द्रा इंजीनियरिंग वर्क्स (रजि०) रेलवे रोड, नकोदर	पी०एन०/15586	1-1-92 31-12-94	2/5159/93/ डी०एल०आई०
17.	एक्स ई० एम० पावर प्लान्ट, (सी) डिविजन आर० एस० डी० प्रा० शाहपुर काण्डी।	पी०एन०/15204	1-3-92 28-2-95	2/5080/93/ डी०एल०आई०

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण, प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसका मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के सांविधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपनी अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यस्क हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 4 मार्च 1994

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-2/1042—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-2 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1 में) उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त गुंटूर ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत छूट प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट की प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1.	मै० श्री धनालक्ष्मी कॉटन एण्ड राइज मिल्स लि०, कॉटन डिविजन, गनापवारम बाए, चिलेट एलूरेपेट, गुन्टूर–डिस्ट्रिक्ट	ए०पी०/5068	1-3-89 29-2-92	2/5015/93/ डी०एल०आई०
2.	मै० श्री धनालक्ष्मी कॉटन, एण्ड राइज मिल्स लि०, राइज एण्ड आयल डिवीजन, गनापवारम, गुन्टूर—डिस्ट्रिक्ट।	ए०पी०/6743	1-3-89 29-2-92	2/5015/92/ डी०एल०आई०
3.	मै० दि पाइनीर फरटीलाईजर कम्पनी "पाइनीर हाउस" बन्डर रोड, बिजयवाडा—520010	ए०पी०/16770	1-12-92 31-1-95	1/5016/92/ डी०एल०आई०

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यस्क हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग- II 1090—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उड़ीसा ने स्कीम की धारा 28 (7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्र० स०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1.	मै० इलैक्ट्रानिक्स टैस्ट एंड डवैलपमेंट, सैन्टर 2/बी 204 मानचेसवर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, भुवनेश्वर–10	ओ०आर० 2592	1–1–88 31–12–91	2/5295/93 डी०एल०आई०
2.	मै० नैशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० आई० डी० सी० ओ० टावर, भुवनेश्वर—751007	ओ०आर० 4090	1–1–90 31–12–92	2/5294/93 डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यस्क हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

दिनांक 7 मार्च 1994

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1114—जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-2 में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

क्रम सं०	स्थापना का नाम तथा पता	कोड सं०	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई है।	के०भ०नि०आ०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० बंगलौर आटो डिजल वर्क्स पो० बा० नं० 409 ओपातूवर रोड सैलम 636004	टी एन/9310	2/1959/ई डी एल आई/89/पार्ट-1 898 दिनांक 26-10-89	31-1-91	1-2-91 से 31-1-94	2/2061/90/डी एल आई
2.	कोयम्बटूर अलकोल एण्ड लि०, कोयम्बटूर 252 माधू पालयम रोड 641043	टी एन/16349	2/1959/ई० डी एल आई/89/पार्ट-1, दिनांक 1-4-92	28-2-90	1-3-90 से 3-2-93	2/3093/90-.. डी एल आई
3.	मै० मनोगरार टैक्सटाइल लि०, उदमालपेट कृष्णापुरम् मडाथलम, कोयम्बटूर, डिस्टीक्ट-642113	टी एन/17229	2/1959/ई डी एल आई/89/पार्ट/2234, दिनांक 26-2-90	3-5-90	1-6-90 से 31-5-93	2/3129/90/डी एल आई
4.	मै० जीटम टैक्स इंजीनियरिंग (प्रा०) लि० यूनिट सं० 20, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट गणपति-6	टी एन/17552	2/1959/ई डी एल आई/89/पार्ट-1 दिनांक 26-10-89	3-8-90	1-9-90 से 31-8-93	2/1972/90--डी एल आई
5.	मै० सेन्तामिरिस्पोनिंग मिल्स (प्रा०) लि०, कनापालयम कोयम्बटूर	टी एन/21312	2/1959/डी एल आई छूट/89/पार्ट-II 740, दिनांक 3-5-91	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/3431/91/डी एल आई
6.	मै० काटटुकुलम इंजीनियर्स प्रा० लि०, बोमोडी, रेलवे यार्ड, बोमोडी धर्मापुरी, डिस्ट्रिक्ट	टी एन/21357	2/1959/डी एल आई छूट/89/पार्ट-1 298, दिनांक 16-2-91	28-2-90	1-3-90 से 28-2-93	2/3317/90-डी एल आई
7.	मै० कृष्णास्वामी गंगानगर मैट्रीकुलेशन स्कूल, रामास्वामीपुरम, कोयम्बटूर 641045	टी एन/21570	2/1959/डी एल आई छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 21-9-90	28-2-90	1-3-90 से 28-2-92	2/3094/90-डी एल आई
8.	मै० श्री आरबी इलैक्ट्रोइस लि०, करमादई कोयम्बटूर 6410104	टी एन/21480	2/1959/डी एल आई/छूट/89/पार्ट-1, दिनांक 3-5-91	30-1-91	1-2-91 से 31-1-94	2/3500/91-डी एल आई

1	2	3	4	5	6	7
9.	मै० इंलजीबी इंजीनियरिंग वर्क्स लि०, मोटर हाउस, 8/1238, त्रिची रोड, कोयम्बटूर–641018	टी एन/17126	2/1959/डी एल आई छूट/89–पार्ट–1, 1011 दिनांक 7–12–89	11–4–91	12–4–91 से 11–4–94	2/1189/85–डी एल आई
10.	मै० अन्ना ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०, 12, रामकृष्णा, रोड, सैलम–636007	टी एन/7460	2/1959/ई डी एल आई छूट/89/पार्ट–1 1081, दिनांक 7–12–89	26–12–91	27–12–91 से 26–12–94	2/53/77–डी एल आई वोल्यूम–
11.	मै० बन्नारी अम्मन शुगर लि० अला– यूकोम्बे पो बा 16 सत्यमिन्नलम–638401	टी एन/21773	वही दिनांक 21–9–90	28–2–90	1–3–90 28–2–93	2/3090/90–डी एल आई

अनुसूची- II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण की ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु-संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितो को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपने अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते है तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते,, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर-दायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग- II 1122—जहां अनुसूची में उल्लिखित नियोक्ताओं के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 1 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची-II में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, बी. एन. सोम प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने (अनुसूची-1) में उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त फरीदाबाद ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत छोल प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची—I

क्र० सं०	स्थापना का नाम व पता	कोड सं०	छूट प्रभावी तिथि	के०भ०नि०आ० फा० सं०
1	2	3	4	5
1.	मै० रबडरोक लेम कम्पनी आफ इण्डिया प्रा० लि०, जी० टी० रोड़, आहलगढ़ सोनीपत	एच०आर०/854	1-3-89 29-2-92	2/5256/93 डी०एल०आई०
2.	मै० दि सोनीपत सैन्ट्रल कोप० बैंक लि, टीका राम रोड़, पो० बो० नं० 36, सोनीपत-131001 (हरियाणा)	एच०आर०/1058	1-10-90 30-9-93	2/5257/93 डी०एल०आई०
3.	मै० केबल कोरपोरेशन आफ हरियाणा, बिलेज-रासोई, पो० ओ० नाथुपूर, (सोनीपत) हरियाणा ।	एच०आर०/1168	1-3-90 28-2-93	2/5258/93 डी०एल०आई०
4.	हरियाणा वनस्पति एण्ड जनरल मिल्स कुन्डली डिस्ट्रीक सोनीपत ।	एच०आर०/1387	1-10-90 30-9-93	2/5261/93 डी०एल०आई०
5.	मै० ई० सी० ई० इन्डस्ट्रीज लि० (लेम्प डिविजन) दिल्ली रोड़ सोनीपत ।	एच०आर०/1406	1-2-89 31-1-92	2/5183/93 डी०एल०आई०
6.	मै हस्तीनापुर मेटल्स प्रा० लि जी० टी रोड कुन्डली डिस्ट्रीक-सोनीपत हरियाणा	एच०आर०/1850	1-5-88 30-4-91	2/5259/93 डी०एल० आई०
7.	मै गोल्डन रोलस प्रा० लि० बिलेज रासोई पो ओ० नाथुपुर, सोनीपत, (हरियाणा) ।	एच०आर०/2054	1-3-90 28-2-93	2/5262/93 डी०एल०आई०

1	2	3	4	5
8.	मै० मेडीवेंक लेबोरेटरीज लि० राजधानी फारमस (पोलट्री डिविजन) प्लांट नं० 416 सेक्टर–14 सोनीपत (हरियाणा)।	एच०आर०/3371	1–4–90 31–3–93	2/5263/93 डी०एल०आई०
9.	मै० अमबालीका मेटल्स केमिकल्स ए—4 इन्डस्ट्रीयल इस्टेट सोनीपत।	एच०आर०/3814	1–4–89 31–3–92	2/5265/93 डी०एल०आई०
10.	मै० डाई कोर (इण्डिया) 105–106 सैक्टर–21 इन्डस्ट्रीयल एरिया भिवानी।	एच०आर०/5360	1–5–92 30–4–95	2/5266/93 डी०एल०आई०
11.	मै० एच० एस० स्ट्रीप्स प्रा० लि० 107 इन्डस्ट्रीयल एरिया, भिवानी।	एच०आर०/6383	1–5–92 30–4–95	2/5267/93 डी०एल०आई०
12.	मै० गुरेरा गैस सिलेंडर, प्लाट नं० 13 सैक्टर–24, फरीदाबाद।	एच०आर०/10114	1–3–92 28–2–95	2/5268/93 डी०एल०आई०
13.	मै० टायो स्पोरीइगस प्रा० लि०, बीसवीं माइल, जी० टी० रोड, राय डिस्ट्रीक, सोनीपत, (हरियाणा)–131029।	एच०आर० 3767	1–12–88 30–11–91	2/5264/93 डी०एल०आई०

अनुसूची-II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निदेश करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के पेंशन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपनी अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपास्त हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक दुबारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कृते : केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मार्च 1994

सं 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-1/1138—यह कि मैसर्स श्रीराम होण्डा पावर इक्युपमेंट लि. ग्राम एवं डाकखाना भिगवारा, बाया किच्छा, जिला नैनीताल (यू. पी./14060) तथा इसकी 13 शाखाओं सहित । ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्थापना की उल्लिखित पिछली तारीखों से प्रभावी जिस तिथि से उक्त स्थापना की क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर ने स्कीम की धारा 28(7) के अन्तर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं । (दिनांक 25-1-90 से 24-1-93 तक) ।

अनुसूची-I

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी को प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम,
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

बम्बई, दिनांक 7 मार्च 1994

सं. यू टी/डी डी डी एम/1704ए/एस पी डी 78/93-94—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अन्तर्गत बनाए गए बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना 1994 के प्रावधान दिनांक 22 दिसम्बर 1993 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किये गये हैं और 22 दिसम्बर 1993 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में संशोधित किए गए हैं, जो इसके नीचे प्रकाशित किये जाते हैं ।

एस. के. दासगुप्ता,
संयुक्त महा प्रबंधक,
व्यवसाय विकास और विपणन

बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना—1994 (जी सी सी आइ 94)

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड इसके द्वारा निम्नलिखित यूनिट योजना बनाता है ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

यह योजना बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना-1994 (जी सी) जी आइ-94) कही जाएगी और अध्यक्ष द्वारा यथावर्णित तिथि को लागू होगी ।

2. परिभाषा :

जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 से है ।

(ख) ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए ट्रस्ट को किसी आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के संदर्भ में "स्वीकृति तिथि" का तात्पर्य उस दिन से है, जिस दिन इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा आवेदन सही है, उसे स्वीकृत कर लेता है ।

(ग) "आवेदक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जिसने योजना के अन्तर्गत यूनिट के लिये आवेदन किया है ।

(घ) 'आवेदन' का तात्पर्य ऐसे आवेदन-पत्र से है, जो सभी आवेदकों के लिए यूनिट पेश करने के लिए निर्धारित किया गया हो और निवेशक जनता को योजना में यूनिट अभिदान के प्रयोजनार्थ नियम और शर्तें अंतर्विष्ट हों ।

(ङ) "आबंटन" का तात्पर्य इस प्रयोजनार्थ ट्रस्ट द्वारा निर्धारित विधि से वैध आवेदनपत्र पर यूनिट के आबंटन से है ।

(च) "पात्र संस्था" का तात्पर्य ऐसे पात्र न्यास से है, जैसा भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियम 1964 में परिभाषित है और उसमें किसी लिखित द्वारा गठित निजी न्यास तथा अपरिवर्तनीय याचमार्थ ट्रस्ट या धार्मिक न्यास या धर्मादा या तत्समय प्रवृत्त किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन शासित, नियंत्रक या पर्यवेक्षित पंजीकृत समिति या पंजीकृत सहकारी समिति से है ।

(छ) 'बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना' का तात्पर्य बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना 1994 के अंतर्गत जारी यूनिट से है ।

(ज) 'निर्गम' का तात्पर्य उक्त (घ) में यथोक्त संबंधित आवेदन पत्र पर अभिदान के लिये योजना के अंतर्गत पेश और निर्गत यूनिट की कुल संख्या से है ।

(झ) 'सूचीबद्ध' का तात्पर्य प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 (1956 का 42) के अंतर्गत तत्समय मान्यताप्राप्त शेयरबाजार में क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ यूनिट को सूचीबद्ध कराने से है ।

(ञ) 'निर्गम्य यूनिटों की संख्या' का तात्पर्य बेची गई और निर्गम बंद होने के बाद शेष यूनिटों की कुल संख्या से है ।

(ट) 'यूनिट की पेशकश' का तात्पर्य योजना के अंतर्गत पूंजी निर्माण के लिये निवेशकों को प्रस्तुत दस्तावेजों के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा यूनिट की बिक्री के लिये किये गये पूर्ण प्रस्ताव से है ।

(ठ) 'यूनिट धारक व्यक्ति या यूनिटधारक' का तात्पर्य तत्समय यूनिट रखने वाले व्यक्ति से है और इसमें उक्त परिभाषित पात्र संस्था शामिल है ।

(ड) 'निबंधक' का तात्पर्य योजना के तहत समय-समय पर निबंधक के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त व्यक्ति, यदि हो, से है ।

(ढ) 'विनियमावली' का तात्पर्य अधिनियम की धारा 43 (1) के तहत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य व्यक्ति, यदि हो से है ।

(ण) 'व्यापार' का तात्पर्य यूनिट के प्रथम आबंटन के बाद किसी भी मान्यताप्राप्त शेयरबाजार के माध्यम से यूनिट के क्रय-विक्रय सौदे से है ।

(त) 'यूनिट' का तात्पर्य दस रुपये के अंकित मूल्य के अविभाजित शेयर से है ।

(थ) 'यूनिट पूंजी' का तात्पर्य योजना के अंतर्गत निर्गत और आबंटित यूनिट के कुल अंकित मूल्य से है ।

(द) इस योजना में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्द के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम द्वारा उन्हें दिये गये हैं ।

(ध) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुलिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं ।

3. मुख्य उद्देश्य :

यह योजना कंपनी प्रतिभूति बाजार के विकास में शामिल होने और हिस्सा लेने और आवधिक लाभांश के रूप में नियमित प्रतिलाभ प्राप्त करने का अवसर सामान्य निवेशकों को प्रदान करने की दृष्टि से बनाई गई है ।

होने वाली सभी पूंजी वृद्धि का 69% का निवेश सावधि आय प्रतिभूतियों में किया जाएगा । इक्विटी या इक्विटी संबंधी लिखितों में 49% से अधिक का निवेश नहीं किया जाएगा, जो आवश्यक होने पर आय भगतान के लिये बोनस यूनिट के रूप में मूल धन में जोड़ा जाएगा । बोनस यूनिट का निर्गम बिना किसी भाग के 10 यूनिट के गुणज में किया जाएगा ।

विकास प्रारक्षित निधि अंशदान :

पहले वर्ष में इस योजना से संबंधित निधि का 0.25% यू टी आई के डी आर एफ में अंशदान के रूप में और उसके बाद प्रति वर्ष शुद्ध आस्ति मूल्य के 0.05% की दर से अंशदान किया जाएगा ।

4. निवेशकों की श्रेणी :

निम्नलिखित व्यक्ति वर्ग यूनिट के लिए आवेदन कर सकते हैं :—

1. निवासी भारतीय, जो व्यस्क हैं, एकल रूप में या संयुक्त आधार पर तीन व्यक्तियों तक के साथ संयुक्त रूप से ।
2. अवयस्क की ओर से पिता/माता/कानूनी अभिभावक ।
3. हिन्दू अविभक्त परिवार ।
4. पात्र संस्थाएं, जैसा खंड 2 (च) में परिभाषित है ।

5. यूनिट की बिक्री

(क) इस योजना में यूनिट उक्त खंड 4 में निर्दिष्ट श्रेणी के निवेदकों द्वारा अभिदान के लिये पेश की जाएगी और खुली रहेगी ।

(ख) यूनिट का अंकित मूल्य 10/- रुपए होगा । आवंटन न्यूनतम 500 के लिये 100 के गुणज में और उसके बाद 100 यूनिट के गुणज में निर्धारित प्रपत्र में ही किए जाएंगे । निवेश की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है ।

(ग) आवेदित यूनिट के लिए भुगतान सहित विधिवत रूप से भरे गए आवेदन पत्र बिक्री के लिए पेशकश की अवधि में ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में या किसी भी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

अपूर्ण आवेदनपत्र अस्वीकृत किये जा सकते हैं

यदि आवेदन अपूर्ण पाया जाएगा, तो वह अस्वीकार कर दिया जाएगा और ऐसी आवेदन राशि अपेक्षित प्रचालनात्मक और प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बिना किसी ब्याज के यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी ।

(घ) यूनिट बिक्री की पेशकश अध्यक्ष द्वारा यथानिर्णीत अवधि के लिए खुली रहेगी । यह पेशकश हरेक वर्ष तीन महीने की अवधि के लिए या यू टी आई द्वारा यथानिर्धारित अवधि के लिये भी खुली रह सकती है । यू टी आई को प्रमुख समाचार पत्रों में 7 दिन की पूर्व सूचना देकर या यथानिर्णीत अन्य रीति से किसी भी समय योजना के अंतर्गत यूनिट की बिक्री स्थगित करने या अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा ।

(ङ) ट्रस्ट पेशकश अवधि के बाद या अपने विवेक पर पहले ही निर्गम बंद कर देने के बाद किसी भी परिस्थिति में यूनिट की बिक्री हेतु पेशकश करने के लिये बाध्य नहीं होगा । निर्गम बन्द होने की तिथि को कार्य समाप्ति के बाद या बाद की तिथि में किसी भी प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्र अवैध और अस्वीकृत माने जाएंगे ।

6. निवेश लक्ष्य

(क) इस योजना में यह प्रयास किया जाएगा कि सभी प्रारम्भिक, कार्य-पूर्व व्यय और परिचालन व्यय चुकाने के बाद पूंजी का निवेश भारत के मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कम्पनियों द्वारा निर्गत प्रतिभूतियों में किया जाए । 40% तक निवेश इक्विटी और इक्विटी संबंधी लिखतों में तथा शेष का निवेश ऋण लिखतों और मुद्रा बाजार लिखतों में किया जाए ।

(ख) निवेश की प्रतिबंधित सीमा को देखते हुए और योजना की वृद्धि की दृष्टि से आय का वितरण करके तथा निवेशकों के हित और अन्य संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निवेश संविभाग की संरचना के संबंध में ट्रस्ट अपने विवेकानुसार निर्णय लेगा ।

7. अटर्नी द्वारा आवेदन पत्र अंतरण पत्र पर हस्ताक्षर

यदि मुख्तारनामा पहले से ही रजिस्ट्रार/ट्रस्ट के किसी कार्यालय द्वारा रखी गई बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर वैध मुख्तारनामा रखनेवाला कोई व्यक्ति हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी विधिवत नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि यथास्थिति आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ प्रस्तुत करनी चाहिए ।

8. यूनिटधारकों की पंजी

यूनिट धारकों की पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध किए जाते हैं :

(क) ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत रूप में और रीति से यूनिट-धारकों के लिए पंजी रखी जाएगी । अन्य बातों के साथ पंजी में निम्नलिखित विवरण रखे जाएंगे :

(1) यूनिट धारकों के नाम और पते

(2) यूनिट प्रमाणपत्र/पत्रों की विभेदक संख्या और हरेक धारक द्वारा रखी यूनिटों की संख्या

(3) वह तिथि, जब से यूनिट धारक के नाम में है ।

(ख) जहां यूनिट प्रमाणपत्र दो या तीन व्यक्तियों के नाम में हों, वहां यह समझा जाएगा कि यूनिट संयुक्त रूप में रखी गई हैं ।

(1) यह समझा जाएगा कि उनमें से पहला व्यक्ति ऐसी यूनिटों का धारक है और प्रथम व्यक्ति होने के कारण अंतरण या अन्य कारोबार करने के लिए सक्षम है ।

(2) सभी भुगतान प्रथम धारक को किए जाएंगे और उसकी रसीद ट्रस्ट के लिए वैध उन्मोचन मानी जाएगी ।

(3) इस योजना में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए प्रथम धारक से पत्राचार किया जाएगा और प्रथम धारक को सभी सूचना देने से यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट ने अपने दायित्वों का विधिक निर्वाह किया है ।

(4) किसी संयुक्त धारक की मृत्यु की स्थिति में प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों पर अधिकार या उसमें हित के मामले में ट्रस्ट द्वारा केवल जीवित/(तों) को ही मान्यता दी जाएगी ।

लेकिन, किसी व्यक्ति के नाम में यूनिट के पंजीकरण होने से कुल यूनिट के संबंध में किसी जीवित/(तों) के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर कोई सक्षम या प्रतिकूल प्रभाव नहीं रहेगा ।

(ग) किसी यूनिट धारक नाम और पते में कोई परिवर्तन हो तो उसकी सूचना रजिस्ट्रार से दी जाएगी । ऐसे परिवर्तन का समाधान हो जाने पर और समुचित रूप से अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन किया जाएगा ।

(घ) इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार पंजी बंदी के अलावा कार्य समय के दौरान रजिस्ट्रार/ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक कार्य दिवस को पंजी न्यूनतम दो घंटे के लिए यूनिट धारक को निरीक्षण के लिए खुली रहेगी ।

(ङ) ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रखी जाएगी, लेकिन पंजी किसी भी वर्ष में 45 से अधिक दिन के लिए बंद नहीं रखी जाएगी । किसी अवधि या अवधियों के लिए पंजी बंद रखने की सूचना न्यूनतम दो प्रमुख अंग्रेजी और एक देशी भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा दी जाएगी ।

(च) किसी सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्देश के अलावा रजिस्ट्रार/ट्रस्ट न तो कोई अभिव्यक्त या विवक्षित या आन्वयिक सूचना प्राप्त करेगा और न ही पंजी में किसी यूनिट से संबंधित ऐसी सूचना दर्ज करने के लिए बाध्य होगा ।

(छ) किसी एकल यूनिटधारक द्वारा विधिक नामांकन नहीं किए जाने पर निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक या विधिक प्रतिनिधि ही वह व्यक्ति होगा जिसे रजिस्ट्रार/ट्रस्ट द्वारा यूनिट पर अधिकार रखनेवाले व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी और ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित मूल्य पर पुनर्खरीद की पेशकश की जाएगी ।

(ज) किसी एकमात्र धारक या संयुक्त धारकों के जीवित/(तों) की मृत्यु, दिवालिया या समापन हो जाने के परिणामस्वरूप यूनिटों का हकदार व्यक्ति रजिस्ट्रार/ट्रस्ट के समाधान के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने पर और अपेक्षित परिचालन और प्रक्रियागत औपचारिकता पूरी करने पर यूनिट के धारक के रूप में पंजीकृत किया जाएगा या संगत प्रावधानों के अनुसार उसको यूनिट, जो हमेशा सौ के गुणज में होंगी, यूनिट अंतरित करने या पुनर्खरीद करने की अनुमति दी जाएगी ।

(झ) उक्त खंड (छ) में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी यदि कोई यूनिट धारक किसी अनुसूचित बैंक में प्रमाणपत्र गिरवी रखता है तो गिरवीदार का हित पंजी में दर्ज किया जाएगा । यदि गिरवी के लिए बल देकर अनुसूचित बैंक यूनिट का अंतरण चाहता है और अपने नाम में पंजीकृत करा लेता है तो रजिस्ट्रार/ट्रस्ट ऐसे अनुरोध को स्वीकार कर लेगा और पंजी में ऐसे विवरण दर्ज कर लिए जाएंगे ताकि बैंक ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत रूप में और रीति से प्रमाणपत्र रख सके ।

9. निर्गम के बाद यूनिट का अंतरण

इस योजना के अंतर्गत जारी सभी यूनिट और बकाया मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में यूनिट की सूचीबद्धता की तिथि से या ट्रस्ट द्वारा यथा निर्धारित किसी अन्य तिथि से मुक्त रूप से अंतरणीय/गिरवी रखने योग्य/समनुदेशनीय है । अंतरण की निम्नलिखित शर्तें हैं :

(क) इस योजना के उपबंधानुसार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र पक्काम्य है और व्यक्तियों तथा योजना के उपबंधों के खंड 4 में उल्लिखित अन्य श्रेणियों को अंतरित किए जा सकते हैं । अंतरण विलेख की स्वीकार्यता और योजना के अंतर्गत यूनिट धारक के रूप में अंतरिती की ग्राह्यता एक मात्र के विवेक पर होगी ।

(ख) अंतरण केवल ऐसे अंतरक और अंतरिती के बीच होगा, जो यूनिट रखने के लिए सक्षम होंगे । योजना में किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने की बाध्यता नहीं होगी ।

(ग) न्यूनतम पांच सौ यूनिट और उसके बाद सौ के गुणज में सभी अंतरणों में शेयर बाजार द्वारा निर्धारित शेयर अंतरण पत्रों का प्रयोग किया जाएगा ।

(घ) अंतरण लिखत के साथ संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र और योजना द्वारा समय-समय पर विहित शुल्क के साथ इस प्रयोजनार्थ नियुक्त रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में जमा किया जाएगा ।

(ङ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में जमा या उसके द्वारा स्वीकृत अंतरण विलेख निकटतम रजिस्ट्रार/ट्रस्ट कार्यालय को भेज दिया जाएगा ।

(च) हरेक अंतरण लिखित पर अंतरक और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और जबतक रजिस्ट्रार/ट्रस्ट द्वारा धारक की पंजी में अंतरिती का नाम दर्ज नहीं कर लिया जाता, तबतक यही समझा जाएगा कि अंतरक यूनिट का धारक है ।

(छ) यदि रजिस्ट्रार/ट्रस्ट आवश्यक समझे तो अंतरक के हक के समर्थन में या अंतरण यूनिट पर अधिकार के समर्थन में साक्ष्य की अपेक्षा कर सकता है ।

(ज) यदि मूल यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चोरी हो गया हो या नष्ट हो गया हो तो रजिस्ट्रार यथावश्यक अपेक्षाएं पूरी किए जाने पर उसकी प्रस्तुतीकरण से छूट दे सकते हैं ।

(झ) यूनिट के अंतरण के पंजीकरण के बाद रजिस्ट्रार/ट्रस्ट सभी अंतरण लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र अपने पास रख सकता है ।

(ञ) किसी प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों के अंतरण और निर्गम के संबंध में देय प्रभार के भुगतान और वसूली होने पर अंतरण के मान्यता देने वाला और पंजीकरण करने वाला रजिस्ट्रार/ट्रस्ट अंतरिती को मूल या नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है ।

(ट) यदि कोई अंतरिती विधि न्यायालय द्वारा पदीय है, संपत्त में या कोई अनुसूचित बैंक किसी गिरवी को लागू करने के फलस्वरूप यूनिट का धारक हो जाता है तो रजिस्ट्रार/ट्रस्ट ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन, जो उनकी राय में पर्याप्त हो, अंतरण कर देगा, बशर्ते कि संबंधित अंतरिती यूनिट रखने के लिए अन्यथा पात्र हो ।

(ठ) जैसे ही प्रमुख शेयरबाजारों में योजना सूचीबद्ध हो जाती है, सूचीबद्धता करार के उपबंधों और शेयर बाजारों द्वारा इस संबंध में निर्गत दिशा-निर्देशों और योजना में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार अंतरण/प्रेषण औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी ।

10. यूनिटधारकों द्वारा नामांकन

(क) यूनिट धारक विनियमावली में उपबंधित सीमा तक नामांकन कर सकते हैं, बदल सकते हैं या निरस्त कर सकते हैं ।

यदि योजना शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होती है तो इस प्रकार किया गया मूल नामांक-1 संबंधित मान्यताप्राप्त शेयर बाजार/बाजारों में प्रमाणपत्र के कारोबार की तिथि से वैध नहीं रह जाएगा और शेयर बाजार से इस योजना की यूनिट अर्जित करने वाला धारक को नामांकन का कोई अधिकार नहीं होगा ।

(ख) रजिस्ट्रार/ट्रस्ट योजना के उपबंधों और समय-समय पर निर्गत निदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में किया गया नामांकन स्वीकार करके पंजीकृत करेगा । ऐसे निदेशों के अंतर्गत वे ऐसे नामांकन में अंतर संशोधन और परिवर्तन की अनुमति भी दे सकते हैं और उन्हें पंजीकृत भी कर सकते हैं ।

11. लेखों का प्रकाशन

प्रत्येक-वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र ट्रस्ट उस तिथि को समाप्त अवधि में योजना के कार्यों को दर्शाते हुए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से फण्ड द्वारा यथानिर्णीत रीति से लेखों का प्रकाशन करेगा । यदि किसी यूनिट धारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर ट्रस्ट ऐसे प्रकाशित लेखों की प्रतिलिपि उसे भेजेगा ।

12. धारण अवधि

इस योजना की अवधि आबंटन की तिथि से दस वर्षों की होगी या कार्यकारिणी समिति/न्यास मंडल के अनुमोदन के अंतर्गत यह योजना सतत खुली योजना के रूप में परिवर्तित की जा सकती है । निवेशकों को शुरू की गई या उस समय परिचालित अन्य योजना में परिवर्तन का विकल्प दिया जाएगा ।

13. यूनिट की पुनर्खरीद

(1) पुनर्खरीद की अनुमति आबंटन की तिथि से दो वर्षों के बाद किसी भी समय शुद्ध औसत मूल्य पर, प्रशासनिक व्यय, जो शुद्ध औसत मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा, घटाने के बाद, दी जाएगी ।

(2) बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना द्वारा परिशोधित या पुनर्खरीद की गई यूनिट ऐसे मूल्य पर, ऐसी अवधि के लिये और ऐसी शर्तों पर, जैसा कि बोर्ड इस संबंध में निर्णय करे, पुनः जारी की जा सकती है ।

(3) किसी भी स्थिति में ट्रस्ट द्वारा निर्धारित प्रतिदान मूल्य, जिस दिन मूल्य का निर्धारण किया जाए, उस दिन की वर्ष समाप्ति के समय बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना की आस्तियों के मूल्य में बकाया यूनिटों की संख्या से भाग देकर और उसमें उतनी राशि घटाकर जो दलाली, कमीशन, कर, स्टाम्प शुल्क तथा अन्य सभी खर्च सहित निवेश की दलाली हो संबंधित अन्य खर्चों के लिये पर्याप्त हो, और प्रति यूनिट 5% तक कम मूल्य का समायोजन करके निकाले गए मूल्य से कम नहीं होगा । इस प्रकार मूल्य का निर्धारण ट्रस्ट के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर किया जाएगा ।

14. यूनिट धारकों को आय का वितरण

(क) लाभांश का भुगतान दूसरे वर्ष से तिमाही आधार पर शुद्ध आय में से किया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित रीति से और अवधि के लिये तथा अपेक्षित परिचालनात्मक और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ट्रस्ट द्वारा उपयुक्त सदस्यों को आय वितरण वारंट भेजा जाएगा । हरेक वारंट की वैध अवधि तीन महीने की होगी । यदि वारंट वैध अवधि समाप्त होने के पहले सदस्यों को नहीं मिलता है या पुराना हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा ।

(ख) यदि किसी यूनिट धारक ने आय वितरण की घोषणा के पहले ही यूनिट अंतरित कर दिया हो और वस्तुतः अंतरण नहीं हुआ हो तो उसके परिणाम स्वरूप अंतरिती तबतक आय वितरण का हकदार नहीं होगा, जबतक कि अंतरिती आय वितरण की घोषणा के पूर्व पंजी-बंदी के 30 दिन पहले रजिस्ट्रार/ट्रस्ट के पास अंतरण प्रलेख जमा न कर दे ।

(ग) बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना द्वारा वितरित आय का भुगतान समुचित भुगतान सुविधा से युक्त बैंकों पर आहरित चैक या वारंट द्वारा किया जाएगा ।

(घ) यूनिट धारक द्वारा प्रतिफल के लिए पहले ही यूनिट का अंतरण किए जाने के बावजूद, जिन यूनिटों का वह धारक है, उनके संबंध में योजना द्वारा घोषित आय वितरण प्राप्त करना तबतक के लिये वैध होगा, जब तक अंतरक से आय का दावा करने वाला अंतरिती आय के देय होने की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण संबंधी अन्य सभी दस्तावेज जमा न कर दे ।

(ङ) पुनर्खरीद की स्थिति में, जो हमेशा पूरे की होगी, अदत्त वारण्ट सुपुर्द नहीं करने वाला यूनिटधारक इन वारंटों को, जो परवर्ती महीने के लिये देय है और परिपक्वता तिथि को यूनिट धारक की अभिरक्षा में रखी हुई है, भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद आगम की राशि में घटा दी जाएगी ।

(च) यूनिटधारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि एकमात्र नामिति यूनिट रखने के लिये पात्र हो और भविष्य में भी यूनिट रखे रहना चाहता हो तो एकमात्र नामिति को आवश्यक सुधार हेतु भावी महीनों के सभी अभांजित वारण्ट वापस करना होगा । लेकिन, जो नामिति यूनिट रखे रहना चाहता हो, वह मृत यूनिट धारक के पक्ष में पहले से निर्गत वारंटों में नये प्रतिष्ट यूनिट धारक के पक्ष में सुधार करने में ट्रस्ट को लगने वाली अवधि के लिये कोई ब्याज या क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

(छ) पिछले उप खंडों में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट का यथास्थिति, मासिक, छमाही या वार्षिक आधार पर आय वितरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, यदि व्यय के औचित्य, यूनिट धारकों के हित और अन्य परिस्थितियों के कारण ट्रस्ट के लिये ऐसा करना आवश्यक हो जाए । ऐसी स्थिति में ट्रस्ट

21 दिन की पूर्व सूचना देकर अंग्रेजी के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा यूनिधारकों को अधिसूचित करेगा । ट्रस्ट द्वारा उक्त रूप में अधिसूचित किये जाने के बाद किसी भी यूनिट धारक को तिमाही आधार पर आय वितरण का दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

15. योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन

(क) सूचीबद्ध प्रतिभूतियों का मूल्यांकन संबंधित कंपनी के मुख्य व्यावसायिक स्थान से निकटतम शेयर बाजार में बंद मूल्य पर किया जाएगा और यदि ऐसी प्रतिभूतियां एक से अधिक शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तो उचित मूल्य के रूप में कंपनी के मुख्य व्यावसायिक स्थान से निकटतम शेयर बाजार में प्रतिभूति का बंद मूल्य लिया जाएगा । यदि प्रतिभूति का कारोबार मूल्यांकन की तिथि से छः महीने से अधिक समय से नहीं हुआ हो तो ट्रस्ट प्रतिभूति का मूल्यांकन अपने लेखा परीक्षकों के परामर्श से उचित समझी गई रीति से करेगा ।

(ख) नये सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों (अर्थात् जो शेयर मूल्यांकन की तिथि से पूर्व एक वर्ष की अवधि के भीतर सूचीबद्ध हुआ हो) का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से लागत पर किया जाएगा । इन इक्विटी शेयरों के मूल्य में कमी या वृद्धि के आधार के तथ्य और परिस्थितियां होंगी, जो ट्रस्ट की राय में मूल्यपाती प्रतीत होंगी या जिनके परिणाम स्वरूप मूल्यांकन अधिक या कम होगा ।

(ग) मुद्रा बाजार लिखतों और डिबेंचर सहित निश्चित आयवाली अन्य प्रतिभूतियों, जो परिवर्तनीय नहीं हैं, का मूल्यांकन वर्तमान आय और तुलनीय लिखतों के परिपक्वता मूल्य के आधार पर किया जाएगा ।

(घ) निश्चित आयवाली प्रतिभूतियों और डिबेंचरों के मामले में उक्त रूप से निर्धारित मूल्य में उपचित ब्याज तथा इक्विटी शेयर के संबंध में घोषित लेकिन अप्राप्त लाभांश जोड़े जाएंगे ।

(ङ) अन्य सभी आस्तियों का, जो उक्त रूप में मूल्यांकन के वश्य नहीं हैं का मूल्यांकन उनके सही मूल्य पर किया जाएगा ।

16. शुद्ध आस्ति मूल्य का प्रकाशन

(क) बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना का शुद्ध आस्ति मूल्य हरेक बृहस्पतिवार (या यदि उस दिन छुट्टी हो, तो पिछले कार्य दिवस) को कारोबार की समाप्ति के समय योजना के उपबंधानुसार बंबई में उक्त समय मूल्य में बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना की देयताओं और अनुषांगिक आधार पर अन्य खर्चों, जो ट्रस्ट की राय में स्टाम्प शुल्क, कर और निवेश की वसूली पर देय अन्य खर्चों को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो, को घटाकर निकाला जाएगा । ट्रस्ट द्वारा जिस तिथि को पुनर्खरीद की अनुमति दी जाएगी, उस तिथि से हरेक सप्ताह शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा की जाएगी और उसका प्रकाशन भारत के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में किया जाएगा । उसके साथ-साथ, उक्त मूल्य की सूचना भारत के सभी शेयर बाजारों को भी सर्वाधिक उपयुक्त रीति से दी जाएगी । इस प्रकार प्रकाशित मूल्यांकन मूल्य के अगले प्रकाशन तक बंध रहेगा ।

(ख) यदि आकस्मिक परिस्थितियों में मूल्यांकन का प्रकाशन किसी निर्दिष्ट सप्ताह अथवा एक या उससे अधिक सप्ताह के लिए नहीं किया जाता तो यह नहीं समझा जाएगा कि ट्रस्ट ने यूनिट के पेशकश की किसी शर्त उल्लंघन किया है ।

(ग) वास्तविक निवेश के प्रयोजनार्थ शेयरबाजारों में यूनिट का कारोबार इच्छुक क्रेता और विक्रेताओं के बीच किया जाएगा और ऐसे कारोबार पर योजना का कोई नियंत्रण नहीं होगा ।

17. यूनिट का कारोबार

(1) यदि ट्रस्ट उचित समझे तो आबंटन-तिथि से दो वर्ष बाद ट्रस्ट द्वारा यथा निर्णीत प्रमुख शेयर बाजारों में यूनिट सूचीबद्ध की जाएगी । ट्रस्ट बृहस्पतिवार या यदि उस दिन छुट्टी हो तो उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस से निर्धारित शुद्ध आस्ति मूल्य की घोषणा करेगा और भाव निवेदन के प्रयोजनार्थ मूल्य की सूचना शेयर बाजारों को देगा ।

(2) यदि कोई यूनिट धारक अपनी यूनिटों का नकदीकरण चाहता है तो वह किसी भी शेयरबाजार के माध्यम से यूनिटों का कारोबार कर सकता है ।

(3) ट्रस्ट प्रत्यक्ष रूप से या किसी भी तरह से ऐसे मूल्य या मूल्यों का उल्लेख नहीं करेगा, जिन पर बाजार के माध्यम से यूनिट का क्रय-विक्रय किया जा सकता सकता है । फिर भी शेयरबाजार में यूनिटों का क्रय-विक्रय जिन अंतिम मूल्यों पर किया गया हो, उनका प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में किया जाएगा ।

(4) यूनिट के क्रेता को अंतरण विलेख और संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र योजना के रजिस्ट्रार/ट्रस्ट के पास बाजार के माध्यम से या स्वयं या किसी मान्यता प्राप्त दलाल के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए, जो सही पाने पर उतना अंतरण करेगा ।

(5) किसी भी मूल्य पर बाजार के माध्यम से यूनिटों का क्रय या विक्रय यूनिट धारक या भावी यूनिट धारक की जोखिम पर होगा । फिर भी यूनिट के अंतरण पर देय स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के प्रयोजनार्थ अंतरण तिथि से पूर्व की तिथि को प्रचलित उच्च और निम्न मूल्य का औसत स्टाम्प शुल्क का आधार होगा ।

[1][17.क] **यूनिट की वापसी खरीद योजना के उपबंधों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी :**

(1) जब कभी यूनिट का भाव उसके शुद्ध औसत मूल्य से 10% या उससे भी कम हो तो ट्रस्ट प्रचलित मूल्य पर बाजार से योजना की यूनिटों की वापसी खरीद कर सकता है[2] ।

(2) ट्रस्ट समग्र सीमा के रूप में किसी भी वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत निर्गत पूंजी के 25% तक वापसी खरीद कर सकता है[3] । वापस खरीदी गई[4] यूनिटों का परिक्षोधन किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

(i "बाजार" का तात्पर्य किसी मान्यताप्राप्त एक शेयर-बाजार से है[5], जहां इस योजना की यूनिट[6] सूचीबद्ध है[7] ।

[1][ii) "प्रचलित मूल्य" का तात्पर्य मान्यताप्राप्त शेयर-बाजार में यूनिट के उस बाजार मूल्य से है[8], जो ट्रस्ट द्वारा यूनिट की वापसी खरीद के समय प्रचलित हो ।]

18. **निवेश पर प्रतिबंध :**

(क) ट्रस्ट द्वारा योजना की निवेश योग्य निधियों का निवेश किसी एक कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों में कुल निधि के 10% या ऐसी कंपनी की निर्गत और बकाया प्रतिभूतियों के 15% जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा ।

(ख) ट्रस्ट द्वारा योजना की निवेश योग्य निधियों का निवेश किसी नयी कंपनी की प्रतिभूतियों में उस कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूतियों के 10% से अधिक नहीं होगा और ऐसे सभी निवेशों की कुल राशि निवेश योग्य निधियों के 30% से अधिक नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण : नयी कम्पनी का अभिप्राय ऐसी कम्पनी से है[9], जिसके शेयर किसी शेयर बाजार में पहली बार निधि द्वारा उसके शेयरों में निवेश के पूर्व एक वर्ष के भीतर सूचीबद्ध किये गये हों ।

(ग) परिचालन सुविधा के लिये या अवसरों में परिवर्तन के लिये ट्रस्ट अल्पावधि मुद्रा बाजार लिखतों, परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय डिबेंचरों, बैंक जमा, पुनर्भाजित बिलों या ऐसी ही अन्य लिखतों में किसी भी समय अपनी कुल निधि के 20% अधिक निवेश नहीं रख सकता है[10] ।

लेकिन, जबतक ट्रस्ट प्रतिभूतियों में योजना की निधियों का पूर्ण विनियोजन नहीं कर लेता, तबतक वह उक्त संवर्भित प्रतिभूति सहित ऐसी प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समीचीन समझे, निधियों को इस प्रकार निवेशित नहीं रख सकता ।

(घ) निवेश संबंधी विहित प्रतिबंध निवेश की सामायिक परिस्थितियों के संदर्भ में लागू होंगे, लेकिन बाजार मूल्य या निवेश में उतार-चढ़ाव के कारण या जिस कंपनी की प्रतिभूतियों में निवेश किया गया हो उस कम्पनी द्वारा बोनस या राइट शेयर जारी करने के कारण सीमा वस्तुतः बढ़ जाने के बावजूद यह नहीं माना जाएगा कि सीमा बढ़ गई है[11] ।

19. **यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म**

योजना के निर्बाध परिचालन के लिये यूनिट प्रमाणपत्र इसके साथ संलग्न फार्म 'क' या ट्रस्ट द्वारा यथानुमोदित फार्म में होगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र में प्रभेदक संख्या प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों की संख्या और यूनिट धारक का नाम होगा । प्रमाणपत्र ट्रस्ट द्वारा यथाविर्णित रीति से जारी किया जाएगा ।

यदि कोई समेकित प्रमाणपत्र जारी किया जाता है[12], तो निवेशक के अनुरोध पर एक उसका निःशुल्क विभाजन किया जाएगा और उसके बाद ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित शुल्क के भुगतान पर विभाजन की अनुमति दी जाएगी । उक्त अंतर्विष्ट बातों के बावजूद ट्रस्ट उचित समझे जाने पर प्रारम्भ में या बाद में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रणाली के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है[13] ।

[1] 22-12-1993 को जोड़ा गया ।

20. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति

समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या अक्षममुद्रित या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा । हरेक ऐसा हस्ताक्षर या तो हाथ से किया जाएगा या यांत्रिक विधि से किया जाएगा । जबतक यूनिट प्रमाणपत्र पर इस प्रकार से हस्ताक्षर नहीं किया जाता, तबतक वह विधिमान्य नहीं होगा । इस तरह से हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र विधिमान्य होगा । तथा जारी किए जाने के पूर्व उस पर जिस व्यक्ति का हस्ताक्षर था, अब उसके ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत नहीं रह जाने के बावजूद प्रमाणपत्र बाध्यकारी होगा। लेकिन यदि इस प्रकार से तैयार किए गए यूनिट प्रमाणपत्र ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर हो, जो प्रमाणपत्र जारी करते समय मृत हो, तो ट्रस्ट उस रीति से, जिसे वह सर्वाधिक उपयुक्त समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान हस्ताक्षर निरस्त कर सकता है और किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति से उस पर हस्ताक्षर करवा सकता है । इस प्रकार निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र भी विधिमान्य होगा ।

21. ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र संबंधी मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और जो यूनिट प्रमाणपत्र और यूनिट उसके नाम से है, चूंकि उसमें उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे यूनिटधारक को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इसके प्रतिकूल किसी नोटिस से या न्यास निष्पादन की नोटिस से, उस बात को छोड़कर जैसा इसमें व्यक्त रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि किसी यूनिट प्रमाणपत्र या उसकी यूनिटों में निहित हक को प्रमाणित करने वाले किसी न्याय या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा ।

22. यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और उसके कटे-फटे, विरूपित हो जाने, खो जाने, आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) इस योजना के उपबंधानुसार हरेक यूनिटधारक अपेक्षित परिचालन और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी करने के बाद अपने किसी या सभी यूनिट प्रमाणपत्रों के बदले यूनिटों की समान समग्र संख्या वाले विपणन योग्य लाट में एक या अधिक यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा । ऐसे विनिमय के लिए आवेदन करते समय यूनिटधारक विनिमय हेतु यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट को सौंप देगा और नए यूनिट प्रमाणपत्र के निर्गम से संबंधित पूरी राशि (यदि देय हो) का भुगतान करेगा ।

(2 यदि कोई प्रमाणपत्र कट-फट जाए या फटा-पुराना हो जाए या विरूपित हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को अपेक्षित परिचालन और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, जिसमें यूनिटों की समग्र संख्या वही होगी जो कटे-फटे या फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्रों में थी । यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाए या चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए तो ट्रस्ट अपने विवेक पर हकदार व्यक्ति को उसके बदले नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है । कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तबतक जारी नहीं किया जाएगा, जबतक आवेदक ने पहले ही :

(1) मूल यूनिट प्रमाणपत्रों के कटे-फटे होने, फटे-पुराने होने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी हो जाने या नष्ट हो जाने का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया हो,

(2) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो,

(3) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित होने की स्थिति में वैसा यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो, तथा

(4) ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर दिया हो । इस खंड के उपबंधानुसार ट्रस्ट

सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने का दायित्व नहीं लेगा ।

(3) इस खंड के उपबंधानुसार प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाणपत्र के लिए आवेदक ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए उसके द्वारा यथानिर्धारित समुचित शुल्क के साथ ऐसी राशि, जो ट्रस्ट की राय में स्टाम्प शुल्क, यदि हो, कर और ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण प्रभार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करे । लेकिन निम्नलिखित मामलों में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित कोई शुल्क, स्टाम्प शुल्क या डाक पंजीकरण प्रभार देय नहीं होगा :

(1) जब आवेदक या अंतरिती को निर्गत यूनिट प्रमाणपत्र उप-विभाजन के लिए पहली बार प्रस्तुत किया जाए ।

(2) जब ट्रस्ट द्वारा यूनिट प्रमाणपत्र के समर्पण का सुझाव यूनिटधारक द्वारा स्वीकार कर लिया जाए ।

23. यूनिटधारकों के लिए योजना का बाध्यकारी होना

इस योजना में समय-समय पर किए गए संशोधन (बशर्ते ऐसा संशोधन मूल प्रकृति से भिन्न न हो और इस योजना के उद्देश्य पूरा करने वाला हो) के साथ उसकी शर्तें प्रत्येक यूनिटधारक और उसके द्वारा तथा उसके अंतर्गत दावा करने वाले व्यक्ति मानो वह/वे व्यक्त रूप से सहमत होगा/होंगे कि व/वे बाध्य होंगे ।

24. योजना की प्रतिलिपि उपलब्ध कराई जाएगी :

इस योजना में समय पर किए गए संशोधन (बशर्ते ऐसा होंगे, पूरे कार्य समय के दौरान रजिस्ट्रार/ट्रस्ट के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएगी और यूनिटधारक को 5/- रुपए का भुगतान करने पर उसकी आपूर्ति की जाएगी ।

25. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन या परिवर्तन कर सकता है और उसमें किए गए संशोधन या परिवर्तन का कार्यालयीन गजट में अधिसूचित करेगा ।

26. उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार :

योजना के किसी उपबंध के निर्वचन में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि यूटीआई का अध्यक्ष न हो तो कार्यपालक न्यासी को योजना के उपबंधों का अर्थ लगाने का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय अंतिम और निश्चायक होगा ।

27. उपबंधों का शिथिलीकरण/परिवर्तन/संशोधन :

केवल अध्यक्ष और यदि यूटीआई का अध्यक्ष न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयां कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए उसके किसी भी उपबंध को शिथिल, परिवर्तित या संशोधित कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी यूनिटधारक या यूनिटधारक वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

(भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत निगमित)

बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना—1994

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रमाणपत्र में नामांकन व्यक्ति भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52), उसके अंतर्गत बने विनियमों और बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना—1994 के उपबंधों के अंतर्गत दस रुपए के अंकित मूल्य की प्रत्येक यूनिट के पंजीकृत धारक हैं ।

रजि. फोलियो नं.

धारक का(के) नाम

यूनिट प्रमाणपत्र सं.

यूनिटों की संख्या

प्रभेदक संख्या

1994 को प्रदत्त

कृते भारतीय यूनिट ट्रस्ट

अध्यक्ष

कार्यपालक न्यासी

स्थान :

पिछले पृष्ठ पर उल्लिखित बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना में यूनिट का अंतरण ज्ञापन ।

तिथि	अंतरण सं०	रजिस्ट्र फोलियो	अंतरिती का/के नाम	आद्याक्षर	प्राधिकृत हस्ताक्षरी

बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना—1994 में सभी यूनिटों का पुनर्खरीद फार्म ।

दिनांक : ----------

सेवा में

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मैं/हम ---------- बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना–1994 में प्रमाणपत्र में अंकित सभी यूनिट स्वीकृत तिथि को पुनर्खरीद मूल्य पर ट्रस्ट की पुनर्खरीद के लिए पेश करता हूं/करते हैं ।

धारक (कों) का/के हस्ताक्षर

1. ----------

2. ----------

3. ----------

साक्षी का हस्ताक्षर

नाम :

पेशा :

पता :

स्वीकृति तिथि

बढ़ता निकाय बढ़ती आय योजना—1994 संबंधी सभी पत्राचार निम्नलिखित पते पर रजिस्ट्रार से करें ·

द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

कलकत्ता-700016, दिनांक 28 मार्च 1994

सं० सी० डब्ल्यू० आर/2/90—यतः द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स के विनियमन, 1959 के संशोधनार्थ द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस अधिनियम 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उपधारा (3) के तहत अपेक्षित यह मसौदा विनियमन संशोधन हेतु भारत सरकार के राजपत्र भाग III—खण्ड 4 में द इन्स्टिच्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया के आदेशों के तहत दिनांक 27 नवम्बर 1993 को आदेश संख्या सी डब्ल्यू आर (1)/87 के अनुसार उन सभी व्यक्तियों से जो इससे प्रभावित होंगे उनसे भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होने तथा जनसाधारण को इसकी प्रतिलिपियां जन साधारण को उपलब्ध होने की 45 दिन की समाप्ति के पूर्व यदि कोई असहमति (आब्जेक्शन) या कोई सुझाव हो तो जन साधारण से आमंत्रित किया गया है।

यतः उक्त राजपत्र में प्रकाशित आदेश की प्रतियां जन-साधारण को दिनांक 9 नवम्बर 1993 को उपलब्ध कराई गई हैं।

यतः काउन्सिल द्वारा प्राप्त असहमतियों तथा सुझावों पर विचार विमर्श किया गया।

अतः अब द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स, अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 39 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग केन्द्र सरकार से अनुमोदन लेने के पश्चात् एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमन द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियमन, 1959 में और अधिक संशोधन हेतु पारित किया गया है: यथा:

1. (1) यह विनियमन द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स (एमेंडमेन्ट) विनियमन, 1994 के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन तिथि के दिन से लागू होगा।

2. द कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स विनियमन, 1959 (इसके उपरान्त से उक्त विनियमन के नाम से संदर्भित किया जाएगा) :—

(क) विनियमन संख्या 54 की उप विनियमन (1) के रूप में पुनः संख्यायित करने के बाद उप-विनियमनों निम्नलिखित उप-विनियमन को इसमें जोड़ा जाएगा यथा :

(3) उप विनियमन (1) में कोई वस्तु रहने के बावजूद भी कोई व्यक्ति काउन्सिल में एक सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिये वह पात्र नहीं होगा यदि :—

(क) यदि उसने निरन्तर तीन वार्षिक सत्रों की अवधि में पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य किया हो या

(ख) वह इन्स्टिच्यूट द्वारा या इन्स्टिच्यूट में नियुक्त हो।

व्याख्या —1

इस नियम के प्रयोजन के लिये काउन्सिल में निर्वाचित सदस्य के कार्य काल की अवधि किसी भी ऐसी काउन्सिल में होगी जो धारा 14 के तहत गठित की गई है।

व्याख्या-2

यदि कोई व्यक्ति इसलिखित वर्णनानुसार निरन्तर दो वर्षों के सत्रों की अवधि किसी काउन्सिल में सदस्य के रूप में समाप्त करता है तो वह उसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में जहां उसका नाम शामिल किया गया हो वहां से उप-विनियमन (1) के तहत काउन्सिल के चुनाव में किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उसकी पात्रता होगी।

(ख) उप विनियमन 2 के उपरांत विनियमत 117 में अधोलिखित उपनियम समाविष्ट किया जाएगा यथा :

"3" उपविनियमन 1 में उल्लेख के रहने के बावजुद भी क्षेत्रीय काउन्सिल का कोई सदस्य किसी चुनाव के लड़ने का या किसी क्षेत्रीय काउन्सिल में सदस्य होने का पात्र नहीं होगा यदि :

(क) उसने निरन्तर तीन सत्रों की अवधि में किसी काउन्सिल या क्षेत्रीय काउन्सिल में पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य के रूप में कार्य किया हो या

(ख) वह इन्स्टिच्यूट द्वारा या इन्स्टिच्यूट में नियुक्त किया गया हो।

व्याख्या—1

इस नियम के प्रयोजन के हेतु, इस अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित किसी काउन्सिल की अवधि काउन्सिल के किसी सदस्य के लिये एक सत्र की होगी तथा उक्त विनियमन 121 के तहत गठित किसी क्षेत्रीय काउन्सिल का कार्यकाल किसी भी चयनित सदस्य के लिये क्षेत्रीय काउन्सिल में एक सत्र का होगा।

व्याख्या—2

यदि किसी सदस्य ने ऊपर के वर्णनानुसार किसी भी काउन्सिल या क्षेत्रीय काउन्सिल में एक सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल निरन्तर दो वर्षों तक समाप्त कर लिया हो तो उसे उप विनियमन 1 के तहत किसी क्षेत्रीय काउन्सिल में चुनाव लड़ने का अधिकार होगा।

एस० आर० आचार्य
सेक्रेटरी

पाद टिप्पणी : मूल विनियमनों का प्रकाशन भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 25 मई, 1959 को जीएसआर 611 सं० के तहत प्रकाशित हुआ है।

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay, the 31st December 1993

No. 3WCA(4)3/93-94—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (c) of the Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, has removed from the Register of Members of this Institute on account of non-payment of the prescribed fees, with effect from the date mentioned against their names, the names of the following members:—

S. No.	MRN	Members Name & Address	Canc. Date
1	2	3	4
1.	000569	Mr. Naoroji Rustom Ratanshaw G-22, Cusrow Baug, Colaba Causeway Bombay-400 005	01-10-93
2.	000622	Mr. Joshi Karsondas Ratanshi Opposite Station, Jawahar Road, Ghatkopar As. Bombay-400 077	01-10-93
3.	000647	Mr. Shah Bhupendraray T. Nootan Nagar, H-23, Bandra Bombay-400 050.	01-10-93
4.	000658	Mr. Chakravarty Kshitis Chandr 60A/1, Brindaban Society, Majewadi, Thane-400 601.	01-10-93
5.	000660	Mr. Desai Nanubhai, Jogibhai 516, Sir Vithaldas Chambers 16, Bombay Samachar Marg Bombay-400 023.	01-10-93
6.	001206	Mr. Mehta Harshad Shantilal Prakash, 5, Subhash Road, Vile Parle East Bombay-400 057.	01-10-93
7.	001888	Mr. Godbole Ramachandra Gajana Padmaja 67/3, Evandawana Chiplunkar Rd. Pune-411 004.	01-10-93
8.	002281	Mr. Shroff Behram Maneckji B/5 Jer-Baug Byculla Bombay-400 027.	01-10-93
9.	002412	Mr. Mohoni Manohar Gopal Panchdeep Apt., Next to I.T.I. Complex, Aundh-E Pune-411 007.	01-10-93
10.	002467	Mr. Parelkar Durgadas Balaram Electrical Products India, Advani Chambers, III Floor Sir P.M. Rd., Fort Bombay-400 001.	01-10-93
11.	002578	Mr. Shah Pushpakant Sakerlal Post Box No. 41175, Nairobi, Kenya-0.	01-10-93
12.	002738	Mr. Sriram Kurpad Gundappa 41, Dandelion Chimbar Road, Bandra Bombay-400 050.	01-10-93
13.	003084	Mr. Patkar Dattatraya Anant C-Ground Floor, Prathamesh Co. Op. Hsg. Soc., Bombay Dyeing compound off Veer Savarkar Rd., Prabh Bombay-400 025.	01-10-93
14.	003347	Mr. Patel Ranjeet Vadilal 2 Laxmi Nivas Soc., Paldi-7 Ahmedabad-0.	01-10-93

1	2	3	4
15.	003364	Mr. Advani Chandur Kishanchand 182, Neelambar, Drgopalrao Deshmukh Marg, Bombay-400 026.	01-10-93
16.	003581	Mr. Shah Punamchand Jechanddas Block No. 6, Harsha Vasant Kunj Bapubhai Vashi Rd. Vile Parle West; Bombay-400 056.	01-10-93
17.	003611	Mr. Daulatjada Jawahar Navinch Flat No. 19, IV Floor, Capri Manav Mandir Rd. Bombay-400 006.	01-10-93
18.	003896	Mr. Patel Jayantilal Harjiwand Jayantilal Patel & Co., 5 Hari Bhavan, Tej Pal Rd. Bombay-400 007.	01-10-93
19.	003986	Mr. Lad Lalbhai Budhabhai 3330, Bienville St., New Orleans, LA 70119 USA-0.	01-10-93
20.	003991	Mr. Vakharia Rajnikant Chandul Panorama 6th, Floor 203, Walkeshwar Road, Bombay-400 006.	01-10-93
21.	004156	Mr. Vencatesan P.N. Chairman & Managing Director, Venc Management Consultants 32 Samudra Mahal, Bombay-400 018.	01-10-93
22.	004164	Mr. Pocketwala Kalim Ebrahim P.O. Box C 272, Clarence Street, Sydney-200 0.	01-10-93
23.	004243	Mr. Boyce Bomy Jamshed Cusrow Baug, Block S-3, I Floor, Colaba Causeway Bombay-400 001.	01-10-93
24.	004245	Mr. Surti Dhananjay Dhirajilal New Suri Building, Flat No. 9, Sonaria Road, Vile Parle-East, Bombay-400 057.	01-10-93
25.	004596	Mr. Varghese K.V. Assistant Finance Mgr. Fertilizer Corpn. of India Trombay Div. Chembur Div. Bombay-400 074.	01-10-93
26.	005068	Mr. Sankaran G.S. 3/117, Apsara, 21st Road, Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
27.	005605	Mr. Talwar Birbal 14/15, Amar Jyoti, Four Bungalows Rd. Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93
28.	005657	Mr. Daver Maneck Rustomjee Dalal Estate, P-Block No. 5, Lamington Road, Bombay-400 008.	01-10-93
29.	006890	Mr. Shah Jasvantrai Amulakhbha A/402, Golden Oak High Street, Hiranandani Gardens, Powai Bombay-400 076.	01-10-93
30.	007002	Mr. Subramanian V. 603, Bldg. No. F-2, Poonam Kunj, Poonam Nagar Complex Off Mahakali Caves Rd., Andheri E- Bombay-400 093.	01-10-93

1	2	3	4
31.	007094	Mr. Thakore Ajay Indrajit 1416, Dalamal Tower, Nariman Point, Bombay-400 021.	01-10-93
32.	007174	Mr. Kothari Dr. Sunil Manilal Shri Navnit Parekh Ivorine, 154, Karve Rd., Bombay-400 020.	01-10-93
33.	007337	Mr. Roy Paritosh 403, Homestead, Lokhandwala Complex, off; 4 Bunglows, Versova Road, Andheri (West), Bombay-400 058.	01-10-93
34.	007508	Mr. Fadia Harshad Aniyantlal H.A. Fadia & Co. F-47, Jivan Nagar, IV Floor, New Ambivali Co. O.P. Hsg. Soc. Veera Desai Rd., Verso, Bombay-400 058.	01-10-93
35.	007873	Mr. Kothari Subhash Chandra 1, Siddharth Complex Opp. Anandnagar Bus Stop Paldi Bhattha Road, Ahmedabad-380 006.	01-10-93
36.	008664	Mr. Banatvala Sam Cursetji 2A, Indu Park Four Bunglows, Andheri (W), Bombay-400058.	01-10-93
37.	008757	Mr. Dongre Bhalchandra Vinayak 10, 11 & 12, Travellers Lodge Sayaji Gunj, Baroda-390 005.	01-10-93
38.	008787	Mr. Ashar Vijaysinh Purshottam 7, Neelkanth Palace, 157, Garodia Nagar, Ghatkopar W Bombay-400 077.	01-10-93
39.	008945	Mr. Khasgiwale Raghunath Anant Rameshwar Prasad, 10, Shukrawar Peth, Post Box No. 536 Pune-411 002.	01-10-93
40.	009052	Mr. Shah Navin Hunsraj Shah Shah & Co. 203, Niranjan, 99, Marine Drive, Bombay-400 002.	01-10-93
41.	009389	Mr. Venugopal P. 9/64, Chandar Nivas, Sindhi Soc., Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
42.	009690	Mr. Sharma Lila Dhar Indo Phil Textile Mills Inc. 4 03 Equitable Bank Bldg., Sen Gil Puyat Extention Cor. Paseo Dee, Philippines-0	01-10-93
43.	010029	Mr. Mehta Jagatmohan Bhogilal E/8, Commerce Centre, Tarded Road, Bomyay-400 034.	01-10-93
44.	010108	Mr. Vora Dvijendra Champhor & Allied Products Ltd, 133, M.G. Road, Bombay-400 001.	01-10-93
45.	010422	Mr. Maheshwary Dwarkaprasad G.D. 70-26, Groton Street, Forest Hills, New York-11375—5102 USA-0.	01-10-93
46.	010622	Mr. Srinivasan N.S. A/605, Nuggat, New Prabhadevi Road, Bombay-400 025.	01-10-93

1	2	3	4
47.	010679	Mr. Shroff Asitkumar Krishnala 10, Downwing Court Middletown N.J. 07748 USA-0.	01-10-93
48.	010785	Mr. Jussawalla Aspi Jal 14, Adams Avenue, Malabar Heights, New South Wales, Australia-203 6.	01-10-93
49.	010837	Mr. Upadhyay Dipendra Nanubhai 5, Rajhans Apts. Opp. Gurukul Drive in Rd., Memnagar, Ahmedabad-380 052.	01-10-93
50.	010936	Mr. Damani Vijaykumar Brijgopal Flat No. 11, Technocraft Soc. Vir Savarkar Marg, Prabhadevi, Bombay-400 025.	01-10-93
51.	011194	Mr. Sekar Natesan 16/4, Ashwini Co. Op. Soc. Behind Janata Sahakari Bank Station Rd., Kolhapur-416 001.	01-10-93
52.	011449	Mr. Shah Dhairyakant Sunderlal Dhairyakant Shah & Co., 7, Purneshwar Chambers, First Floor Opp. Dinesh Hall, Navarangpura, Ahmedabad-380 009.	01-10-93
53.	011632	Mr. Amitava Sen Flat No. 10, Kailash Kutir Co-op. Hsg. Scty. Plot No. 199 Wadala, Bombay-400 031.	01-10-93
54.	011738	Mr. Dhanesha Sohanraj Shankeri S.S. Dhanesha & Co. 7A, Ramkrupa Bldg. Mandapeshwar Rd. Borivli-W Bombay-400 092.	01-10-93
55.	011752	Mr. Parthasarathy S. 8, Chandra Nivas Colony Road, Sion (West), Bombay-400 022.	01-10-93
56.	011799	Mr. Krishnamurthy P. Banque Indosuez 607, Raheja Centre, Nariman Point Bombay-400 021.	01-10-93
57.	012052	Mr. Modi Jagdishchandra Thakor Jagdish Modi & Co. 109/110, Shri Balaji Darshan, I Floor Tilak Rd., Santacruz West, Bombay-400 054.	01-10-93
58.	012303	Mr. Patel Indulal Raojibhai Mota Pura P.O. Nadiad, Dist. Kair, Nadiad-0.	01-10-93
59.	012615	Mr. Parekh Krishnakant Dhirajl K.D. Parekh & Co., 346, Sarvodaya Comm. Centre, Near; Relief Road, Ahmedabad-380 001.	01-10-93
60.	012619	Mr. Naik Anilkumar Chhaganlal Shanti Bhuvan, II Floor, Chapel Lane, Santacruz West, Bombay-400 054.	01-10-93
61.	013213	Mr. Mehta Dharamdas Nandlal Mahalaxmi Export Agency, 602, Sharda Chambers New Marine Lines, Bombay-400 020.	01-10-93
62.	013355	Mr. Panchamia Ashvin Pranlal 9/18, Chandra Niwas, Sion-W, Bombay-400 022.	01-10-93
63.	013751	Mr. Mankad Ravinder Kumar Central Bank of India, Regional Office, 317, Mahatma Gandhi Rd. Pune-411 001.	01-10-93

1	2	3	4
64.	013763	Mr. Lahoti Subhash Motilal S.M. Lahoti & Associates, Lahoti House, R.S. Road, Chendani, Thane-400 601.	01-10-93
65.	013935	Mr. Kale Madhav Dhundiraj 9225-A, Cefros Ave, Panorama City, CA-91402, USA-0.	01-10-93
66.	013985	Mr. Ranade Sadanand Gopal Kamal Kishore Bai Govind Das R. Mahim, Bombay-400 016.	01-10-93
67.	014062	Mr. Goradia Pradyuman Kalyanda Chief Accountant, Gwardion Royal Exchange Assurance Plc. P.O. Box 2310, Safat, Kuwait-0.	01-10-93
68.	014383	Mr. Serrao William Bld. No. 5, Flat No. 8. Aravind Nagar, Kalina, Bombay-400 029.	01-10-93
69.	014529	Mr. Aditya Puri Vice President & Area Head(I) Srilanka, Nepal & Bangladesh, C III, Bank Na Sakhar Bhavan 230, Bombay-400 021.	01-10-93
70.	014642	Mr. Mehta Balvantray Kalabhai B.K. Mehta & Co. Shopping Centre, III Floor, Block No. 21 Santacruz West, Bombay-400 054.	01-10-93
71.	014738	Mr. Kumaraswamy S. 32, Devon Square, Devon Rd. Kingston-10, Jamaica, West Indies-0	01-10-93
72.	014749	Mr. Modi Piyush Girdharlal 14/B, Vishwanagar Soc. Near Jivraj Park Behind Ravinagar Vejalpur, Ahmedabad-380 051.	01-10-93
73.	014830	Mr. Rajpal Naresh Jaikishan C/o Central Trading Co., P.O. Box 812, Dubai, U.A.E.-0.	01-10-93
74.	014889	Mr. Saoekar Digambar Krishnaji P.O. Box 2323, Dubai, U.A.E.-0.	01-10-93
75.	015140	Mr. Rebello Desmond Perey 502, Seaking Apts. H.K. Bhabha Rd., Bandstand Bandra, Bombay-400 056.	01-10-93
76.	015213	Mr. Chinoy Ranjit Jayantilal R.J. Chinoy & Co., Ramnik House, Jubilee Chowk, Opp. Alfred High School, Rajkot-360 001.	01-10-93
77.	015251	Mr. Mehta Manoj Dalichand Manoj Mehta & Asso. 38 Vasundhara, IV Floor 17, Bhulabhai Desai Rd., Bombay-400 026.	01-10-93
78.	015469	Mr. Chaturvedi Ramji Shyamlal 1606, Yogi Tower, Yogi Nagar, Borivali West Bombay-400 092.	01-10-93
79.	016132	Ms. Arnaz J. Bharucha 41981, Marine Drive Apt. 'A' Hemet California 92344 USA-0.	01-10-93
80.	016263	Mr. Vaid Mohamed Farooq Abubak 99, Ismail Curtay Road, Vaid Bldg., Bombay-400 003.	01-10-93

1	2	3	4
81.	016337	Mr. Amlani Rameshchandra K. P.O. Box No. 39074 Nairobi, Kenya-0.	01-10-93
82.	016610	Mr. Kanungo Ghewar Chand 503 Manish Darshan I, Behind Kantinagar Jain Temple J.B. Nagar Andheri East Bombay-400 059.	01-10-93
83.	016681	Mr. Sarada Hareshwar R. Hareshwar Sarda & Co. 7 Yaksha Soc. New Pandit Clny. Nashik-422 002.	01-10-93
84.	016801	Mr. Chandra Debasish Post Box-33304, Lusaka, Zambia-0.	01-10-93
85.	016853	Mr. Joshi Ramesh Bhalchandra 307 Ashirwad Ahmedabad Street Carnac Bunder, Bombay-400 009.	01-10-93
86.	016908	Mr. Gupta Suresh Kumar Suresh Gupta & Co. 322 Ajanta Textile & Shopping Textile Arcade Ring Rd. Surat-395 002.	01-10-93
87.	017179	Mr. John Sundaresan Laxmi 186 Sylvan Street Rutherford New Jersey 07070 U.S.A.-0.	01-10-93
88.	017210	Mr. Choksi Hemant Navinchandra Hemant Choksi & Co. 5/1212 Haripura Bhawanvad-3 Surat-0.	01-10-93
89.	017437	Mr. Kishnani Ramesh Kishinchan R.K. Kishnani & Co. A/5 Asha Kiran CBS Coop 20 Tejpal Rd. Vile Parle-E Bombay-400 057.	01-10-93
90.	017566	Mr. Om Prakash Agrawal 5/50 Rameshwar Apts., Sola Road, Ahmedabad-380 013.	01-10-93
91.	018223	Mr. Netravali Uday Shankar B 9/10 Kartik Sadan 2nd Floor Near Ramchandra Theatre Dombivli (E) Thane-421 201.	01-10-93
92.	018466	Mr. Krishna P. C/o Bahwan Business Centre Suhail & Saudbahwan P.O. Box 169, Muscat Sultanate of Oman-0.	01-10-93
93.	022302	Mr. Natarajan K.V. 4 Indu Apts., Cama Lane, Nr. Fatima High School Ghatkopar-W Bombay-400 086.	01-10-93
94.	022929	Mr. Ravi Shankar B. B-706 Shanker Enclave Ashok Nagar, Kandivli-E, Bombay-400 101.	01-10-93
95.	023261	Mr. Ranganath R. Manager Bharat Petroleum Corpn. Ltd., Bharat Bhavan 2, P.B. No. 688, BA Bombay-400 038.	01-10-93
96.	024904	Mr. Gopala Krishna V. C/o Dr. Khandelwal 27, Vikas Nagar, Behind Pawan Gas New Osmanpura Aurangabad-431 005.	01-10-93
97.	025823	Mr. Krishnan K. C/o Wimco Limited Indian Merchantile Chambers Ramjibhai Kamani Marg, Ballard Bombay-400 038.	01-10-93
98.	027768	Ms. Radha S. 4/11, BPT Quarters, Worli, Bombay-400 025.	01-10-93

1	2	3	4
99.	028063	Mr. Abraham Joseph P.O. Box 1003 Alkhobar 31952 Saudi Arabia-0.	01-10-93
100.	028279	Mr. Srikaran S. C-11/13, HDFC Colony MIDC, Chinchwad, Pune-411 019.	01-10-93
101.	028313	Mr. Subramanyam P. F/82 Maker Kundan Gardens, Juhu Tara Road, Santacruz-W Bombay-400 049.	01-10-93
102.	028403	Ms. Sridevi S. C-49 Seventh Floor Rastra Sarathy Coop. Housing Society Deen Dayal Nagar Mulud, Bombay-400 081.	01-10-93
103.	028588	Mr. Sreeram P. Assistant Accounts Manager The Raymond Woollen Mills Ltd., Divn, JK Engineers Files, P.O. JE Thane-400 606.	01-10-93
104.	029470	Ms. Padmavathi T.L. No. 302, Sunny Estates, IIIrd Floor, Sion Trombay Road, Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
105.	029798	Mr. Charly K.S. C/o Whinney Murray & Co. P.O. Box 3795, Alkhobar 31952 Saudi Arabia-0.	01-10-93
106.	029883	Mr. Prakash R. C/o Keserval Beverages Ltd., Bethora, Ponda, Ponda Goa-403 401.	01-10-93
107.	029897	Mr. Jayaraman V. 28/219 Gokulam Sion East Bombay-400 022.	01-10-93
108.	029998	Mr. Baskar V. C/o M/s Essar Investments Ltd., 14th Fl. Maker Chamber IV Nariman Point, Bombay-400 021.	01-10-93
109.	030022	Mr. Chherawala Shabbir Fakhrud 152 Al-Aali Manzil I Floor Flat No. 1 Nagdevi St. Bombay-400 003.	01-10-93
110.	030047	Mr. Iftakhar Ahmed M/s Bader Al-Mulla & Bros. Co. P.O. Box-177, Safat, Kuwait-130 002.	01-10-93
111.	030094	Mr. Shah Bharatkumar Amratlal B.A. Shah & Co. 9 Mangal Prabhat Phirozsha St. Santacruz West Bombay-400 054.	01-10-93
112.	030261	Mr. Bhandarkar Narayan Anantra 11-C 'Ashwin' Plot No. 27/1 Marve Rd. Malad (West) Bombay-400 064.	01-10-93
113.	030264	Mr. Shah Shailesh Ramanlal Shailesh Shah & Co. D.J. Ruparelia & Co. 42 Gopal Bhuvan III Floor 199 Princess St. Bombay-400 002.	01-10-93
114.	030350	Mr. Kejriwal Ratanlal Narayan P 610 Commerce House Medows St. 140 Nagindas Master Rd. Bombay-400 023.	01-10-93

1	2	3	4
115.	030446	Mr. Desai Rajendra Maganlal Rajendra Desai & Co. 26 Anjali Kiran Bombay-400 055.	01-10-93
116.	030505	Mr. Pardasani Lal Pardasani Lal Fatehchand 2, Allawah Court Vermont South Vic 3133 Australia-0.	01-10-93
117.	030512	Mr. Joshi Mukund Madhusudan Shreehari . . . 17/18 Dhanashree Co. Op. Hsg. Soc. Kothrud, Pune-411 029.	01-10-93
118.	030535	Mr. Shah Prakash Shantilal Gupta Shah & Co. III Floor 141A Great Western Bldg. Medows St-Extn.-130/132 Apollo St. Bombay-400 023.	01-10-93
119.	030562	Mr. Barot Dinesh Raghunath 92 Paradise Park Ambawadi, Ahmedabad-0.	01-10-93
120.	030785	Mr. Gopiyani Dineshchandra Umi Ist Floor 265 S. Bhagat Singh Rd. Fort Bombay-400 092.	01-10-93
121.	030853	Mr. Kulkarni Pratapsinha Shesh "E" Behind Vinayak Bungalow Shahupuri IV St. Kolhapur-416 001.	01-10-93
122.	031028	Mr. Chate Vilas Anantrao 50 Shri Krishna Nagar Borivli-East Bombay-400 066.	01-10-93
123.	031039	Mr. Gadgil Jayant Shripad Samruddhi Cooperative D. Bldg. IV Floor Bhavan, I Shankar Cross Rd. Dadar West Bombay-400 028.	01-10-93
124.	031396	Mr. Burad Sajjan Singh G.M. Finance, Jain Spinners Lt. Plot C-1 MIDC Indl. Area, P.O. Paithan, Aurangabad-0.	01-10-93
125.	031506	Mr. Kapadia Kishore Madhavdas 99, Vithal Wadi, Bombay-400 002.	01-10-93
126.	031609	Mr. Behede Arvind Trambek Gokul Bldg. 1184 Shivaji Nagar Fergulan College Rd., Pune-411 005.	01-10-93
127.	031825	Mr. Goyal Alok Rajendra 54-B Nariman Bhavan 227 Nariman Point, Bombay-400 021.	01-10-93
128.	031913	Mr. Sanghvi Madhukant Girdhar L M.G. Sanghvi & Co. 816 Gandhi Rd. Beside Jain Temple 1 Floor Khadia Char Rasta, Ahmedabad-380 001.	01-10-93
129.	031983	Mr. Chalapati Rao B.V. Aruna C-24/213 MIG Clay. Gandhi Nagar Bandra East, Bombay-400 051.	01-10-93
130.	031985	Mr. Keshwani T. L C/o, M.K. Patel, 28, Tirthnagar Society No. 1, Sola Road, Ghatlodia Ahmedabad-380 061.	01-10-93
131.	032019	Mr. Sancheti Suresh Zaverchand 6 Shivnath Apt., 1304/10 Shukrawar Peth, Pune—411002	01-10-93
132.	032032	Mr. Vaidya Kashyap Krishnapras 51 Devprayag Veera Desai Rd. Andheri West Bombay-400 058.	01-10-93

1	2	3	4
133.	032073	Mr. Pinto Gleason P. D-4, Purab Apts., Gilbert Hill Behind Recreation Club, Andheri-W, Bombay-400 058.	01-10-93
134.	032197	Mr. Agarwal Subhash Chandra 2A, Kitab Mahel Ist Floor, 192 Dr. D.N. Road Bombay-400 001.	01-10-93
135.	032261	Mr. Parikh Shirish Shantilal Parikh S.S. & Co. 27 Chakla Cross Lane, Bombay-400 003.	01-10-93
136.	032473	Mr. Mittal Jagdish Prasad C/o Waleeo Associates, P.O. Box 437 Muscat, Sultanate of Oman-0.	01-10-93
137.	032475	Mr. Ved Deepak Madhavji D.M. Ved & Co. A-202 Mody Nagar Mathurdas Rd. Kandivli-W Bombay-400 067.	01-10-93
138.	032493	Mr. Jmbiye Sudhakar Rajaram Sonal 602 6th Floor Near Saraswati English Medium High School Panch Pakhadi, Thane-0.	01-10-93
139.	032494	Mr. Kaji Digant Ishwarlal 9 Nilraj Sidhi Sadan Clny. Mandpeshwar Rd. Opp. Bhagwati Hospital Boriwali-West Bombay-400 092.	01-10-93
140.	032888	Mr. Patel Tushar Jashbhai A-27 Tulip Bunglows Behind Drive-in-Cinema Near Goyel Intercity Ahmedabad-380 052.	01-10-93
141.	032898	Mr. Pagdiwala Keki Phiroz 694 Rd. No. 3 Parsee Clny. Dadar, Bombay-400 014.	01-10-93
142.	033070	Mr. Framroze Mino Meherji Darya Mahal A. 80 Nepean Sea R. 12th Floor Flat No. 70, Bombay-400 006.	01-10-93
143.	033085	Mr. Butala Rajesh Vasantlal 8/10 Calcot House Tamrind Lane, Ist Floor Fort, Bombay-400 023.	01-10-93
144.	033155	Mr. Bhobe Udai Roghuvir C/o Chowgule & Co. Pvt. Ltd., Chowgule House, Harbour, Margao-0.	01-10-93
145.	033379	Mr. Kadakia Mayur N. B/7 Sagar, 73-74 Relief Rd. Santacruz West Bombay-400 054.	01-10-93
146.	033513	Mr. Vakharia Navin Hemchand 103/104 F Wing Patel Nagar M.G. Cross Rd. No. 4 Kandivli West Bombay-400 067.	01-10-93
147.	033797	Mr. Shah Rajesh Himatlal 103 Bhagyodaya A 53-B Sarojini Rd. Vile Parle West Bombay-400 056.	01-10-93
148.	033870	Mr. Vyas Vijaykumar Jaymanisha 21 Ashtoshnagar Soc. Karelibaug, Baroda-390 018.	01-10-93
149.	034031	Mr. Kansara Nitin Vitthalbhai T-8 Vikram Chambers Nr. Income Tax Office Ashram Rd. Ahmedabad-380 009.	01-10-93
150.	034184	Mr. Majumdar Shilpeen Shah Mehta Majumdar 204 Shreejala Apts. Opp. Lakdi Pool Dandia Bazar, Vadodara-390 001.	01-10-93

1	2	3	4
151.	034221	Mr. Khetani Hasmukh Hiralal H.H. Khetani & Co. 205 Mahavir Chambers Near Anand Dinning Hall Salapose Rd. Ahmedabad-380 001.	01-10-93
152.	034318	Mr. Popat Ajaykumar Chimanlal 1/A 32 Dattani Gram Mathuradas Rd. Near Irani Wadi No. 3 Kandivli-W Bombay-400 067.	01-10-93
153.	034556	Mr. Tejwani Dineshkumar D.K. Tejwani & Co. 303 Vardhaman Chamber Kalyan S. Bombay-400 009.	01-10-93
154.	034560	Mr. Shende Abhijit Vasudeo 8 Unmesh Co. Op. Soc. Bhagat Lane Mahim, Bombay-400 016.	01-10-93
155.	034595	Mr. Desai Utpal Ramanlal U Desai & Co. Bharat Kunj 8th R. Santacruz East, Bombay-400 055.	01-10-93
156.	034636	Mr. Derashri Mahesh Kumar R. No. 36 IIrd Floor 56 Telgall Vithal Wadi Kalbadevi Bombay-400 002.	01-10-93
157.	034657	Mr. Anna Chhatre Arun Padmakar 1206/B/13 Shivaji Nagar, Pune-411 004.	01-10-93
158.	034700	Mr. Hakani Kiritkumar Jivanlal 196/5408 Pantnagar Ghatkopar East Bombay-400 075.	01-10-93
159.	034902	Mr. Dusad Shivlal Fulchand Office No. 25 Highway Towers Pune Bombay Road Chinchwad Pune-411 019.	01-10-93
160.	034912	Mr. Desai Umang Arunkumar Plot No. 236/A, First Floor, Nr. 'GH' 6 Corner, Sector-28, Gandhinagar-382 028.	01-10-93
161.	035055	Mr. Shah Jitendrakumar Kantila D-15-102 Yogi Smruti Co. Op. Hsg. Soc. Yogi Nagar, Eksar Road, Borivali-W Bombay-400 092.	01-10-93
162.	035132	Mr. Kshatriya Vishwas Hiralal V.H.K. Shatriya & Asso Neel Sagar Flat No. 10 Plot No. 10 B Andra Reclamation Krishnachand Bombay-400 050.	01-10-93
163.	035259	Mr. Shah Velchand Valjibhai 105 Lucky Palace Near State Bank Naughar Vasai Rd W. Rly. Thane-401 202.	01-10-93
164.	035264	Mr. Venkataraman Sivakumar Schlumberger Technical Services Inc., P.O. Box 9261, Dubai, U.A.E.-0.	01-10-93
165.	035307	Mr. Madan Neville Dinsha Central Trading Company P.O. Box No. 812 Dubai-0.	01-10-93
166.	035342	Ms. Punja Arti 31 Jolly Maker Apts., No. 3, Cuffe Parade, Bombay-400 005.	01-10-93
167.	035412	Mr. Thakkar Hasmukhbhai Shanti 54-B/104, Anand Nagar, Chhatrapthi Shivaji Road, Dahisar, Bombay-400 068.	01-10-93

1	2	3	4
168.	035468	Mr. Bhesania Kersy Shavaxshaw Takshila Bldg. No. 24A III Floor Flat No. 32 Mahakali Caves Rd. Andheri East, Bombay-400 093.	01-10-93
169.	035493	Mr. Bookwala Yunus Zulfikar 52 Swarna, Chalpet Lane, Santacruz-W Bombay-400 054.	01-10-93
170.	035572	Ms. Kulkarnivrunda Bhalchandr C/10 Anuprita Co. Op. Veera Dessai Rd. Andheri-W Bombay-400 058.	01-10-93
171.	035575	Mr. Jajodia Ram Gopal Jajodia & Co., 403-A, Swiss Palace, Shastri Nagar Four Bungalow, Andheri-W Bombay-400 058.	01-10-93
172.	035777	Mr. Sheth Vijay Rajendra 1/12, 'Sai Rachna', 30, Juhu Road Santacruz-West Bombay-400 054.	01-10-93
173.	035780	Mr. Colabavala Khushroo Bomi Standard Chartered Bank Investment Banking Division 23-23 M.G. Road, Bombay-400 001.	01-10-93
174.	035896	Mr. Vora Mehul Kesarichand IV Floor Victor Villa 5 Babulnath Rd., Bombay-400 007.	01-10-93
175.	035960	Mr. Patel Ashok Motibhai A/15 'Sumeru' Nr. Amaltas Bungiows, O/s Vastrapur Village, Ahmedabad-380 054.	01-10-93
176.	036332	Mr. Nangia Jayant Ruplal Eden II, B/102, Hiranandani Gardens, Powai, Bombay-400 076.	01-10-93
177.	036343	Mr. Borkar Bhaskar Gurudas Rahat Manzil II Floor Dr. Ambedkar Rd. Khar-West Bombay—400 052	01-10-93
178.	036577	Mr. Ranadive Sameer Gajanan 31 Vithal Nagar Soc. 10th Rd. J.V.P.D., Bombay-400 049.	01-10-93
179.	036585	Mr. Iyer Narayan Parasuram 6 Saroj Sadan Sir Balchandra R. Matunga, Bombay-400 019.	01-10-93
180.	036597	Mr. Desai Jayesh A. C/o Dodsal GMBH Post Box No. 701 Abu Dhabi, U.A.E.O.	01-10-93
181.	036600	Mr. Redli Nandkisore Parshuram 3/44 Bahari Bldg, Jackeria Bandra Rd. Sewree, Bombay-400 015.	01-10-93
182.	036787	Ms. Suraliwala Kashmira Hom Kala Niketan Apts., Tithal Road, Valsad-396 001.	01-10-93
183.	036844	Mr. Chandak Brij Ballabh B.B. Chandak & Co. 49 Lawyers Chamber Picket Rd. Bombay-400 002.	01-10-93

1	2	3	4
184.	036852	Mr. Acharya Kuldipak Arjunde 43-13 65th Street 3-A Woodside N.Y. 11377 USA-0.	01-10-93
185.	036899	Mr. Daga Alok Global Enterprises, P.B. No. 2925, Seeb Sultanate of Oman Sultanate of Oman-0.	01-10-93
186.	036916	Mr. Sebastian Pascal Martin 'Cicilia' Samani Bauigaon Tall & Post Vasai, Vasai-401 201.	01-10-93
187.	036987	Mr. Lochan Rajiv Mes Block 3/9 Navy Nagar Colaba, Bombay-400 005.	01-10-93
188.	037108	Mr. Jha Dharmesh Vishnuprasad 108-110 Chakla Street, Bombay-400 003.	01-10-93
189.	037117	Ms. Mantrianita Brijlal 1201/12A Sahakar Shirole Road, Pune-411 004.	01-10-93
190.	037182	Ms. Sankaran Chitra 3/117 Apsara 21st Road Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
191.	037230	Mr. Shah Ajay Kantilal Ajay K. Sha & Asso, 403/D.V. Floor Shanti Nagar Co. Op. Hsg. Dutt Mandir, Bombay-400 097.	01-10-93
192.	037278	Mr. Dubash Freddy Rusi 5-A, Karai Estate, Tardeo Road, Bombay-400 007.	01-10-93
193.	037289	Mr. Raju V.S.M. 44/179 Srinivas Garodia Nagar, Ghatkopar East, Bombay-400 077.	01-10-93
194.	037307	Mr. Iyer Janardhanan Sunderam B-37 Muktidam Co. Op. Srinagar, Thane-W Thane-0.	01-10-93
195.	037327	Mr. Nadkarni Shankar Shripad 4/158 Ambodkar Nagar Opp. Worli Police Station Worli, Bombay-400 018.	01-10-93
196.	037361	Mr. Panwala Jitendrakumar Ishw 11/2511 Matruchhaya Machhalipith Surat-0.	01-10-93
197.	037405	Mr. Gusani Dipakkumar Vrajlal Plot No. 584/1, GH-2, Corner Sector No. 7, Gandhinagar-382-007.	01-10-93
198.	037412	Mr. Shah Ashok Shantilal 357 Nagindas Bldg. S.V.P. Rd. First Floor Block No. 1 Bombay-400 004.	01-10-93
199.	037443	Mr. Patil Purushottam Uttam A/54/Shree Mahal Axmi Cooptious Soc. Veer Desai Rd. Andheri-West Bombay-400 058.	01-10-93
200.	037579	Mr. Venkatesh Raghura 3 Usha Apts S. Navghar Cross Rd. Mulund East, Bombay-400 081.	01-10-93

1	2	3	4
201.	037593	Mr. Vishnu Kumar Nandlal & Sons Mawawaba 202 Null Bazar Teen Batti, Bombay-400 003.	01-10-93
202.	037735	Mr. Correa, Gerhard Marti C/o National Bank of Abudhabi P.O. Box No. 4, Abu Dhabi, U.A.E.-0.	01-10-93
203.	037757	Mr. Roongta Madhu Amarchand F-9 Shanti Bhavan Sarojini Naidu Rd. Mulund West Bombay-400 080.	01-10-93
204.	037768	Mr. Kamari Burhanuddin M. Moham 46 Mithaiwala Bldg. Sarang St., Ist Floor, Bombay-400 003.	01-10-93
205.	037918	Mr. Mulay Makarand Narahari Block No. 9 II Fl. Amogh Co. Op. Eksar Rd. Nr. Eksar Talao Borivli-W, Bombay-400 092.	01-10-93
206.	037977	Mr. Khatri Sudhir Jaduprasad Z-1 Swastik Apts. Vasna Barrage Rd. Narayan Nagar, Ahmedabad-380 007.	01-10-93
207.	037986	Mr. Arjunwadkar Prakash Vinaya Arjunwadkar & Asso Flat No. 9 Achyut a Koteshwar Premises Co. Op. Soc. 688/5, Pune-411 037.	01-10-93
208.	038044	Mr. Mathew P.K. Finance & Accounts Department, Kribhco, Fertilizernagar, Surat-394 515.	01-10-93
209.	038186	Mr. Shah Jayeshkumar Chandraka B/24 Milan Azad Lane S.V. Rd. Andheri-West, Bombay-400 058.	01-10-93
210.	038303	Mr. Subramanyan Rajagopal B/2 Sahakar Dr. Ambedkar Rd. Mulund-West, Bombay-400 080.	01-10-93
211.	038314	Mr. Shukla Jeetendra Chhotalal 518/G Kamala Nagar M.G. Rd. Kandivli West, Bombay-400 067.	01-10-93
212.	038326	Mr. Agrawal Vivek Kumar D-1 Badrikashram Behind Central School Near Police, Ahmedabad-0.	01-10-93
213.	038355	Mr. Vijay Kumar N.S. No. 2 Ashok Bhuvan Saraswat Clny. Dombivli East Distt. Thana, Dombivli-421 201.	01-10-93
214.	038502	Mr. Ahuja Sunil Jawaharlal 141-B-2 Karuna House, Sindhi Society Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
215.	038549	Mr. Balasubramaniam Suresh K. 2/278 St. Anthony's Rd. Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
216.	038550	Mr. Krishnan Swaminathan C/o Fakhro Establishment P.O. Box 710 Manama, Bahrain-0.	01-10-93

1	2	3	4
217.	038566	Mr. Vaidya Milind Kashinath 4 First Floor Asawari Chambers Near Malaria Bus Stop College Rd. Nashik-422 005.	01-10-93
218.	038588	Mr. Puri Neil Flat No. 604 Bldg. No. 8-15 Apna Ghar Unit No. 9 Andheri West Bombay-400 058.	01-10-93
219.	038729	Mr. Jagdale Suresh Kuber C/o Lalit V. Gajaria 43/343 Unnat Nagar No. 4 M.G. Road Goregaon (W), Bombay-400 090.	01-10-93
220.	038745	Mr. Kapoor Devender Joginder D-1 Ban Ganga Co. Govandi Stn. R. Deonar, Bombay-400 088.	01-10-93
221.	038756	Mr. Pabari Sunil Manubhai S.M. Pabari & Co. 320 Anant Laxmi Chambers Sane Gurujit Path Shivaji Nagar Naupada Thane-400 602.	01-10-93
222.	038775	Mr. Kamat Vinay Madhukar F-2/114 Jumbo Darshan Co. Op. Soc. Koldongri Rd. No. 2 Andheri East, Bombay-400 069.	01-10-93
223.	038910	Mr. Veeraraghavan Narayanan D/3 Navageeta Soc. St. Anthony's Rd. Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
224.	038966	Mr. Gomes Yves Agnel Souvenir Rathodi Marve Rd. Malad West, Bombay-400 095.	01-10-93
225.	039015	Ms. Patrawalaswati Harshad S.H. Patrawala & Co. 19 Gopal Bhuvan, 199 Princess Street, Bombay-400 002.	01-10-93
226.	039067	Mr. Garg Sanjeev Flat No. 104, Ist Floor, Janak Apt., Bldg. No. 2, Vasai Road, E, Thane-401 202.	01-10-93
227.	039077	Mr. Pathak Mahesh Girjashanker 10-Burrell Close Edgware (Middx) London HA8 8fh UK-0.	01-10-93
228.	039079	Mr. Ravani Ishwarlal Ranchhodd I.R. Ravani & Co. E/11 Kankavati Apts Nr. P&T Cln. Vasna, Ahmedabad-380 007.	01-10-93
229.	039145	Mr. Ramachandran A. 3, Amidhara Apts., Rambaug, Mani Nagar, Ahmedabad-380 008.	01-10-93
230.	039212	Mr. Iyer Balachandran Sangames 6 New Dreamland Ceasars Rd. Amboli Andheri West Bombay-400 058.	01-10-93
231.	039292	Mr. Mehta Ashok Manharlal B-10 Geeta Prakash 123 Garodia Nagar Ghatkopar East, Bombay-400 077.	01-10-93

1	2	3	4
232.	039324	Mr. Shivram Krishna Gopal 27 Gautam Darshan J.P. Rd. 7 Bungalows Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93
233.	039512	Mr. Chheda Ramesh Damji Ramesh D. Chheda & Co., Ashok Chambers, Baroch Street, Masjid-E Bombay-400 009.	01-10-93
234.	039568	Mr. Sheikh Atiq Ur Rehman C/o Bombay Furnishing Co., 30, Homi Mody Street, Bombay-400 023.	01-10-93
235.	039610	Mr. Raman C. Suresh 23/714 Tagore Nagar Vikhroli, Bombay-400 083.	01-10-93
236.	039624	Mr. Nayak Sunil Subraya 6 Nootan Villa 146 Garodia Nagar Ghatkopar, Bombay-400 077.	01-10-93
237.	039740	Mr. Shah Nainesh Kantilal C-8 III Floor Friends Home 44 Juhu Cross Lane Andheri West Bombay-400 058.	01-10-93
238.	039742	Mr. D. Lima Anthony Block P. Flat 9 Everard Nagar Sion, Bombay-400 022.	01-10-93
239.	039885	Mr. Kapoor Ashok Omkarraj 272 Carter Rd Ist Floor Bandra, Bombay-400 050.	01-10-93
240.	039938	Mr. Jain Sanjay Kumar Anandkum Shah & Taparia 721 Cotton Exchange Bldg. Kalbadevi Rd. Bombay-400 002.	01-10-93
241.	039998	Mr. D'Souza Raymond 3 Maryland 1IV Rd. T.P.S. III Bandra, Bombay-400 050.	01-10-93
242.	040059	Mr. Thakurdesai Suhas Panduran 5 Date Bhavan Akshikar St. Dada, Bombay-400 028.	01-10-93
243.	040061	Mr. Kamath N. Arun Ananth A-302 RBI Quarters Kailash Malad East, Bombay-400 097.	01-10-93
244.	040076	Mr. Shah Paresh Mithalal 1 Mangaldeep Chandansar Road, Virar-401 303.	01-10-93
245.	040138	Ms. Parikhpriti Ashit Parikh & Bros. 1 20/A Picket Cross Rd. Lohar Chawl, Bombay-400 036.	01-10-93
246.	040161	Mr. Bangar Lalit Kumar D-37/206 Yogi Nagar Eksar Road, Borivli-W, Bombay-400 092.	01-10-93
247.	040163	Ms. Ramanathan Geetha 98 Jyotikailash Soc. Satelite R. Ahmedabad-380 015.	01-10-93
248.	040187	Ms. Swami Bhavana Gopalswami 5 Madhuvan Soc. Anand Nagar Santacruz East, Bombay-400 055.	01-10-93

1	2	3	4
249.	040294	Mr. Chari Venkat Raghunath A-3 Three Star V.P. Rd. Pendse Nagar, Dombivli-421 201.	01-10-93
250.	040367	Mr. Bhatt Yogesh Kumar 9 Prakash Zenith Clny. Khopoli Dist. Raigad, Khopoli-410 203.	01-10-93
251.	040371	Mr. Pawar Datta Hari M.G. Mill Chawl, R. No. 183, Sholapur-413 001.	01-10-93
252.	040418	Mr. Sainarayan Ananthanarayan Flat No. 406 Nikita Apts. Amrut Nagar (Near Ghatkopar Industrial Estate) Ghatkopar, Bombay-400 086.	01-10-93
253.	040424	Mr. Rai Arvind Kumar 10 Sadhna N. Gamadia Road, Bombay-400 026.	01-10-93
254.	040459	Mr. Shroff Nozer Jasi D.S. Purbhoodas & Co. 1107 Stock Exchange Towers 11th Floor Dalal St. Fort, Bombay-400 023.	01-10-93
255.	040555	Mr. Vora Neelesh Narshi Neelesh Vora & Co. 123 Shreeji Darshan, S.V. Rd, Kandivli West, Bombay-400 067.	01-10-93
256.	040732	Mr. Srivastava Govindkumar Nar Purnima D.A.E. Apts. 6-A Ridge Road Malabar Hill, Bombay-400 006.	01-10-93
257.	040744	Mr. Desai Rajesh Krishnakant Coopers & Lybrand Delolbe, P.O. Box 6075, Ruwi Sultanate of Oman-0.	01-10-93
258.	040746	Ms. Sardesaitanuja Rajendra 20 Hira Kunj Aarey Road Goregaon-E, Bombay-400 063.	01-10-93
259.	040763	Mr. Chaturvedi Anil Kumar 5/203 Pavan Baug Chincholi Malad-W, Bombay-400 064.	01-10-93
260.	040849	Mr. Trichur Krishnakumar Naray 1 Radhika Kumud Nagar S.V. Road, Goregaon-W, Bombay-400 104.	01-10-93
261.	040862	Ms. Merchant Preeti Shrirish 131 Sainara 17 Cuffe Parade, Bombay-400 005.	01-10-93
262.	040886	Mr. Shah Nitinkumar Ramanlal G/11, Mahalaxmi Society Opp. Utkarsh, Petrol Pump Karel Baug, Baroda-390 018.	01-10-93
263.	040929	Mr. Joglekar Prasad Krishna 8, Amardeep Patil Wadi Gokhale Rd. Navpada West, Thane-400 602.	01-10-93
264.	040930	Mr. Mehendale Rajeev Gopal Rajeev Mehendale & Co., 24 Suryoday Park, Gotri Road, Baroda-390 021.	01-10-93
265.	040953	Ms. Agarwal Jyoti Rajkumar 714-715 Ram Jharukha Co. Op. H Soc. S.V.R. Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93

1	2	3	4
266.	041074	Mr. Khetan Sanjay Madanlal Manager Avvounts, Century Enka Ltd., Bhakhtawar, Nariman Point, Bombay-400 021.	01-10-93
267.	041104	Ms. Parabsneha Sudhir 8/238, Sahakar Nagar-3 Sheli Colony, Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
268.	041153	Mr. Jain Nirmal Chandra Bhanwa 108 Shyam Kamal C. Agarwal Market C Vile Parle East, Bombay-400 057.	01-10-93
269.	041165	Mr. Tikekar Makarand Chintaman 30 Telco Senior Office RS Co-operative Pimpri, Pune-411 018.	01-10-93
270.	041174	Mr. Ahmed Rayees Sayeed 158 Bapu Khote Street Bombay-400 003.	01-10-93
271.	041306	Mr. Khan Razi Dad M/s Arthur Anderson & Co. P.O. Box 6482 Ruwi, Sultanate of Oman-0.	01-10-93
272.	041400	Mr. Desai Hitesh Mahendra Kuma H.M. Desai & Co. 76/86 Laxmi Bhuvan Ist Floor Dhirubhai Parekh Marg Kalbadevi Bombay-400 002.	01-10-93
273.	041428	Ms. Shahpurnima Jitendra D-15/102 Yogi Smruti Co. Op. Hs. Soc. Ltd., Eksar Rd. Yogi Nagar Borivali-W. Bombay-400 092.	01-10-93
274.	041450	Mr. Sheth Deval Narendrabhai 486 Opp. Ramjimandirs Pole Hajapatels Pole, Kalupur, Ahmedabad-380 001.	01-10-93
275.	041565	Mr. Potdar Vikram Keshav B-41/382 M.I.G. Colony Bandra East, Bombay-400 051.	01-10-93
276.	041570	Mr. Hegde Kushal Sadanand Maqba Manzil Ist Floor Block No. 4 15-A Pali Road Bandra, Bombay-400 050.	01-10-93
277.	041605	Mr. Krishnan K. Narayan 8/771 Anand Bhavan Dr. Ganti Rd. Parsi Clny. Dadar, Bombay-400 014.	01-10-93
278.	041627	Mr. Rao Prasad Krishnamurthy C/o Prism Ltd. P.O. Box 9865 New Market, Auckland, Newzealand-0.	01-10-93
279.	041660	Mr. Maniyar Anil Shivnarayan A-4/304 Bramhand Azad Nagar, Manpada Road, Thane-W, Thane-400 6071	01-10-93
280.	041736	Mr. Japi Rajendra Javerilal 21/A Kapoorwala Bldg. Sakharam Kir Road, Bombay-400 016.	01-10-93
281.	041748	Mr. Darji Arvindkumar Maganbha Arvind Darji Associates 402-A Chandan Chambers 4th Floor 138, Modi Street, Bombay-400 001.	01-10-93
282.	041987	Ms. Pranceti Pradeep Nadkarni 3/318, Pali Hill, Bandra (West), Bombay-400 050.	01-10-93
283.	042062	Mr. Sarvaiya Jatin Rajnikant 7 Suvarnadeep S.V. Rd. Santacruz West, Bombay-400 054.	01-10-93
284.	042131	Ms. Philip Anna Padachira D-661 628 Gandhinagar Bandra East, Bombay-400 051.	01-10-93

1	2	3	4
285.	042314	Mr. Chhabra Gurcharan Singh P.O. Box-2923 Dubai-0.	01-10-93
286.	042319	Mr. Grover Rajiv Shyam Bldg. No. 9 Block 321 Nirmal Nagar Hsg. Soc. Bandra East, Bombay-400 051.	01-10-93
287.	042321	Mr. Nagar Sanjay Bridge & Roof Co-I 20 CST Rd. Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
288.	042368	Ms. Sarawgi Vela Parmanand 187/5231 Sanmati Pant Nagar Ghatkopar-E, Bombay-400 075.	01-10-93
289.	042570	Mr. Rodrigues Russell Michel Merwan Bldg. III Floor Opp. Colaba Police Stn. S.B. Rd., Bombay-400 039.	01-10-93
290.	042579	Mr. Teckchandani Shankar Hassa B-9 Vasuki III Floor Somaiya College Co-op 7th Rd. Rajawadi Vidyavihar, Bombay-400 077.	01-10-93
291.	042590	Mr. Thakurdesai Suren Shrikris 3 Ashirwad M. Karve Road Naupada, Thane-400 602.	01-10-93
292.	042606	Mr. Patwardhan Girish Gajanan A/2 Suyog Co-op Hsg. Soc. Sant Dnyaneshwar Marg, Bombay-400 081.	01-10-93
293.	042611	Mr. Joshi Bhupendra Pratap Sin 50 G.M. Asso. Bldg. Nr. Civil Court Gandhidham Kutch, Gandhidham-370 201.	01-10-93
294.	042725	Mr. Seshadri V. C/o Ernst & Young P.O. Box-140, Manama, Bahrain-0.	01-10-93
295.	042834	Mr. Nambiar Rajendra P. A-8, Christina 15/16, Shrenagar Estate Goregaon West, Bombay-400 062.	01-10-93
296.	042848	Mr. Patodia Ram Avtar 15B/208, Jankalyan Nagar, Marve Road, Kharodi, Malad-W Bombay-400 095.	01-10-93
297.	042884	Mr. Patel Snehal Mahavir 218/M-13, Juhu Shantivan Gulmohur X Road No. 6 J.V.P.D.S. Bombay-400 049.	01-10-93
298.	042902	Mr. Rungta Pawankudmar Rampras 6, Karim Chambers 40 Hamam Street, Bombay-400 023.	01-10-93
299.	043041	Ms. Dorwani Meena Beharilal Lupin Laborities, Kalina, Bombay-400 061.	01-10-93
300.	043064	Mr. Iyer Natarajan Ramachandra 20/180, Shivgeet, Garodia Nagar, Ghatkopar, Bombay-400 077.	01-10-93
301.	043087	Mr. Thakur Sanjaya Sunderlal 204, Ashwini Apna Ghar, 4 Bunglows, Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93
302.	043091	Mr. Somaiya Raman Vithaldas 27, Brindavan, Khetwadi 12th Lane, Bombay-400 004.	01-10-93

1	2	3	4
303.	043097	Mr. Talpade Vaibrav Kunjavihar Ground Floor, House No. 30, D'Monte Street, Bandra, Bombay-400 050.	01-10-93
304.	043119	Mr. Ramchandran Ayalur Sreedha No. 16, Bhavana Goshala Road, Mulund West, Bombay-400 080.	01-10-93
305.	043141	Mr. Shrish Pandit Bhavik 37, AM UL Society Behind Kukhipura, Paldi, Ahmedabad-380 007.	01-10-93
306.	043176	Mr. Rodrigues Crescencio D.R.M. 15/G Pearl Mamsion Acharya Donc Marg Parel, Bombay-400 012.	01-10-93
307.	043180	Mr. Chopra Omprakash 6 Moti Apts. Jain Cny. Terapant Bhawan Lane Nr. Sahibaug Police Chowcky Sahibaug, Ahmedabad-380 004.	01-10-93
308.	043213	Mr. Agarwal Surendra Agarwal Surendra & Associates Plot No. 549, Marmik Co. Op. H.S. Flat No. 39, Charkop, Kandivali-W Bombay-400 067.	01-10-93
309.	043318	Mr. Gopalakrishnan S. Flat 203 Bldg. C-2A 'Anant' Vasant Vihar, 2nd Pokhran Road, Thane-W Thane-400 601.	01-10-93
310.	043319	Mr. Iyer Somnath Subra Manian 19 Narahari Park Society, Behind Hari Om Society, Danteshwar, Baroda-390 004.	01-10-93
311.	043325	Ms. Preeti Shyamal Parekh 7, Neel Police Station Rd, Vile Parle West, Bombay-400 056.	01-10-93
312.	043365	Mr. Titus Michael Anthony 203, B/29, Anand Nagar, Dahisar (East), Bombay-400 068.	01-10-93
313.	043422	Mr. Sharma Sunil Girwarnarin 47, 2nd Bhoiwada, Bhuleshwar, Kalbadevi, Bombay-400 002.	01-10-93
314.	043429	Mr. Goyal Anil Anil Goyal & Co. E-7, Heremes Apartment Bhatt Lane, S.V. Road Borivli W. Bombay-400 092.	01-10-93
315.	043466	Mr. Acharya Navinchandra Karam 13711, S.W. 84th Street, Unit 'D' Miami, FL-33183, USA-0.	01-10-93
316.	043487	Mr. Raval Bhavin Girishkumar P.O. Box 17734, Nairobi Kenya-0.	01-10-93
317.	043508	Mr. Rathod Mahendra Govindbhai Rathnadev Investment Co., 2nd Floor, R. No. 12, Vitthal Chambers, Kalyan W. Kalyan-421 301.	01-10-93
318.	043519	Mr. Kuthari Shreedhar Arvindku S.A. Kothari & Associates, 1 Padma Chambers Opp. Gandhi- Gram Railway Stn. Ellisbridge, Ahmedabad-380 006.	01-10-93

1	2	3	4
319.	043554	Mr. Dave Mahendra Bhamarlal 27, V.P. Chawal, Dhanjiwadi. R.S. Road, Malad East Bombay-400 097.	01-10-93
320.	043660	Mr. Mehta Rakesh Conwood House Yashodham Film City Rd. Goregaon East, Bombay-400 063.	01-10-93
321.	043668	Mr. Dairkee Abbas Ali C/o Auto Center P.O. Box 15850 Dubai, U.A.E.-0.	01-10-93
322.	043671	Mr. Shah Amit Vardhaman Shah 86/88 Mehta Sadan 401 V. Floor Bhawani Shankar Dadar, Bombay-400 028.	01-10-93
323.	043674	Mr. Varma Hari Shankar H.S. Varma & Co., 115, Sarashwati Sadan, Ist F.R. N. 18, Kesh. N. Rd., Chinch Bunder, Bombay-400 009.	01-10-93
324.	043806	Mr. Hemant Prabhudas Vastani Hemant P. Vastani & Co. 204 Hashyap Complex Productivity Rd. Alkapuri, Baroda-0.	01-10-93
325.	043856	Mr. Desai Phiroze Nayan 45, Jariwala Bldg., 3rd Floor, Tardeo, Bombay-400 034.	01-10-93
326.	043917	Mr. Jain Rajeev 4, Gangotri S.V. Road, Borivli West, Bombay-400 092.	01-10-93
327.	043927	Mr. Arsiwala Mustafa Yusufali 38, Saifee Jubilee Street, Noman Manzil, 3rd Floor, Bombay-400 003.	01-10-93
328.	044036	Mr. Toshniwal Chandra Prakash B-1, Ekta Apt., Opp. C.P. Tools, B.S. Rd., Mulund-W, Bombay-400 080.	01-10-93
329.	044040	Mr. Krishnaswamy Moorti Rajesh C-12/2, Godrej Hillside Colony, Vikhroli West, Bombay-400 079.	01-10-93
330.	044060	Ms. Regi Sangita Shrikrishn Sati Smruti Bldg. Block No. 1-(A) Rani Sati Rd. Malad East Bombay-400 064.	01-10-93
331.	044072	Mr. Gholkar Santosh Rajaram 257, Walkeshwar Road, Bombay-400 006.	01-10-93
332.	044100	Mr. Venkateswaran Sriram 5/87 Balaji, 2nd Road, Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
333.	044168	Ms. Iyer Prabha Narayanswam Bhavani 4-A, Madhav Nagar, Nagpur-440 010.	01-10-93
334.	044194	Mr. Vinayak Krishna Choudhary Vinayak Choudhary & Co., Sanjeevan 85 Swawlambi Nagar, Nagpur-444 022.	01-10-93
335.	044253	Mr. Pallathuseril Kurian Chand 14, Vikram, 224/41, L.B.S. Marg, Kurla, Bombay-400 070.	01-10-93
336.	044316	Ms. Madan Sulabha Madhukar 1/9 Sea-View Soc. State Bank Clny. 4 Bunglows Andheri West Bombay-400 058.	01-10-93

1	2	3	4
337.	044323	Mr. George Subi Gheeverghese 302 Godavari Sruchidham Malad East, Bombay-400 097.	01-10-93
338.	044330	Mr. Sanjay Kumar Sundarka Highland Park, B-104, Lokhandwala Complex, Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93
339.	044333	Mr. Parul Narendrakumar Shah 4, Shiv Shakti Society, Nr. Jalaram Temple, Karelibaug, Baroda-0.	01-10-93
340.	044334	Mr. Buddhiraju Venkata Ramana A-54, Kaveri, Relief Road, Malad West, Bombay-400 064.	01-10-93
341.	044335	Mr. Rohit Agarwal 404-B, Accord, Lokhandwala Complex, Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93
342.	044414	Mr. Sanchcti Ashok 610 Raheja Centre, Nariman Point, Bombay-400 021.	01-10-93
343.	044428	Mr. Thakkar Anilkumar Kantilal 10, Rokadnath Society Race Course Circle, Baroda-390 005.	01-10-93
344.	044485	Mr. Shewak Vashdev Bachani C/o Abu Dhabi Investment Authority, Internal Audit Dept., P.O. Box-3600, Abu Dhabi-0.	01-10-93
345.	044514	Mr. Shaikh Shakilmiya Najirmiy S.N. Shaikh & Co., 90/92 Laxmi Bldg., B-3, Gr. Fl., Clare Road, Bombay-400 008.	01-10-93
346.	044520	Mr. Raveesh Singh C-16, Lavanya Coop. Hsg. Soc., Nahur Road, Mulund-West, Bombay-400 080.	01-10-93
347.	044524	Mr. Memon Yakub Abdul Razak 6/26, Al-Hussain Colony Dargarh Street, Mahim, Bombay-400 016.	01-10-93
348.	044527	Mr. Jhawar Arun Kumar 22, Madhurima Hsg., Coop. Soc., M.G. Road, Kandivali-West, Bombay-400 067.	01-10-93
349.	044561	Mr. Bhala Atma Ram Bhala Silk Mills, 432, Silk House Market Chowk Bazar, Surat-395 001.	01-10-93
350.	044563	Mr. Sanjiva Girish Chand Al Shamali Group of Companies, P.O. Box 4669, Dubai, U.A.E.-0.	01-10-93
351.	044575	Mr. Kirankumar Chinubhai Shah 11 Shrinath Apts. Behind Drive in Cinema Opp. Swapna Apt. Thaltaj Rd. Ahmedabad-380 054.	01-10-93
352.	044620	Mr. Aloysis Wicket Micheal Gonsalves 16 Ms/Rb/II/115 New Central Rly Clny. Kurla East, Bombay-400 024.	01-10-93
353.	044690	Mr. Nehate Anant Vaman Mr. S.S. Badhe A-2 I Floor Ekopa Gunsagar Nagar Kalwa West, Thane-400 605.	01-10-93
354.	044714	Ms. Roopa Shreedhar Kothari 18/208 Gokul Apt., Sola Road, Naranpura, Ahmedabad-380 013.	01-10-93

1	2	3	4
355.	044728	Mr. Ayyer Ram 5/78 Krishna Mahal G.M. Road, Chembur, Bombay-400 089.	01-10-93
356.	044786	Mr. Shri Narayanan Venkitraman No. 12, Gita Sadan, Central Avenue Road, Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
357.	044810	Mr. Thomas Kurian A/4, Ajanta Byramji Town, Nagpur-440 013.	01-10-93
358.	044825	Mr. Iyer Prakash Shivmani New Survodaya Co-op. Hsg. Soc., 29B/104 Sector 4, Vashi, New Bombay-400 703.	01-10-93
359.	044831	Mr. Akshaya Gyanchand Katariya C/o, G.C. Katariya Advocate Notary, Main Road, Chandrapur-442 401.	01-10-93
360.	044943	Mr. Dinesh Kumar Pachori 101/Neelmbuj D. Wing Kamal Apartments Shanker Lane, Kandivali West, Bombay-400 067.	01-10-93
361.	045029	Mr. Nimesh Desai 17 Vrindavan Soc. Nr. Amrakunj Soc. Race Course, Baroda-390 007.	01-10-93
362.	045032	Mr. Vijay Harshadrai Gandhi A-101 Darshan Apts. Soni Wadi Shimpoli Rd. Corner Borivli West, Bombay-400 093.	01-10-93
363.	045039	Mr. Padmabhushan Dilipsinh Goh 18, Arun Chambers Tardeo Road, Bombay-400 034.	01-10-93
364.	045056	Mr. Rajendra Bastimal Chordiya 411/11 Nanda Deep Ghankar Lane, Nashik-422 001.	01-10-93
365.	045069	Mr. Sonali Subhash Gupte B-20 Sterling Apartment Peddar Road, Bombay-400 026.	01-10-93
366.	045096	Mr. Anthony Paul Veliyil 2/207 A. Agnel Apts., I.C. Colony, X Rd. No. 4 Borivli-W, Bombay-400 103.	01-10-93
367.	045112	Mr. Mehta Raju Jagdishchandra 9 Krishna Bhuvan P.P. Road, Andheri East, Bombay-400 069.	01-10-93
368.	045119	Mr. Ahluwalia Pawan Premchand 25 Nand Apts. Panch Pakhadi Thane West, Thane-0.	01-10-93
369.	045124	Mr. Rajesh Kishore Shah Toy House, Flat No. 2, Ground Floor, 16, K.D. Road, Rasraj Hotel Lane, Vile Parle-W. Bombay-400 056.	01-10-93
370.	045127	Mr. Shivaram Rajgopal Plot No. 39 Block No. 1 Motimahal Sion-W. Bombay-400 022.	01-10-93
371.	045220	Mr. Sandeep Kwatra Flat No. 1 K.H. Kishore Darshan Four Bunglows, Andheri West, Bombay-400 058.	01-10-93
372.	045236	Mr. Kallattu Harish Ramakrishn Crest Paper Mills Ltd., Tarun Plastic Compound, 2nd Floor, Mogra, Andheri-E. Bombay-400 069.	01-10-93

1	2	3	4
373.	045252	Mr. Mehta Rajesh Ratilal C/o Mehta Odhavji Naranji & Co., Main Road, Gram Paddhari, Rajkot-360 110.	01-10-93
374.	045254	Mr. Chhatrapal D. Sargiya 408-C Niranjan 99, Marine Drive Bombay-400 002.	01-10-93
375.	045269	Mr. Dinesh Kumar K.R. K.R. Dinesh & Co., C/o V.R. Prabakaran, 33/865 Nehru Nagar, Kurla-E Bombay-0.	01-10-93
376.	045284	Ms. Suganthi Ganesh 11 Usha Chheda Nagar, Chembur, Bombay-400 089.	01-10-93
377.	045430	Mr. Merchant Zarisis Sorab 666 Orient House 3rd Floor, Parsi Colony, Lady Jehengir Road, Dadar Bombay-400 014.	01-10-93
378.	045432	Mr. Datta Rakesh Jagdev 10, Devrup. 36 C. Turner Road Bandra, Bombay-400 050.	01-10-93
379.	045500	Mr. Modi Alap Navinchandra 9 Amrutbag Society Navrangpura, Ahmedabad-380 014.	01-10-93
380.	045637	Mr. Bagai Harinder Surinder 10, Iris Cuffe Parade Colaba, Bombay-400 005.	01-10-93
381.	045675	Mr. Parekh Prashant Dineshchan 4/2 Saini Bhavan G.M. Road, Chembur, Bombay-400 089.	01-10-93
382.	045696	Mr. Sethi Ashok Chandmalji 7 Mayur Complex 2nd Floor, Aurangpura, Opp. Baji Mandi, Aurangabad-0.	01-10-93
383.	045708	Ms. Bhavnani Nandita Narain 31, Dariya Mahal 'A' 80, Nepean Sea Road, Bombay-400 006.	01-10-93
384.	045773	Mr. Agharkar Milind Vaman 31-B, Jai Prakash Nagar Rd. No. 3, Goregaon East, Bombay-400 063.	01-10-93
385.	045864	Mr. Warrier Meghnad Jn. 4-6/15 Sector 9, Vashi, New Bombay-400 703.	01-10-93
386.	045907	Mr. Varma Sunil Bajranglal 24 Shangrilla Apts, Opp. Colaba Post Office Colaba, Bombay-400 005.	01-10-93
387.	045987	Mr. Mehta Rajan Jayantkumar C/o R. Kamdar Bldg. 41 807 Poisar Kirti Co. Hsc. Samta Nagar Kandivali East, Bombay-400 101.	01-10-93
388.	046193	Mr. Anil Peter Amphetronix Ltd., Bhosari, Pune-411 026.	01-10-93
389.	046277	Mr. Khurana Vipin Sudershan A-1/5, Century Rayon Shahad, Shahad-421 103.	01-10-93
390.	046285	Mr. Kulkarni Shekhar Madhukar 5/ Madhumahati 9, Highway Street, Nampade Govind Path, Thane-400 602.	01-10-93

1	2	3	4
391.	046453	Mr. Ruia Sanjay Kumar DBS House, Ist Floor 31, Marzaban Road, Fort Nr. Bombay Gymkhana Ann. Bombay-400 001.	01-10-93
392.	046474	Ms. Davda Indira Dungarshi 18, Hira Sadan, R.R. 7 Road, Mulund-West, Bombay-400 080.	01-10-93
393.	046482	Mr. Pandit Malay Shirishbhai 37, Amul Society Paldi, Ahmedabad-380 007.	01-10-93
394.	046484	Mr. Thakkar Subhashkumar Chima Darpan Building, 7th Floor NR. Express Hotel, Baroda-0.	01-10-93
395.	046533	Mr. Shah Kiran Virendra 9A, Saker Apartments Pochkhana Wala Road Worli, Bombay-400 025.	01-10-93
396.	046544	Mr. Rane Dinesh Anantrao D-62 Prasanna Jeewan Soc., Babhai Eksar Rd. Borivli West, Bombay-400 092.	01-10-93
397.	046620	Mr. Dhut Ramanlal Balkisan 280 Shivaji Chowkh Oshar MIG, Nashik-422 206.	01-10-93
398.	046626	Ms. Gupta Premlata Dineshchand 31, Uttar Gujarat Patel, Society No. II, Asarva, Ahmedabad-380 016.	01-10-93
399.	046631	Mr. Devarajan Narasimhan 1/32 Sarvodaya Estate, R.C. Marg, Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
400.	046640	Mr. Ram Kumar K. Bldg. 65, Flat 651, Sector II, C.G.S. Quarters, Antop Hills, Bombay-400 037.	01-10-93
401.	046645	Mr. Lodha Manoj Lalchand Shop No.-128, Ist Floor, V.V.M. Golani Market, Jalgaon-425 001.	01-10-93
402.	046658	Mr. Jain Alkesh Kumar C/o R.M. Textiles 42/44-A New Hanuman Lane 3rd Floor, Kalbhadevi Road, Bombay-400 002.	01-10-93
403.	046679	Mr. Shah Parag Dwarkadas 18/B Yashasvin Kamala Nehru Road No. 1, Kandivili West, Bombay-400 067.	01-10-93
404.	046682	Ms. Kapur Sangeeta Rajendra B/602 Sanjeev Enclave J.P. Road, 7 Bunglows, Andheri West, Bombay-400 061.	01-10-93
405.	046694	Mr. Sathi Sridhar 14/100, Laxmi Sadan P.L. Lokhande Marg, Chembur, Bombay-400 089.	01-10-93
406.	046728	Mr. Soni Suresh Chandra M-III-2 Tata Housing Cen. L.B. Park Road, Andheri-West, Bombay-400 058.	01-10-93
407.	046734	Mr. D'Souza Ronald Alexander C/501, Deep Darshan I.C. Colony, Borivili West, Bombay-400 103.	01-10-93
408.	046735	Mr. Jhawar Kishan Gopal B-1 First Floor Matrewadi Dahisar West, Bombay-400 068.	01-10-93

1	2	3	4
409.	046746	Mr. Jain Ajay C/o Motilal Jain 315 Block B-5, 3rd Floor, Kasar Ali, Gokul Nagar, Bhiwandi-0.	01-10-93
410.	046749	Mr. Sah Rajendra Prasad C/o Mr. G.S. Hiranandani Nutex Apartments, Saraswati Road, Santacruz, Bombay-400 054.	01-10-93
411.	046753	Ms. Kinikar Swati Sudhakar A/8 Ushakal Apartments 1010 Shivaji Nagar, Pune-411 016.	01-10-93
412.	046778	Mr. Joginder Singh Flat 16, Hrishikesh Dham, Baner Road, Pune-0.	01-10-93
413.	046796	Mr. Gurav Sambhaji Bapurav 1241 Sadashiv Peth, Pune-411 030.	01-10-93
414.	046850	Mr. Shah Rajendrakumar Babulal 105 Neelam, Model Town B/H Pratap Nagar, Seven Bungalow, Andheri-W, Bombay-400 058.	01-10-93
415.	046874	Mr. Shah Nirav Dhansukhlal 6 Hanuman Nivas, Poddar Road, Malad-East, Bombay-400 097.	01-10-93
416.	046881	Ms. Gupta Alka Parmeshwar Pras Dambale Bhawan Mata Mandir Road, Dharampeth, Nagpur-10.	01-10-93
417.	047006	Ms. Mukadam Shahina Hamid B-39/362, MIG Colony Gandhinagar, Bandra-East, Bombay-400 051.	01-10-93
418.	050294	Mr. Dey Bhowmick, Ashim Kumar Administration Manager Crompton Graves Limited, Switchgear Division, Ambad, Nashik-0.	01-10-93
419.	050915	Mr. Kapadia Harendra Jagmoha Mahendra Kapadia 3/496 Panch Hatdi Rd. Nr. Bank of Baroda, Malesar Dist-Bulsar, Navsari-396 445.	01-10-93
420.	051521	Mr. Garg Vinod Kumar 16 Vijay Nagar, Chhaoni, Nagpur-440 001.	01-10-93
421.	053166	Mr. Ramesh S.G. 43-A Jolly Maker Apts. No. 1, Cuffe Parade, Bombay-400 005.	01-10-93
422.	053262	Mr. Krishna M.E. Reading & Bates Exploration Co. Ashok Hall 2nd Floor, S.V. Road, Vile Parle, Bombay-400 056.	01-10-93
423.	053364	Mr. Surana Ajit Mustafa Building 3rd Floor 7A Sir P.M. Road, Bombay-400 001.	01-10-93
424.	053631	Mr. Neogy Som Shanker Asstt. Accounts Office R. Ins. SE Accounts Dept. T Air India, Old Airport, Bombay-400 029.	01-10-93
425.	053725	Mr. Bhandari Mahendra Bhandari Mahendra & Associates, 45 Saket Raw Houses, Ahmedabad-380 052.	01-10-93

1	2	3	4
426.	054344	Mr. Thakore Sharad 81, Rajkund Society, Behind RCF Colony Chembur, Bombay-400 071.	01-10-93
427.	054619	Mr. Chand Ranjit Kumar R.K. Chand & Associates Bhutda Chambers 2nd Floor, Anaj Bazar Itwari, Nagpur-440 002.	01-10-93
428.	055239	Mr. Sunil Aggarwal C/o Satish Agarwal Export Century Textiles & Ind. LTD., Centure Bhawan, Worli, Bombay-0.	01-10-93
429.	070728	Mr. Praveen Kumar Rao D. C/o Dr. B. Raoo 302 Vishnu Plot No. 37 Indrayani Outside Delhigate, Aurangabad-431 001.	01-10-93
430.	071363	Mr. Vijay Kumar Goyal Goyal Vijay & Co., 14 New Silver House, 15 Kantwa Rd. Opp. Perry Cross Rd. Bandra, Bombay-400 050.	01-10-93
431.	071750	Mr. Vyas Parmeshwar S. P. Vyas & Co., 32 Jolly Maker Chambers No. 2, Nariman Point, Bombay-400 021.	01-10-93
432.	071896	Mr. Anindya Datta Tata Housing Centre KI/12, Lalloobhai Road, Andheri West, Bombay-0.	01-10-93
433.	072396	Mr. Jain Pradeep Kumar 11/215 Carls Bary House, Sher-E-Punjab Co. op. Hsg. Soc. Lt. Mahakali Caves Rd. Andheri-E, Bombay-400 093.	01-10-93
434.	072746	Mr. Bhandari Rakesh P. Manager Accounts Century Enka Ltd., Bhosari, Pune-411 026.	01-10-93
435.	072974	Mr. Bhansali Paankaj S-1 Bharat Nagar, Nagpur-440 001.	01-10-93
436.	073076	Mr. Atul Mehrotra 149/1A Plot No. 5 Baner Road, Next to ITI, Aundh, Pune-411 007.	01-10-93
437.	074022	Mr. Madanlal Sancheti M.L. Sancheti & Co., A-203 Fairdeal House, Swastic Char Rasta, Navrangpurav, Ahmedabad-380 009.	01-10-93
438.	080697	Mr. Mahinder Kumar Lt. 19/33 L&T Cooperative Vijay Nagar Andheri East, Bombay-400 059.	01-10-93
439.	084410	Mr. Aggarwal Anurag Mohsin Haider Darwish LLC P.O. Box 3880 Ruwi Sultanate of Oman, Sultanate of Oman-0.	01-10-93
440.	084717	Ms. Ramashanker Flat No. 32 Meena R.B. Mehta Marg, Ghatkopar East, Bombay-400 077.	01-10-93
441.	086167	Mr. Shashi Kant Khandelwal I/21/13, Lower Parel N.M. Joshi Marg, Bombay-400 039.	01-10-93
442.	086464	Mr. Sanjay Israni Flat No. 1, Belvedere 79, Warden Road, Bombay-400 026.	01-10-93
443.	086798	Mr. Swain A.C. BDA Limited, Plot No. 6, MIDC Chikalthana, Maharashtra, Aurangabad-0.	01-10-93

1	2	3	4
444.	087148	Mr. Jalan Subash Chandra Ramni Whinney Murray & Co., Post Box No. 213, Dhahran Airport 31932 Saudi Arabia-0.	01-10-93
445.	090186	Mr. Laxman Chaturvedi Laxman & Co., A-203 Shiv Kripa, Lokhandwala Complex, 4 Bunglows, Andheri-W. Bombay-400 058.	01-10-93
446.	200080	Mr. Sivaraman N. 1/2 A, Jawan Nagar, Bhanusali Nagar, Tilak Road, Ghatkopar (East), Bombay-400 077.	01-10-93
447.	200460	Mr. Saidkanth B. State Bank of India Mutural Fund 19th Floor, Maker Tower E. Cuffe Parade, Bombay-400 005.	01-10-93
448.	200885	Mr. Raghavan P. C/o Essar Gujrat Ltd., 14th Floor Maker Chamber IV, Nariman Point, Bombay-400 017.	01-10-93
449.	201238	Mr. Chandrasekharan Shankar 3/265 Happy Home, Sher-E-Panjabi Co. Op. Soc., Andheri-W, Bombay-400 093.	01-10-93

A.K. MAJUMDAR,
Secy.

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 8th February 1994

No. U-16/53/1/90-M. II (Mah.) Col. III.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulations 1950, I hereby authorise Dr. Bhagwati S. Johari of Bombay Centre to function as Medical authority w.e.f. 7-2-94 to 6-2-95, or till a Full-time Medical Referee joins, whichever is earlier, for Bombay Centre at monthly remuneration as per existing, norms, on the basis of number of insured persons and the area to be allocated by the Dy. Medical Commissioner (West Zone) for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificate to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

L. B. PARIYAR,
Director General

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110 001, the 3rd March 1994

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1002.—WHEREAS THE employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to us the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE –I

Sr. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Controls and Schematics Pvt. Ltd., 3-6-584/G., Himayat Nagar, Hyderabad-500029 (A.P.).	AP/5008	2/1959/DLI/89/Exem/ Pt. I/dated 3-9-91	30-11-92	1-12-92 30-11-95	2/3752/91—DLI
2.	M/s. Andhra Bank Farmers Service Co-op. Society Ltd. Korvi, Warangal, Distt. (A.P.) 506105.	AP/5855	Do. dated 10-4-92	30-9-92	1-10-92 30-9-95	2/4113/92—DLI
3.	M/s. Precot Mills Ltd., 'B' Unit, Kodigenahalli., H.S. Mandir-515212 Hindupur (A.P.)	AP/14353	2/1959/DLI/89/Exem./ Pt. I dated 24-2-92	31-8-90	1-9-90 31-8-93	2/2134/89—DLI
4.	M/s. Sri Venkateswara Gramena Bank, H.O. P.B. No. 17, Chittor-517001.	AP/13273	Do. dated 11-1-92	30-9-92	1-10-92 30-9-95	2/1563/86—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the Provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89. PLI 1026.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (*hereinafter referred to as the said establishment*) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	period for exemption further extended.	CPFC's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Akshaya Textile Ltd. P. B. No. 2008, Ganapathy, Coimbatore-6.	TN/2395	2/1959/DLI/Exen p/89 dt. 5-3-92	10-9-91	11-9-91 to 10-9-94	2/598/82—DLI
2.	M/s. S.K.M. Poultry Services, Marketing Centre, 49C, Gandhiji Road, Erode-638002.	TN/10725	Do. dt. 21-7-92	27-8-92	28-8-92 to 27-8-95	2/2073/89—LLI
3.	M/s. Hindustan Textiles, 1/403, K. Vadamadurai, (P. O.) Coimbatore-641017.	TN/11505	Do. dt. 21-7-92	31-10-90	1-11-90 to 30-11-93	2/4188/92—DLI
4.	M/s. Coimbatore Rajendra Industries, 7, Avaranpalayam Road, Gampathy, (P.O.), Coimbatore-641005.	TN/17520	Do. dt. 26-12-90.	31-12-90	1-1-91 to 31-12-93.	2/3123/90DLI
5.	M/s. Sago Serve Jagiramma Palayam, Omalur, Main Road, Salem-636302.	TN/17730	Do. 26-10-90	30-9-90	1-10-90 to 30-9-93	2/2048/89—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

The 4th March 1994

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1050.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended.	CPFC's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. The Lakshmi Mill Co. Ltd. Pappanaicken palayam, Coimbatore-37.	TN/57	2/1959/Exemp/89/Pt. I dt. 2-1-91	28-2-90	1-3-90 to 31-5-91	2/3295/90—DLI
2.	M/s. Lakshmi Mills Co. Ltd. Palladam Branch, Kuppuswamy Naidu Puram (Post), Coimbatore-638662.	TN/57A	Do.	28-2-90	1-3-90 to 31-5-91	Do.
3.	M/s. Kongarar Spinners Ltd., Pethappampatty-638205.	TN/3490	Do. dt. 26-10-89	31-5-90	1-6-90 to 31-5-93	2/1835/88—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt./1058.—WHEREAS the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry	Period for exemption	CPFC's File No.
1.	M/s. Hindustan Thompson Associates, Lakshmi Bldg., Sir P. M. Road, Bombay-400001. (alongwith branches)	MH/3966	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I Dated 10-4-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/421/80—DLI
2.	M/s. Calama Industries Pvt. Ltd., 7, Gaiwadi Indl. Estate, S. V. Road, Goregaon (West) Bombay-400062. (alongwith branches).	MH/4260	Do. Dated 14-2-92	31-5-93	1-6-93 to 31-5-96	2/3998/92—DLI
3.	M/s. Kilachand Dev Chand & Co. Ltd., Oriental House, 7, Jamshedji Tata Road, Bombay-400020. (alongwith branches).	MH/4290	Do. Date 23-12-91	31-1-93	1-2-93 to 31-1-96	2/3908/91—DLI
4.	M/s. Nicholas Piramal India Ltd., 'Sion' Trombay Road, Deonar, Bombay-400088.	MH/4505	Do. Dated 31-1-92	2-3-93	3-3-93 to 2-3-96	2/799/82—DLI
5.	M/s. Ginners & Pressers Ltd., Oriental House, 7, Jamshedji Tata Road, Churchgate Reclamation, Bombay-20. (alongwith branches).	MH/5205	Do. Dated 9-4-92	31-1-93	1-2-93 to 31-1-96	2/4501/92—DLI
6.	M/s. Indian Dyestuff Industries Ltd., Nr. Shahad Rly. Station, P. B. No. 227, . Kalyan-421304.	MH/9400	Do. Dated 31-1-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/867/83—DLI
7.	M/s. Uniabex Alloys Products Ltd., Liberty Bldg., Sir, Vithaldas Thackersey Marg, Bombay-400020.	MH/13893	Do. Dated 20-9-91	31-5-93	1-6-93 to 31-5-96	2/3802/91—DLI
8.	M/s. Housing Development Finance Corpn. Ltd., 169, Backbay Reclamation, Bombay-400020. (alongwith its branches).	MH/20972	2/1959/DLI/Exem/Pt. I Dated 11-7-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/2122/90—DLI
9.	M/s. Hindustan Diamond Co. Ltd., Atlanta, 15th Floor, Nariman Point, Bombay-400021. (alongwith its branches).	MH/21088	Do. Dated 13-11-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/3845/91—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1066.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/ extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	M/s. The Coimbatore District Consumers Co-op., Whole Sale Stores Ltd., K-881, Post Bag No. 1098, R. S. Puram, Coimbatore-641002.	TN/2616	S-35014/415/82 PF dt. 11-12-82	10-12-85	11-12-85 to 10-12-88, 11-12-88 to 10-12-91 & 11-12-91 to 10-12-94	2/784/82—DLI
(2)	M/s. The Dharampuri Distt. Central Co-op. Bank Ltd. Dharampuri-636701.	TN/4147-A	S-35014/10)/83-SS. I dt. 28-7-86	27-7-89	11-12-91 to 28-7-89 to 27-7-92 & 27-7-92 to 28-7-95	2/32/76—DLI

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(3)	M/s. Ahura Welding Electode Manufacturers Ltd. SF-398 & 144/3, Thirumalayam Palyam, Coimbatore Palghat Road, Coimbatore-641105.	TN/9488	S-35014/12/84-PF. I dt. 9-2-87	30-3-90	31-3-90 to 30-3-93 & 31-3-93 to 30-3-96	2/1014/84—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable apportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89 Pt.I/1074.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption further extended.	CPFC's File No.
1.	M/s. Prakash Chain & Co. 156, Thambu Chetty Street, Madras-600001.	TN/22231	2/1959/DLI/Exemp/91/ Pt. I dt. 10-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2823/90—DLI
2.	M/s. Om Sinduri Hotel, No. 24, Greams Lane, Opp. Gream Road, Madras-600006.	TN/23342	2/1959/DLI/Exemp/91 Pt. 1 dt. 2-2-93.	30-10-92	3-10-92 to 31-3-93	2/4374/92—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member, who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/1082.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS I, B. N. SOM, Central Provient Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

S. No.	Name & Address of the estts.	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which Exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's file No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Manchar Printing Press Beawar Rajasthan.	RJ/225	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/dated 10-12-92	28-2-92	1-3-92 to 28-2-95	2/4460/92—DLI
2.	M/s. Assam Roller Flour Mills Ltd., Jhatwara Road, Rajasthan.	RJ/397	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/dated 10-12-92	31-3-92	1-4-92 to 31-3-95	2/4459/92—DLI
3.	M/s. O. S. Motors Ltd. Chopasni Road, Jodhpur Rajasthan.	RJ/1383	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dated 2-4-93	31-12-91	1-1-92 to 31-12-94	2/2321/89—DLI
4.	M/s. Rambagh Palace Hotel Pvt. Ltd., Bhawani Singh Road, Jaipur.	RJ/1692	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/dated 29-1-90	3-1-91	4-1-91 to 3-1-94	2/1131/89—DLI
5.	Rajasthan Watch Manufacturers, D-468-B, Road No. 9A, V.K.I. Area, Jaipur.	RJ/2679	2/1959/Exemp/DLI/89/ Pt. I dated 1-10-92	30-4-92	1-5-92 to 30-4-95	2/4192/92—DLI
6.	M/s. Thar Aanchalik Gramine Bank, A-54, Shastri Nagar, Jodhpur, Rajasthan.	RJ/4110	2/1959/DLI/Exem/89/ Pt. I/dated 28-9-89	30-10-90	1-11-90 to 30-10-93	2/2537/90—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee that the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as Compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

The 7th March 1994

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1089.—WHEREAS, the employers of the establishments' mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act.)

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees' of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourabe to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a further period of 3 Years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Dinakar Litho Printers (P) Ltd. B-5, Industrial Estate, Vijayawada-520007.	AP/13522	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I/411 dated 2-2-93	29-2-92	1-3-92 to 28-2-95	2/2445/90—DLI
2.	M/s. Detta Agro Chemicals (P) Ltd., Seri Narasannapalam, Bapulapadu Mandalam, Veeravalli (PO)-521110.	AP/13630	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I/983, dated 24-3-93	31-8-92	1-9-92 to 31-8-95	2/4629/92—DLI
3.	M/s. The Krishnaveni Agro Oil Products Limited, Mallayapalem Gudivada-521301, Krishna Dt.	AP/16507	2/1959/DLI/Exemp/89 Pt. I/983 dated 17-10-92	30-6-92	1-7-92 to 30-6-95	2/4153/92—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member, who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1106.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to us the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry ealiar exemption	Period for exemption	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. The Nizam Sugar Factory Ltd. Fateh Maidan Road, P.B. No. 1, Khairatabad Hyderabad-500004 and its branches.	AP/158 AP/289 AP/40 AP/41 AP/6110.	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I, dated 2-5-93	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/2903/90—DLI
2.	M/s Nutrine Confectionery Co. Ltd., B.V.R. Colony, Chittoor-517001 and its branches covered under this code no.	AP/1269	2/1959/DLI/89/Exemp/ Pt. I dated 9-12-91	13-9-93	14-9-93 to 13-9-96	2/1455/86—DLI
3.	M/s. The A.P. State Handloom Weavers Co-op. Society Ltd. Weavers Bhavan., 3-5-770, Narayanguda, Hyderabad. (A.P.).	AP/1472 & AP/1406	2/1959/DLI/89/Exemp/ Pt. I dated 10-9-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/3769/91—DLI
4.	M/s. Electronics Corporation of India Limited., ECIL Post Office, Hyderabad.	AP/3260	2/1959/DLI/89/Exemp/ Pt. I dated 22-12-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/22/76—DLI

1	2	3	4	5	6	7
5.	M/s. Hagglunds Denison Ltd. Patancheru-502319, Medak District (A.P.)	AP/4239	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dated 22-5-90	28-2-92	1-3-92 to 28-2-95	2/2698/92—DLI
6.	M/s. Rayalaseema Grameena Bank, H.O.P. B. No. 65, Cuddapah-516001, (Andhra Pradesh).	AP/6075	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dated 27-3-90	2-3-93	3-3-93 to 2-3-96	2/982/83—DLI
7.	M/s. A. P. State Police Housing Corporation Ltd., Director of General of Police Office Compound, Saifabad.	AP/6149	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dated 27-3-92	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/2910/93—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employees the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1130.—WHEREAS, the employees of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Estt.	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption granted/extended	Date of expiry earlier exemption.	Period for exemption	C.P.F.C's File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	M/s. Devon Plastics Ltd. 147, Gream Road, Madras-600006.	TN/3139	2/1959/DLI/Exemp./ 89/Pt. dt. 8-3-90	28-2-92	1-3-92 to 29-2-96	2/2418/90—DLI
2.	M/s. Guest Kean Williams Ltd., 75, Pantheon Road, Madras-600 008.	TN/3768	Do. dt. 21-10-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/558/81—DLI
3.	M/s. Kwality Precision Products (P) Ltd., Ambattur, Madras-600 053.	TN/5646	Do. dt. 3-4-93.	31-1-91	1-2-91 to 31-2-94	2/4004/92—DLI
4.	M/s. V. S. T. Service Station, (Vellore) 144, Anna Rd., Madras-600 002.	TN/3045-B	Do. dt. 5-2-90	27-1-93	28-1-93 to 27-1-96	2/958/83—DLI
5.	M/s. Tamil Nadu Cement Corporation Ltd., 235, Anna Salai, Madras-600 002.	TN/11332	S-35014(269)/82 dt. 18-12-82	17-12-85	18-12-85 to 17-12-88 18-12-88 to 17-12-91 & 18-12-91 to 17-12-94	2/762/82—DLI
6.	M/s. Veeraraghava Textiles Pvt. Ltd., Uthiramerur-603 406.	TN/7768	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I dt. 3-5-91.	30-7-91	31-7-91 to 31-7-94	2/3445/91—DLI
7.	M/s. S & S Power Switch Gear Ltd., Porur, Madras-600 116.	TN/1991	Do. dt. 29-8-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/2731/90—DLI
8.	M/s. Kwikeneveyor, A-21 Sidco Industrial Estate, Villivaktam, Madras-49.	TN/19263	Do. dt. 10-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93 to 1-3-93 & 29-2-96	2/2821/90—DLI
9.	M/s. Bearing & Spares Centre, 156, Thambu Chetty, Madras.	TN/22259	Do. dt. 10-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93 to 1-3-93 to 29-2-96	2/2824/90—DLI
10.	M/s. V. S. T. Service Station Pvt., Ltd., 182, Anna Salai, Madras-600 006.	TN/1134	Do. dt. 3-9-91	27-1-93	28-1-93 to 27-1-96	2/958/89—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the denth of an employees that the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporatoin of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

New Delhi -110 001, 9th March 1994

No. CPFC. 1(4)/TN(694)/93/1146— Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/29111	M/s. NN. 619, Maviduthikottai Primary Agricultural Co-op. Bank, Maniduthikottai (TN).	1-3-93
2.	TN/29124	M/s. N.N. 597, Hanumanthakudi Primary Agricultural Co-op. Bank, Hanumanthakudi Post, Devakottai (TN).	1-6-93
3.	TN/29084	M/s. A-1146, Pungankulam Primary Agricultural Co-op. Bank, Sithalai Post, Thirumangalam Taluk, Madurai Distt., Tamil Nadu.	1-4-93
4.	TN/29127	M/s. Kuppampalayam Primary Agricultural Co-op. Bank, Laksumapuram, Pappampatti Post, Palani TK, Dindigul, Anna Distt. (TN).	1-5-93
5.	TN/30481	M/s. Kumara Vel Packaging (P) Ltd., Plot No. 373 to 376, Nehru Nagar, Madras-96 including branch.	1-5-93
6.	TN/30480	M/s. V. Sampathsekar & Co., 3, Jaffar Syrang—Street, Madras-I.	1-5-93
7.	TN/30479	M/s. Super Enterprise, 5, Ist Floor, 198-A, M.T.H. Road, Padi, Madras-50 including branch.	1-5-93
8.	TN/30476	M/s. Sastha Clearing & Forwarding Company, Room No. 6, First Floor, 47/49, Ebrahim Sahib, St., Madras-I.	1-5-93
9.	TN/30475	M/s. Sree Venkateswara Enterprises, 453/6, T.I.C. Road, Ambattur, Madras-53.	1-5-93
10.	TN/30474	M/s. Shriram Marine Harvests Ltd., 1958-C, II Avenue, Anna Nagar, Madras-40.	1-4-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with eflect from the date mentioned against the name of the each of the said establishments.

B.N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. CPFC. 1(4)/TN(696)/93/1150 -Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	TN/30441	M/s. Transenergy Ltd., 206, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Madras-98, including branch.	1-3-93
2.	TN/30429	M/s. Varun Systems (I) Pvt. Ltd., 19, First Cross Street, Kasthuribai Nagar, Adyar, Madras-20.	1-4-93
3.	TN/30421	M/s. Sun Metal Rolling Mills, 241, Sydenhans Road, Madras-600112.	1-4-93
4.	TN/30420	M/s. R.R. Enterprises, 5-A, Choolai High Road, Choolai, Madras-600112, including branches/departments.	1-1-93
5.	TN/30383	M/s. Sundaram Polymers Ltd., Post Box No. 38, Padi, Madras-600050, including branch.	1-3-93
6.	TN/30378	M/s. MEI Leathers Pvt. Ltd., 86, Bajanai Koil Street, Pammal, Madras-600075, including branches.	1-3-93
7.	TN/30355	M/s. Eswari Electricals Pvt. Ltd., Plot No. 64, Industrial Estate, Perungudi, Madras-96.	1-3-93
8.	TN/30350	M/s. Elagiri Hills Milk Producers' Co-op. Society Ltd., Athanavoor Post, Elagiri, N.A. Dt.	1-1-93
9.	TN/30346	M/s. Sakthi Packaging Industries, 39, Sidco Industrial Estate, Ambattur, Madras-98, including branch.	1-8-92
10.	TN/30460	M/s. Ambly Engineering Corporation, 58, Arathoon Road, Royapuram, Madras-600013, including branch.	1-3-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from an I with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. CPFC. 1 (4)/KN (718)/93/1153—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely;

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	KN/15769	M/s. Sewing Systems (P) Ltd., 215, Richmond Towers, 12, Richmond Road, Bangalore-25.	1-3-93
2.	KN/15355	M/s. Subbulakshmy Enterprises, No. 118, 1st Floor, Balakumar Nilaya, 4th Cross Road, Papanna Block, Ganganagar, Bangalore-32.	1-1-93
3.	KN/15755	M/s. SKAG INC. No. 15, Wood Street, Richmond Road, Bangalore-25 including branches.	1-3-93
4.	KN/15427	M/s. Siba Software Pvt. Ltd., 201, Parvathy Plaza, Richmond Road, Bangalore-25 including branch.	1-4-92
5.	KN/12808	M/s. T.A.P.C.M.S. Ltd., B.M. Road, Hassan.	30-6-93
6.	KN/16160	M/s. EASI Technologies (P) Ltd., 204/C, 6th Main, 27th Cross, III Block, Jayanagar, Bangalore-11.	31-3-93
7.	KN/15407	M/s. Maria Associates, No. 4, Niseen House, Austin Town, Bangalore-47.	1-10-92
8.	KN/15363	M/s. Data Acquire, No. 988, 12th Main, 1st Cross, Hal-II, Stage, Bangalore-8.	1-10-92
9.	KN/15979	M/s. Soft ouch Hygiene Products (Mkt) Pvt. Ltd., 1101, 13th Cross, 2nd Stage, Indira Nagar, Bangalore-38.	1-4-93
10.	KN/15732	M/s. S.R.S. Enterprises, No. 14, Nanjundeshwara Complex, Challagatta, Yamaloor Post, Bangalore-37.	1-3-93
11.	KN/15283	M/s. Dynalog Marketing Services, 988, 12th Main, Hal. II Stage, Indiranagar, Bangalore-37.	1-10-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. CPFC-1(4)/AP/(722)/93/1157—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	AP/16953	M/s. Ushakiran Movies, Eenadu Compound, Somajiguda, Hyderabad-5000482.	1-2-87

1	2	3	4
2.	AP/21569	M/s. Anupama Traders, Zamindar Street, Satyanarayanapuram, Vijayawada-520011.	1-9-92
3.	AP/21568	M/s. Kamath Enterprises, 14-17-6, Makanivari Street, Gandhinagar, Vijayawada-520003.	1-9-92
4.	AP/21567	M/s. United Agencies, Swamy Street, Gandhi Nagar, Vijayawada-520003.	1-9-92
5.	AP/21566	M/s. Pioneer Traders, Swamy Street, Gandhi Nagar, Vijayawada-520003.	1-9-92
6.	AP/21565	M/s. Primier Enterprises, Swamy Street, Gandhi Nagar, Vijayawada-520003.	1-9-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of eachof the said establishments.

B.N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. CPFC. 1(4)/TN(723)/93/1162—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely,

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	TN/27750	M/s. Mangal & Mangal, 25, N.S.B. Road, Trichy-620002.	1-5-93
2.	TN/29143	M/s. Spl. 37, Malli Primary Agricultural Co-op. Bank Ltd., Malli P.O. (Via-Srivailliputtur), Kamarajar Dist.	1-7-93
3.	TN/30564	M/s. N.N.N. Drinking Water Suppliers, 8/B, Rathinasingh Kulathu St. Anni Road, Vellore-632001.	1-7-93
4.	TN/30557	M/s. Butterfly Quality Centre (Pvt.) Ltd., 272, Mount Road, Near Vanavil Co-optex, Teynampet, Madras-600018.	1-3-93
5.	TN/30520	M/s. Aruna Industrial Corporation, 43, M.K.N. Road, Guindy, Madras-600032.	1-6-93
6.	TN/30519	M/s. Allied Offset Printers, 43-B, Langes Garden Road, Pudupet, Madras-2.	1-5-93
7.	TN/30495	M/s. Swan Engineers, 26, Thiruvottiyur High Road, Madras-81.	1-3-93
8.	TN/30492	M/s. Cutfast I-Tech. Pvt. Ltd., 118, T.T.K. Road, 1st Floor, Madras-18.	1-4-93
9.	TN/28034	M/s. Coir Plus-India Pvt. Ltd., Arasampalayam Village, Arasampalayam Post Via Kinathukkadavu Pollach Taluk-109 including branches.	1-4-93
10.	TN/39078	M/s. The Shakthi Match Works, 12-A, Chairman Shanmuga Nadar Road, Sivakashi-426123 including branch.	1-2-93
11.	TN/29139	M/s. Y. 288, Panavilai Co-op. Stores Ltd., Vaniyakkudi Post, Kanyakumari Dist.-629251.	1-7-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1(4)/TN(726)/93/1166— Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) should be made applicable to their respective establishments namely.

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	TN/29142	M/s. Kavitha Offset Printers, 2/447, Deivanai Nagar, Viswanathan Road, Sivakashi-23.	1-4-93
2.	TN/29133	M/s. Seyad Shariat Finance Ltd., No. 28, Middle Street, Sindupoondurai, Tirunelveli-1.	1-6-93
3.	TN/29181	M/s. Institute of Engineering Technology, 12-D/1, Sivalaperi Road, Palayamkottai, Tirunelveli-2.	1-7-93
4.	TN/29129	M/s. N.N. 559, Kaluvankulam Primary Agrl. Co-op. Bank, Kasavankundu Post, P.M.T. District.	1-4-93
5.	TN/29158	M/s. N.N. 593 Namanoor Primary Agricultural Co-op. Bank, Alavakkottai Post, Sivaganga Taluk, Pasumpon Dist. 623553.	1-4-93
6.	TN/29140	M/s. Hotel Kathiravan, 39, East Car Street, Srivilliputtur, 626125.	1-5-93
7.	TN/29199	M/s. Sree Anjaneya Chit Funds, 68, Thenvadal New Street, Sattur including branches.	1-7-93
8.	TN/29197	M/s. Q. 531, Ladanendal Primary Agricultural Co-op. Bank. Ltd., Ladanendal, Mana Madurai, Pasumpon Thevar Dist.	1-8-93
9.	TN/29159	M/s. Q. 1244, Chathur Vedamangalam Primary Agricultural Co-op. Bank, Kottagudi Baramakudi Tq.	1-6-93
10.	TN/29141	M/s. VRD 18, Dhalavaipuram Co-op. Milk Producers' Society Ltd., Dhalavaipuram (Via-Rajapalayam).	1-2-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. CPFC. 1(4)/AP/(729)/93/1170—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely.

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	AP/22855	M/s. The United Technical & Non-Technical Workers Labour Contract Co-op. Society Ltd , Eluru including branches.	1-3-93
2.	AP/22847	M/s. Hotel Nandini, Rama Chandra Rao Pet, Eluru-534002.	1-4-93
3.	AP/22846	M/s. Usha Bala Chits & Investments (P) Ltd., Door No. 22A-1-8/25, Bhalasani Buildings, G.N.T. Road, Eluru-534002.	1-4-93
4.	AP/24202	M/S. Syndicate Farmers' Service Co-op Society Ltd. K. 433, 7-117, Atmakur-524 322, Nellore Dt., including branches.	1-6-93
5.	AP/24220	M/s. Shri G. S. Industries, 65, I.DA., Cherlapally, Hyderabad-500051, (including branches).	1-4-93
6.	AP/24211	M/s. Sarwasti Security Services, 32/1850, Mypadu Gate, N. Garden Post, Nellore-524002.	1-5-93
7.	AP/22857	M/s. Devarapalli Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd., H-790, Devarapalli, W. G. Dt,.	1-4-93
8.	AP/22854	M/S. Korupalli Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd. No. 968, Korupalli, W. G. Dt.	1-4-93
9.	AP/22856	M/s. Pondalaparru Primary Agricultural Co-op. Society Ltd., No. 11400, Pondalaparru—Nidadavole Mandal.	1-4-93
10.	AP/22853	M/s. Maddru Primary Agriculture Co-op. Credit Society Ltd., W. G. 1765, Madduru.	1-4-93
11.	AP/22840	M/s. The Co-op. Central Bank Employees. Co-op. Society Ltd., No W, G. 142, Eluru	1-4-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. 1 (4)/R (731) 93/1174.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers & the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees, Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of coverage
1	2	3	4
1.	OR/3052	M/s. Suresh C. Varghese, Singh Building, Main Road, 2nd Floor, Rourkela-I.	5-6-85

1	2	3	4
2.	OR/3554	M/s. S. R. Electric, Kacheri Road, Unit Nagar, Rourkela-12.	1-8-87
3.	OR/3940	M/s. Turnkey Engineers, T/4, Civil Township Area, 7 & 8, Rourkela-4.	1-5-89
4.	OR/4543	M/s. Puma Security Services, AT / P. O. Gangpur, Distt. Sundergarh, Orissa.	31-12-91
5.	OR/4695	M/s. Bharat Industrial Projects, Vedvyas Chowk, Vedvyas Rourkela-769041 (including branches)	1-12-92
6.	OR/7003	M/s. Nilima & Son, At D.A.V. School Lane, P. O. Rourkela, Distt. Sundergarh.	1-5-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC. I (4) KN (735)/94/1178.:—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers & the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the establishments	Date of Coverage
1.	KN/13842	M/s. Motorola Blue Star (P) Ltd., 108, Bull Temple Road, Gavipuram, Guttahalli, Bangalore-19 (including branches)	1-1-90
2.	KN/14853	M/s. G & G Enterprises, 362, 4th Main, II Block, III Phase, Banashankari, III Stage, Bangalore-85.	1-2-92
3.	KN/13511	M/s. Mat Freight Lines Pvt. Ltd., 7th Mile, 4th Furlong, Kanakapura Road, P.O. Doddakalasandra, Bangalore-62 (including branches)	1-4-89
4.	KN/13418	M/s. D E (J) Office. 'A' Type Tiffen Room, 544/47, R. V. Road, Banglore-4	1-2-89
5.	KN/15387	M/s. Moolaa Technologies (P) Ltd., 1381, South End Road, 9th Block East, Jayanagar, Bangalore-560069 (including branches)	31-1-92
6.	KN/16183	M/s. Heatcon Sensors Pvt. Ltd., No. 348/4, Mes Road, Jalahalli Post, Bangolore-560013. (including branches)	31-3-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the abovementioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1 (4) MH (736) 93/1181 :—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the establishments	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MH/37236	M/s. Noble Metals Catalysts Pvt. Ltd., Plot No. 31, Phase-II, Central Road, M.I.D.C. Andheri (East), Bombay-400093 (including branches)	1-4-90
2.	MH/35779	M/s. Metal Fabricators of India, 17-D, Udyog Sadan, No. II, M.I.D.C. Andheri (East), Bombay-400093.	31-3-89
3.	MH/60928	M/s. Bombay Jabalpur Roadways, Mustafa Manzil, Gandhi Bagh, Nagpur.	1-4-93
4.	MH/39386	M/s. Kopran Laboratories Pvt. Ltd., Parijal House, 1076, Dr. E. Moses Road, Worli, Bombay-400018.	1-3-93
5.	MH/39407	M/s. G. I. C. Griha Vitta Ltd., 3rd Floor, Universal Insurance Building, Sir P.M. Road, Bombay-400001. (including branches)	1-4-92

Now, therfore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)AP(747)93/1184.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely ;—

S. No.	Code No.	Name & address of the estts.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	AP/22901	M/s. Annama Rajupeta Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd., ... Annamarajupeta-50.	1-8-93

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	AP/24327	M/s. Vijaya Public School, Aditya Nagar, Khapra, R.R. Dist., Hyderabad-62.	1-7-93
3.	AP/24326	M/s. HYFAB Industries, Plot No. 68, I.D.A. Cherlapally, HCL Post, Hyderabad-51.	1-6-93
4.	AP/24285	M/s. Pratibha Chit Funds (P) Ltd., 1-2-166/A, 1st Floor, Sarojini Devi Road, Secunderabad-3.	1-6-93
5.	AP/24318	M/s. Turbomachinery Technical Services (P) Ltd., Chandanagar, Hyderabad-38 including branches.	1-6-93
6.	AP/22920	M/s. Cane Development Council Bhimasingi-14.	1-8-93
7.	AP/22860	M/s. Nina Leathers, 10-2/99, Hukumpeta, Vizianagaram-531202.	1-5-93
8.	AP/22898	M/s. Sree Hari Special Refractories Pvt. Ltd. Shed No. B-15, AIF, Pedagantyada, Visakhapatnam-44 including branches.	1-7-93
9.	AP/24322	M/s. Hansa Boots, 34-1/A B C, Ground Floor, Methodist Complex, Abids, Hyderabad including branches.	1-8-93
10.	AP/22872	M/s. The Associated Technicians I.T.I., Near Railway Station, Opp. Paidithallamma Temple, Vizianagaram-531203.	1-5-93
11.	AP/22919	M/s. Alamanda Primary Agricultural Co-op. Credit Society Ltd., No. B-1223, Jami Mandalam, Vizianagaram Dist.	1-8-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act,I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)GJ(750)/93/1189.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	GJ/20520	M/s. Falcon Man Power Service Station Road, Halol Dist., Panchmahal.	1-3-93
2.	GJ/20521	M/s. Baroda Refrigeration Industries, 714, G.I.D.C. Makarpura, Baroda-10	1-4-93
3.	GJ/24033	M/s. Raas Engineering And Construction Company, 24, Near Panchvati Apartment, Shriji Road, Ahmedabad.	31-12-92
4.	GJ/24031	M/s. Chemi Protect Engineers, 2114/B, G.I.D.C. Phase III, Vatva, Ahmedabad-45.	1-6-93
5.	GJ/24034	M/s. Best Chemicals, C-I/121, G.I.D.C. Phase-I, Vatva, Ahmedabad-45.	1-5-93
6.	GJ/24004	M/s. Girdhari Lal Damodar Das Pvt. Ltd., Behind Sakun Tal. Ambayadi, Ahmedabad-6.	1-5-93
7.	GJ/24053	M/s. Alkaps Industries, 5, Sahjanan Estate, Opp. Avtar Hotel, Sanpur Narol Road, Ahmedabad-43.	1-6-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)/DL/(754)/94/1193.—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & Address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	DL/15462	M/s. R.N.V.A. Exports, A-203, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi.	1-10-92
2.	DL/15445	M/s. Bej Services, MS-20, 1st Floor, Mayapuri Road, Hari Nagar, New Delhi.	1-8-93
3.	DL/15440	M/s. Sphinx Travels, GF-01, Ansal Bhawan, Kasturba Gandhi Marg New Delhi.	1-8-92
4.	DL/15418	M/s. Divine Manpower & Security Services, (DMSS), Kolaba Business Centre, C-25/5, Connaught Place, New Delhi.	1-7-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC-1(4)/MP(771) /94/1196—Whereas it appears to the Central Povident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MP/7438	M/s. Pradeep Sales & Services, shop No. 8, Sector-I, Shopping Centre, Balco Town Ship, Korba Distt. Bilspur, M.P.	31-1-92
2.	MP/7709	M/s. Pizza Engineering, 74, C, Indra Puri, Bhopal, M. P.	1-1-93
3.	M.P./7852	M/s. Paras Translam (P) Ltd., 12 'A', Sector-D, Industrial Area, Govindpura, Bhopal-462023.	1-9-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the establishments.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC 1(4)MH(781)/93/1199—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Emploees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	MH/39463	M/s. Air Links Cargo (P) Ltd., 5, Satam Industrial Estate, Cardinal Gracious Road, Chakala, Andheri (East), Bombay-400099	1-10-92
2.	MH/60905	M/s. Kriparam Mohalal Asati Labour Supplier Kati, P.O. Bisrola, Dist. Bhandara.	1-3-93
3.	MH/60947	M/s. Nippon Transformers(India) Pvt. Ltd., Plot No. C-59, M.I.D.C., Industrial Area, Nagpur-440028.	1-4-93
4.	MH/39557	M/s. Panjetan Investments & Properties Pvt. Ltd., 305, Loha Bhavan, 3rd Floor, P.D. Mello Road, Bombay-400009.	1-9-93
5.	MH/27970	M/s. Bhola's Classes, Namdar Building, Opp. Vile Parle Station (West), Bombay-400056.	1-4-93

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B.N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. CPFC.1(4)/KR(788)/93/1203—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employers and the majority of employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely :—

S. No.	Code No.	Name & address of the estt.	Date of Coverage
1	2	3	4
1.	KR/11670	M/s. Casino Rubber Factory, 6/380, Bank Road, Calicut-673001 including branches.	1-2-90
2.	KR/11980	M/s. M.E.S. English Medium School, P.O. Pattambi-679303.	1-1-93
3.	KR/11996	M/s. Josco Footwear Co., Karuthaparamba, Kunnamangalam Calicut Dist.	1-12-92

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub section 4 of Section 1 of the said Act, I, B.N. Som, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

MINISTRY OF LABOUR

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi-110 001, the 3rd March 1994

No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.I/994.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schdule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said mentioned establishment in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Cochin from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the Establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Vembanad Waterway, Willingdon, Island, Cochin, Kerala.	KR/2980	1-12-89 to 31-7-91	2/5251/93/DLI
2.	M/s. Phosphorous and Chemical Travancore Ltd., Old Thevara Road, Ernakulam, Cochin-682016.	KR/2182	1-8-92 to 31-7-95	2/5250/93/DLI
3.	M/s. Ernakulam District Co-operative Bank Ltd., P.B. No. 1786, Ernakulam Cochin-682016.	KW/1912	1-8-89 to 3-7-92	2/4874/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/1010.—WHEREAS, the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments etc. without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Faridabad from the operation of the said scheme for a period of 3 ytars.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. The Hissar Distt. Central Cooperative Bank Limited, Bank Road, Hissar.	PN. 3430 New Code No. HR/1062	1-3-91 to 28-2-94	2/5288/92-DLI
2.	M/s Hafed Spinning Mills, Umra Road, Hansi, Distt. Hissar.	PN/5964 New Code No. HR/989	1-3-89 to 29-2-92	2/52 89/91-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishments (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heirs(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Privident Fund Cimmissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of Premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heirs(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1018.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.Cs Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said schedule for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name of Address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry earlier exemption	Period for exemption further extended	C.P.F.C's File No.
1.	M/s. Andhra Pradesh Steels Ltd., Paloncha Distt. Khaman (with its branches) in Andhra Pradesh)	AP/5094	2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I Dt. 1-8-91	28-2-93	1-3-93 to 29-2-96	2/3732/91-DLI.
2.	M/s Vasant Chemicals (P) Ltd., 90F-IDA, Jeedimetta, Hyderabad(AP) 500855	AP/16266	2/1959/DLI/Exemp/-89/Pt. I Dt. 11-1--92	31-8-92	1-9-92 to 31-8-95	2/3931/91-DLI.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees' the regional Provident Fund Commission shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt. I/1034.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

NOW, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned establishment in schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the RPFC Amritsar from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C's file No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Amin Chand Pyare Lal Tanda Road, Jalandhar City	PN/107A	1-1-92 to 31-12-94	2/5160/93/DLI
2.	M/s. J.M. P. Manufacturing Company, 983, Preet Nagar Sodal Road, Jalandhar.	PN/472	1-1-92 to 31-12-94	2/5158/93/DLI
3.	M/s. Punjab Bone Mills, G.T. Road, near Railway Station Chaheru Phagwara.	PN/2033	1-12-91 to 31-11-94	2/5157/93/DLI
4.	M/s. Basat Metal Works Hoshiarpur Road, Jalandhar.	PN/1797	1-4-89 to 31-3-92	2/5168/93/DLI
5.	M/s. Prince Rubber Industries S-130/S-158 Industrial Area Jalandhar.	PN/2412	1-12-91 to 30-11-94	2/5163/93/DLI
6.	M/s. G.N.A. Dura Parts VIII and P. O. Bundala District-Jalandhar	PN/2892	1-9-91 to 31-8-94	2/5164/93/DLI
7.	M/s. Daily Ajit Printers, N.G. Road, Jalandhar.	PN/4939	1-3-92 to 28-2-95	2/5165/93/DLI
8.	M/s. Patel Hospital Pvt. Ltd., Civil Lines, Jalandhar.	PN/5668	1-12-91 to 30-11-94	2/5162/93/DLI
9.	M/s. Anand Aggarwal Oils Pvt. Ltd., Sultanpur Road, VIII Shiekh Kot Kapurthala Jalandhar.	PN/9956	1-1-90 to 31-12-92	2/5159/93/DLI
10.	M/s. XEN Tunnelling Div. No. II RSD (P) Shahpur Kandi, Jalandhar.	PN/15132	1-3-92 to 28-2-95	2/5128/93/DLI
11.	M/s. Nakodar Co-operative Sugar Mills Ltd., Nakodar, District Jalandhar.	PN/15275	1-9-91 to 31-8-94	2/5155/-93/DLI
12.	M/s. India Organic Products near Railway Station, Chaheru Phagwara Jalandhar.	PN/15302	1-12-91 to 30-11-94	2/5156/93/DLI

1	2	3	4	5
13.	Dhiman Systems Kapurthala Road, Nakodar, District Jalandhar.	PN/15461	1-1-92 to 31-12-94	2/5161/93/DLI
14.	M/s. Ranbros Pvt. Ltd., Basti Bawa Khel, Kapurthala Road, Jalandhar.	PN/15502	1-2-92 to 31-1-94	2/5166/93/DLI
15.	M/s. United Christian Institute, Suranasi, Distt. Jalandhar.	PN/15371	1-10-91 to 30-9-94	2/5167/93/DLI
16.	M/s. Surindera Engineering Works (Regd.), Railway Road, Nakodar, Jalandhar.	PN/15586	1-1-92 to 31-12-94	2/5159/93/DLI
17.	M/s. XEN Power Plant (C) Division, RSD Pvt. Shahpur Kandi.	PN/15204	1-3-92 to 28-2-95	2/5050/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

New Delhi-110 001, the 4th March 1994

S.O. No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1042.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment mentioned in Schedule-I against said Scheme has been granted by the R.P.F.C., Guntur from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F. C's File No.
1.	M/s. Sri Dhanalakshmi Cotton & Rice Mills Limited, Cotton Division, Ganapavaram Via Chilatealurepet, Guntur-Distt.	AP/5068	1-3-89 29-2-92	2/5015/93-DLI
2.	M/s. Sri Dhanalakshmi Cotton & Rice Mills Ltd., Rice & Oil Division, Ganapataram, Guntur Distt.	AP/6743	1-3-89 29-2-92	2/5015/93-DLI
3.	M/s. The Pioneer Fertiliser Company, "Pioneer House" Bunder Road, Vijayawada-520010.	AP/16770	1-12-92 31-1-95	2/5015/93-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporatoin of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

S.O. No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1090.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto I, B. N. SOM hereby exempt each of the said mentioned establishment in Schedule-I against said scheme has been granted by the R.P.F.C. Orissa from the operation of the said Scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE-I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s File No.
1.	M/s. Electronics Test and Development Centre 2/b-204, Mancheswar Industrial Estate, Bhubaneswar-10.	OR/2592	1-1-88 to 31-12-91	2/5295/93/DLI
2.	M/s. National Aluminium Company Ltd., I.D.C.O. Tower, Bhubaneswar-751007 Orissa.	OR/4090	1-1-90 to 31-12-92	2/5294/93/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under Clause (a) of Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, if employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Schemes appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

New Delhi-110001, the 7th March 1994

S.O. No. 2/1959/DLI/Exemp/89/PT.I/1114.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

AND WHEREAS I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/C.P.F.C. Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.

SCHEDULE-I

Sr. No.	Name & address of the establishment	Code No.	No. & date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended	CPFC's File No.
1.	M/s. Bangalore Auto Diesel Work, Post Box No. 409, Omalur Road, Salem-636004.	TN/9310	2/1959/DLI/Exemp 89/Pt.-1. dt. 26-10-89	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/2061-A/89/DLI
2.	M/s. Coimbatore Alcohol & Chemicals Ltd., 252, Mettupalayam Road, Coimbatore-641043	TN/16349	—do— dt. 11-4-92	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3093/90/DLI
3.	M/s. Kongarar Textile Ltd., Krishna Puram, Madathukulam (PO) Coimbatore Distt.	TN/17229	—do— dt. 26-2-90	30-5-90	1-6-90 to 30-5-93	2/3129/90/DLI
4.	M/s. Jeetex Engineering (P) Ltd. Unit-20, Industrial Estate, Ganapathy, Coimbatore-6.	TN/17522	—do— dt. 26-10-89	31-8-90	1-9-90 to 31-8-93	2/1972/98/DLI
5.	M/s. Sapthagiri Spinning Mills (P) Ltd., 134-1, Trichy Road, Kannampalayam (PO) Sulur (Via) Coimbatore-641402.	TN/21312	—do— dt. 3-5-91	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3431/91/DLI
6.	M/s. Kottukulam Engineers (P) Ltd., Bommidi Railway Station Yard, Bommidi, Dharmapuri Distt.	TN/21357	—do— dt. 16-2-91	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3317/90/DLI
7.	M/s. Bannari Amman Sugar Ltd., Alathukombai, P. Box No. 16 Satyamangalam-638401.	TN/21773	—do— dt. 21-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3090/90/DLI
8.	M/s. Krishnaswamy Nagar Ganga Nagar, Mriculation Road, Ramanthapuram, Coimbatore-641045.	TN/21570	—do— dt. 21-9-90	28-2-90	1-3-90 to 28-2-93	2/3094/90/DLI
9.	M/s. Shri Arbee Electrics Ltd., Karamadai, Coimbatore-641104.	TN/21480	—do— dt. 31-5-91	31-1-91	1-2-91 to 31-1-94	2/3500/91/DLI
10.	M/s. Eligible Engineering Works Ltd., Motor House, 8/1236, Trichy Road, Coimbatore-18.	TN/17126	—do— dt. 7-12-89	11-4-91	12-4-91 to 11-4-94	2/1189/85/DLI
11.	M/s. Anna Transport Corporation, 12, Ramakrishna Road, Salem-636007	TN/7460	—do— dt. 7-12-89	31-12-91	1-1-92 to 31-12-94	2/153/77/Vol. II

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-Section (3A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme this Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.I/1122.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said mentioned in Schedule-I against each from which date relaxation order under para 28(7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Faridabad from the operation of the said scheme for a period of 3 years.

SCHEDULE—I

Sr. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective Date of the exemption	C.P.F.C's File No.
1	2	3	4	5
1.	M/s. Rubber Reclaim Company of India (P) Ltd., G. T. Road, Bahalgarh, Sonepat)	HR/-854	1-3-89 to 29-2-92	2/5256/93—DLI
2.	M/s. The Sonepat Central Co-operative Bank Ltd. Tika Ram Road, P. B. No. 36, Sonepat-131001 (Haryana)	HR/1058	1-10-90 to 30-9-93	2/5257/93—DLI

1	2	3	4	5
3.	M/s. Cable Corporation of Haryana Village Rasoi P. O. Nathupur (Sonepat) (Haryana)	HR/1168	1-3-90 to 28-2-93	2/5258/93—DLI
4.	M/s. Haryana Vanaspati & General Mills, Kundli Distt. Sonepat	HR/1387	1-10-90 to 30-9-93	2/5261/93—DLI
5.	M/s. E. C. E. Industries Ltd., (Lamp Division) Delhi Road, Sonepat-131001 (Haryana)	HR/1406	1-2-89 to 31-1-92	2/5183/93—DLI
6.	M/s. Hastinapur Metals Pvt. Ltd., G. T. Road, Kundli Distt., Sonepat (Haryana)	HR/1850	1-5-88 to 30-4-91	2/5259/93—DLI
7.	M/s. Golden Rolls Pvt. Ltd., Village Rasoi. P. O. Nathupur (Sonepat) Haryana.	HR/2054	1-3-90 to 28-2-93	2/5262/93—DLI
8.	M/s. Medivenk Laboratories Limited Rajdhani Forms (Poultry Division) Plot No. 416, Sector 14, Sonepat, (Haryana)	HR/3371	1-4-90 to 31-3-93	2/5263/93—DLI
9.	Ambalika Metals & Chemicals, A-4, Industrial Estate, Sonepat.	HR/3814	1-4-89 to 31-3-92	2/5265/93—DLI
10.	M/s. Hard Core (India) 105-106, Sector 21, Industrial Area, Bhiwani	HR/5360	1-5-92 to 30-4-95	2/5266/93—DLI
11.	M/s. H. S. Strips Pvt. Ltd., 107, Industrial Area, Bhiwani	HR/6383	1-5-92 to 30-4-95	2/5267/93—DLI
12.	M/s. Gurera Gas Cylinders, Plot No. 133, Sector-24, Faridabad	HR/10114	1-9-92 to 28-8-95	2/5268/93—DLI
13.	M/s. Toyo Springs Pvt. Ltd., 20th Mile, G. T. Road, Rai Distt, Sonepat, Haryana-131029.	HR/3767	1-12-88 to 30-11-91	2/5264/93—DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt.I/1138.—WHEREAS M/s Sri Ram Handa Power Equipment Ltd., Village & Post Office Bhigwara, Via-Kicheha, Nainital (UP 14060) (including its 13 branches). have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. SOM, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more faourable to such employees that the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule-I annexed hereto, I, B. N. SOM, hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under para 28(7) of the said scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Kanpur from the operation of the said scheme for and upto a period of 3 years from 25-1-90 to 24-1-93.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, wtihin 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group [illegible]nce Scheme, including maintenance of accounts, sub[illegible]sion of returns, payment of insurance premia, transfer [illegible] accounts, payment of inspection charges etc, shall be borne [illegible] the employer,

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employee' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary Premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respects.

B. N. SOM,
Central Provident Fund Commissioner

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 7th March 1994

UT/DBDM/1704A/SPD78/93-94.—The Provisions of the Growing Corpus Growing Income Scheme 1994 made under Section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 22nd December, 1993 and the amended in the Executive Committee Meeting held on 22nd December 1993 are published herebelow.

S. K. DASGUPTA,
Joint General Manager
Business Development & Marketing

GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME—1994 (GCGI 94)

In exercise of the powers conferred by Section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963) the Board of the Unit Trust of India hereby makes the following Unit Scheme.

I. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

This scheme shall be called the Growing Corpus Growing Income Scheme—1994 (GCGI—94) and shall come into force on such date as may be decided by Chairman.

II. DEFINITIONS:

In this Scheme unless the context otherwise requires—

(a) The 'Act' means the Unit Trust of India Act, 1963.

(b) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that the application is in order, accepts the same.

(c) 'Applicant' means a person having application for the units under the scheme.

(d) 'Application' means the form of application prescribed for offer of units for all applicants and containing the terms and conditions for the purpose of unit subscription to the scheme for the investing public.

(e) 'Allotment' means allotment of units against a valid application in a manner determined by the Trust for the purpose.

(f) "eligible institution" means an eligible trust as defined under the Unit Trust of India General Regulations 1964 and includes Private Trusts created by an instrument in writing and being irrevocable or a Charitable or Religious Trust or endowment or registered society which is administered, controlled or supervised by or under the provisions of a Central or State enactment which is for the time being in force, or registered cooperative society.

(g) 'Growing Corpus Growing Income Scheme' means units issued under Growing Corpus Growing Income Scheme—1994.

(h) 'Issue' means the total number of units offered and issued under the scheme for subscription under relevant application form as stated in (d) above.

(i) 'Listed' means the listing of units for the purpose of trading in a recognised Stock Exchange which is for the time being recognised under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956).

(j) 'Number of units in issue' means the aggregate of the number of units sold and outstanding after the issue is closed.

(k) 'Offer of Units' means the full offer for sale of units made by the Trust under offer documents to investors to constitute the capital under the Scheme.

(l) 'Person holding units or unitholder' means a person who holds units for the time being and includes an eligible institution as defined above.

(m) 'Registrars' means a person appointed to act as the Registrar from time to time under the scheme if appointed as such.

(n) 'Regulations' means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(o) 'Trading' means the dealing in by buying or selling units through any of the recognised Stock Exchange after the first allotment of units.

(p) 'Unit means one undivided share of the face value of Rupees Ten.

(q) 'Unit Capital' means the aggregate of the face value of units issued and allotted under the Scheme.

(r) Words not defined in this Scheme but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them by the Act.

(s) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

III. PRINCIPAL OBJECTIVE:

This Scheme is made with a view to providing an opportunity for common investors to participate and share growth of the corporate securities market and also get a regular return by way of periodic dividend. 60% of all capital appreciation that is booked will go towards investment in fixed income securities. No more than 40% will be invested in equity & equity related instruments which will be added to the principal by way of bonus units after contributing towards income payment whenever necessary. The issue of bonus units will be in multiples of 10 units without any fractions.

DEVELOPMENT RESERVE FUND CONTRIBUTION

0.25% of the funds mobilised under the scheme may be set aside as contribution to UTI's DRF in the first year, and at the rate of 0.05% of NAV per annum thereafter.

IV. CATEGORIES OF INVESTORS

Application for units may be made by the following classes of persons:—

1. Resident Indians, being adult individuals either singly or jointly upto three individuals on joint basis.

2. Father/Mother/Lawful Guardian on behalf of minor.

3. Hindu Undivided families.

4. Eligible Institution as defined in Clause II(f).

V. SALE OF UNITS:

(a) Units under this Scheme are offered to and open for subscription by the categories of investors specified in Clause IV above.

(b) The face value of units will be Rs. 10/-. Applications shall only be made in the form prescribed in multiples of hundred with a minimum of 500 and thereafter in multiples of 100 units. There is no maximum limit of investment.

(c) Duly completed forms of application accompanied by the payment for the units applied for shall be tendered at any of the offices of the Trust or at any authorised Collection Centre during the period the offer for sale is open.

Incomplete Application liable for rejection.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without any interest whatsoever after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(d) Offer for sale of units shall be open for a period as may be decided by the Chairman. It may also be offered every year for a period of three months or as may be decided by UTI. UTI shall have a right to suspend/extend the sale of units under the scheme at any time by giving 7 days' prior notice in leading newspapers or in such other manner as may be decided.

(e) The Trust shall not be obliged under any circumstances to offer for sale units after the offer period or if at its discretion the issue is closed earlier. Applications received after the close of business hours on the date of closure of issue or subsequently at any of the authorised collection centres shall be deemed invalid and rejected.

VI. INVESTMENT OBJECTIVE:

(a) It shall be the endeavour of the Scheme to invest the capital after defraying all initial, preoperative and operational expenses in securities issued by companies listed on the recognised Stock Exchanges in India. Investments upto 40% in equity and equity related instruments and balance in Debt Instruments and Money Market Instruments.

(b) It shall be within the discretion of the Trust to decide about the composition of portfolio, subject to restrictions o investments and making income distribution having re to the growth of the Scheme, the interest of investors a other relevant factors.

VII. APPLICATION AND TRANSFER FORMS SIGNED BY ATTORNEYS :

If an application or transfer form is signed by a person holding a valid Power of Attorney, the original Power of Attorney or a certified copy duly notarised thereof should be submitted with the application or the transfer form, as the case may be, unless the Power of Attorney has already been registered in the books maintained by the Registrars/Trust at the relative offices of the Trust.

VIII. REGISTER OF UNITHOLDERS :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :

(a) A register of unitholders shall be caused to be maintained by the Trust in such form and manner as may be decided by the Trust. The register shall inter alia contain the following particulars :

(i) The names and addresses of the unitholders.

(ii) The distinctive number of unit certficate or certificates and the number of units held by every such holder; and

(iii) The date from which units are held in the name of the holder.

(b) Where a Unit Certificate is held in the name of two or three persons such persons shall be deemed to hold units jointly.

(i) It shall be deemed that the first of such persons is the holder of such units and transfers or other dealings, if any, shall be competent only by the first of such persons.

(ii) All payments to the first holder and a receipt thereof shall be a valid discharge to the Trust.

(iii) The Scheme shall for all practical purposes correspond with the first holder and all communications with the first holder shall be deemd to be a valid discharge by the Trust of its obligations.

(iv) In the case of the death of a joint holder, survivor/(s) shall be the only person recognised by the Trust as having any title to or interest in the units represented by a certificate.

Provided that the registration of units in the name of any person shall not affect or prejudice any right which any other person may have against a survivor/(s) in respect of the said units

(c) Any change in the name and address of a unitholder shall be notified to the Registrars if any. The Registrars/Trust on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as may reasonably be required shall alter the register accordingly.

(d) Except when the register is closed as hereinafter provided, the register shall, during the business hours subject to such reasonable restrictions the Registrars/Trust may impose, but not less than two hours on each business day, shall be kept open for inspection by any unitholder.

(e) The register will be closed for such time and for such periods as the Trust may determine, so however, the register shall not remain closed for more than 45 days in any one year. In the event of a closure of the register for a period or periods, notice shall be given by advertisements in not less than two leading English and one vernacular newspapers.

(f) The Registrars/Trust shall not receive notice of any Trust expressed or implied, constructive nor shall they be bound to enter any such notice in respect of any unit in the register except when so directed by a Court of Competent Jurisdiction.

(g) In the absence of a valid nomination by a single unitholder, the Executors or Administrators or a holder of Succession Certificate issued under the Indian Succession Act, 1925, or a legal representative shall be the only persons who may be recognised by the Registrar/Trust as having any title to the units and shall offer for repurchase at such prices as may be decided by the Trust

(h) A person becoming entitled to units in consequence of the death, insolvency or winding up of a sole holder or the survivor/(s) of joint holders, upon producing evidence to the satisfaction of the Registrar/Trust shall be registered as the holder of the units or permitted to transfer or repurchase the units as per the relevant provisions, which shall always be in multiples of hundred and after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(i) Notwithstanding anything contained in Clause (g) above if a unitholder pledges the certificate with a Scheduled Bank the interest of the pledgee shall be recorded in the register. If by enforcing the pledge the Scheduled Bank seeks to transfer the units and have it registered in its name, then the Registrar/Trust shall comply with the request and the register shall contain such particulars that the bank holds the certificate in such form and manner as may be decided by the Trust

IX. TRANSFER OF UNITS SUBSEQUENT TO ISSUE :

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable/pledgeable/assignable from the date of listing of the units at the recognised Stock Exchanges or from such other date as may be decided by the Trust. Transfer is subject to the following terms :

(a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause IV of the provisions of the scheme.

The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unitholder under the scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) All transfers shall be made using the share transfer form, as prescribed by the Stock Exchanges and shall be for a minimum of five hundred units and in multiples of hundred thereafter.

(d) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(e) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars/Trust.

(f) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holders by the Registrars/Trust.

(g) The Registrars/Trust may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(h) The Registrars/Trust may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(i) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate(s) may be retained by the Registrars/Trust.

(j) The Registrars/Trust recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or certificates.

(k) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars/Trust shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(l) As soon as the Scheme is listed with the major stock exchanges, the transfer/transmission formalities shall be undertaken in accordance with the provisions of listing agreement and guidelines issued in this regard by stock exchanges and as stated in the scheme.

X. NOMINATION BY UNITHOLDERS :

(a) Unitholders may make, substitute or cancel a nomination to the extent provided in the Regulations. In case the Scheme is listed on the Stock Exchanges, the original nominations so made will cease to be valid from the date the Certificate is traded in the relative recognised Stock Exchange/s and any holder acquiring units under the Scheme from the Stock Market will not have any right of nomination.

(b) The Registrars/Trust subject to such directions and provisions of the Scheme may from time to time issue, shall accept a nomination in the forms prescribed and register the same. They may also subject to such directions permit the variation, modification or changes in such nominations and have them registered.

XI. PUBLICATIONS OF ACCOUNTS :

The Trust shall, as soon as may be after the 30th June each year cause to be published in such manner as the Fund may decide accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending out of that date. The Trust shall on a request in writing from a unitholder, furnish with a copy of the accounts so published.

XII. PERIOD OF HOLDING :

The scheme will be for a period of ten years from the date of allotment or may be converted as a Open ended scheme subject to the approval by the Executive Committee/ Board of Trustees. The investors may be given an option to switch over to another scheme launched or operative at that time.

XIII. REPURCHASE OF UNITS :

1. Repurchase may be allowed any time after two years from the date of allotment at NAV after deduction of administrative expenses which will not exceed 5% of NAV.

2. The units redeemed or repurchased by the Growing Corpus Growing Income Scheme may be reissued at such price or prices, for such period or periods and on such terms and conditions as the Board may decide in this behalf.

3. In no event the redemption price shall be fixed by the Trust at a price less than that arrived by dividing the value of the assets pertaining to the Growing Corpus Growing Income Scheme reduced by the liability at the close of business on the day the price is determined by the number of units outstanding and deducting therefrom such sums as are adequate to cover brokerage, commission, taxes, stamp duties, and other charges in relation to realisation of investments adding thereto all other expenses and adjusting the price downwards by not more than 5% per unit. The price so determined shall be based on the material available with the Trust.

XIV. DISTRIBUTION OF INCOME TO UNITHOLDERS :

(a) The dividend may be paid out of net income from the second year onwards on a quarterly basis.

The Trust may forward the Income Distribution Warrants to such of the members as may be applicable in such manner and for such periods and after compliance of requsite operational and procedural formalities as the Trust may determine. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of the warrant not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(b) In case the unitholder has transferred the units prior to the declaration of income distribution and the transfer has not taken effect, the tansferee shall not be entitled to the income distibution subsequently unless the transferee has lodged the transfer documents with the Registrars/Trust 30 days before the closure of the registers preceding the declaration of the income Distribution.

(c) The income distributed shall be paid by the Growing Corpus Growing Income Scheme by cheque or warrant drawn on its bankers with appropriate payment facilities.

(d) It shall be lawful for a unitholder to receive any income distribution. declare by the Scheme in respect of units of which he is a holder notwithstanding that the units have already been transferred by him for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within 30 days of the date on which his income became due, lodged the certificate and all other documents relating to the transfer.

(dd) In the event of repurchase which shall always be in full, the unit holder upon non-surrender of unpaid warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the unit holder on the dates of maturity and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(e) In the event of the death of the unit holder if the sole nominee is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the sole nominee shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary rectification. However, such a nominee desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period its takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased unit holder to those in favour of the newly admitted unit holders.

(f) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clause, the Trust reserves its right to make the Income Distributon on a monthly, half yearly or annual basis as the case may be, should the reasons of expediency cost, interest of unit holders and other circumstances make it necessary for the Trust to do so. In such an event the Trust shall notify the unitholders by publication in two leading English language daily newspapers by giving a perior notice of 21 days. No unitholder shall have a right to claim Income Distribution on quarterly basis after the Trust makes a notification as above.

XV. VALUATION OF ASSETS PERTAINING TO THE SCHEME :

(a) Listed securities will be valued at closing prices on the Stock Exchange nearest to the principal place of business of the company whose securities are being valued and if such securities are listed on more than one Stock Exchange, then the Scheme may adopt the closing prices of the securities in the Stock Exchange nearest to the principal place of business of the company as being the fair value. If the securities have not been traded for more than six months prior to the date of valuation, then th Trust may value the security in the manner c dered by it to be fair in consultation with Auditors.

'ed equity shares i.e. (the shares listed with-
d of one year preceding the date of valu-
1 be invariably valued at cost. A reduc-
crease in the value of these equity shares
ed on the facts and circumstances which
ion of the Trust appear to have a bearing
such upward or downward valuation.

arket instruments and other fixed income
)struments including debentures which are
rtible will be valued on the basis of cur-
and maturity value of comparable instru-

/alue determined as above shall be added the
accrued in the case of fixed income securities
:ntures and the dividend declared but not
i in respect of equity shares.

ther assets not capable of being valued as afore-
shall be valued at their book value.

ICATION OF THE NET ASSET VALUE :

The Net Asset Value of the Growing Corpus Growing Income Scheme shall be calculated at Bombay in accordance wtih the provisions of the Scheme at the close of business on each Thursday (or the previous working day if it is a holiday) after deducting from the said aggregate value the liabilities incurred for the said Growing Corpus Growing Income Scheme and other expenses on a proportionate basis which in the opinion of the Trust is sufficient to cover the stamp duties, taxes and other expenses payable on a deemed realisation of the investment. The NAV may be announced every week from the date repurchases are allowed by the Trust and shall be published in the leading daily newspapers in India.

Intimation will also be sent simultaneously to all the Stock Exchanges in India of the said value in a manner most suitable. Valuation so published shall be valid till the next publication of value.

(b) In the event of unforeseen circumstances, if the valuation is not so published for a given week or for one or more such weeks, the Trust shall not be deemed to have violated any of the terms of offer of units by it.

(c) Trading of units over Stock Exchanges shall always be deemed between intending buyers and sellers for genuine investment purposes and the Scheme shall have no control over such tradings.

XVII. TRADING OF UNITS :

(a) If considered proper by the Trust the units will be listed on major Stock Exchanges at such place/s as may be decided by the Trust after two years from the date of allotment. The Trust will announce the net asset value determined on Thursday or the previous working day if it is a holiday and intimate the value to the Stock Exchanges for the purpose of being quoted.

(b) A unitholder desirous of liquidating his holdings may trade the units through any of the Stock Exchanges on which units are listed.

(c) The Trust will not either directly or in any manner indicate the price or prices at which the units could brought or sold through the market. However, the last prices at which units were bought or sold at the Stock Exchanges in a trading will be published in leading daily newspapers.

(d) The buyer of units through the market either by himself or through a recognised broker should submit the transfer deed and the relative unit certificates to the Registrars/Trust of the Scheme giving effect to the transfer if found in order.

(e) The buying or selling of units through the market at whatever price shall be at the risk of a unitholder or a prospective unitholder. However, for the purpose of determining the stamp duty to be payable on transfer of units the average of the high and low prices that ruled on the date prior to the date of transfer shall be the basis for the charge.

[1][XVII(A). BUY BACK OF UNITS :

In case the units issued under the Scheme are listed on Stock Exchanges, notwithstanding anything to the contrary in the provisions of the Scheme :

(a) The Trust may buy back units under the Scheme from the market at the ruling price whenever such units are quoted at 10% or more below its NAV.

(b) The Trust may buy back upto 25% of the unit capital issued under the Scheme in any one financial year as on overall limit. The units which are bought back will be redeemed.

Explanation :

(i) "Market" means any of the recognised Stock Exchanges on which the units under the Scheme are listed.

(ii) "Ruling Price" means the market price of units on the recognised Stock Exchanges ruling at the time units are bought back by the Trust.]

XVIII. RESTRICTIONS ON INVESTMENT :

(a) Investment by the Trust of its investible funds under the Scheme in the securities issued by any one company shall not exceed 10% of the total funds or 15% of the securities issued and outstanding of such company whichever is less.

(b) Investment by the Trust of its investible funds under the Scheme in the securities of any new company shall not exceed 10% of the securities issued by such company and the aggregate of all such investments shall not exceed 30% of the investible funds.

Explanation :

A new company means a company whose shares have been listed on any Stock Exchange first within one year prior to investment in the shares by the fund.

(c) The Trust may for operational convenience or to seek changes in opportunities keep invested at any time not exceeding 20% of the total funds in any short term money market instrument, convertible or non-convertible debentures, bank deposits, bills rediscounted or similar other avenues.

Provided that till the Trust fully employs the funds of the scheme in securities, it may keep the funds not so employed invested in such securities as may be considered expedient including those referred to in Clause (c) above.

(d) The restrictions on investment prescribed shall be applied with reference to circumstances at the time the investments are made and shall not be deemed to have been exceeded, notwithstanding that, by reason of fluctuation in the market price or investments, or by reason of issue of bonus shares or right shares by the company in whose securities investments have been made, the limit is in fact exceeded.

XIX. FORM OF UNIT CERTIFICATE :

Unit Certificates shall be in Form A annexed hereto or in such form as may be approved by the Trust for smooth operation of the scheme. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder. Certificate will be issued in marketable lot of 100 Units upto maximum number of 20 Certificates (i.e. Rs. 20,000/-). For any investment beyond Rs. 20,000/- one consolidated Certificate 21st Certificate will be issued (i.e. more than 2000 Units). This consolidated Certificate will be split, once free of cost, on request from investor and thereafter the split may be allowed on payment of charges as may be decided by the Trust.

1. Inserted on 22-12-93.

XX. MANNER OF PREPARATION OF UNIT CERTIFICATE :

The Unit Certificates may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon, may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Trust. Provided further that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate the Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XXI. TRUST NOT TO BE RECOGNISED REGARDING UNIT CERTIFICATES :

The person who is registered as the unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such Unit Certificate and the Units which it represents; and the Trust may recognise such unitholder as the absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take notice of the execution of any trust or save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any Unit Certificate or the Units thereby represented.

XXII. EXCHANGE OF UNIT CERTIFICATE AND PROCEDURE WHEN THE CERTIFICATE IS MUTILATED, DEFACED, LOST ETC. :

(1) Subject to the provisions of this scheme, every unitholder shall entitled to exchange any or all of his Unit Certificate for one or more Unit Certificates in marketable lots, representing the same aggregate number of Units. While applying for such exchange, the unitholder shall surrender to the Trust the Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all monies (if any payable, thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates.

(2) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn or defaced, the Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or worn or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Certificate in lieu thereof.

No such new Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) Furnished to the Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement loss, theft or destruction of the original Unit Certificate.

(ii) Paid all expenses in connection with the investigation of the facts.

(iii) In case of mutilation or wearing out or defacement produced and surrendered to the Trust and mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) Furnished to the Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(3) Before issuing any Certificate under the provisions of this clause, the Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee One per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges or taxes including postal registration charges able in connection with the issue and de ficate. Provided that no fee, stamp duty tration charges shall be payable in respect Unit Certificate in the following cases, vi

(i) When a Unit Certificate issued an applicant or issued under c transferee is tendered for the f division,

(ii) When consolidation of Unit Certif by the Trust and such a sugge the unitholder.

XXIII. SCHEME TO BE BINDING ON UN

The terms of this Scheme including any thereof made from time to time (provided such do not vary the basic character and the pur Scheme seeks to achieve) shall be binding on ea and any person or persons claiming through or as if he/they had expressly agreed that they s binding.

XXIV. COPY OF SCHEME TO BE MADE AVAIL

A copy of this scheme incorporating all amendi thereto shall be made available for inspection at the o of the Registrars of the Scheme at all times during its b ness hours and may be supplied upon payment of Rs. 5 to a unitholder.

XXV. ADDITIONS AND AMENDMENTS TO SCHEME :

The Board may from time to time add to or otherwise amend or alter this Scheme and any amendment or alteration thereof will be notified in the Official Gazette.

XXVI. POWERS TO CONSTRUE PROVISIONS :

Should any doubt arise as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme, only Chairman, and if UTI has no Chairan, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme in so far as such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be final and conclusive.

XXVII. RELAXATION/VARIATION/MODIFICATION OF PROVISIONS

Only Chairman, and if UTI has no Chairman, the Executive Trustee of the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and easy operation of the Scheme relax, vary or modify any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder or class of unitholders upon such conditions as may be deemed expedient.

UNIT TRUST OF INDIA

(Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963)
GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME-1994

THIS IS TO CERTIFY that the person(s) named in this Certificate is/are the Registered Holder(s) of the within-mentioned units each of the face value of Rupees ten subject to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 63), the regulations framed thereunder and the GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME-1994.

Reg. Folio No. Unit Certificate No.
Name(s) of Holder(s)
No. of units
Distinctive No(s).

Given on this day of 1994
For UNIT TRUST OF INDIA
EXECUTIVE TRUSTEE CHAIRMAN

Place :

MEMORANDUM OF TRANSFER OF UNITS UNDER GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME-1994 MENTIONED OVERLEAF

Date	Transfer No.	Register Folio	Name(s) of Transferee(s)	Initials	Authorised Signatory

FORM OF REPURCHASE OF ALL UNITS UNDER GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME-1994.

To Date.....

The Unit Trust of India

I/We..... offer to the Trust for repurchase at the repurchase price on the acceptance date all units under GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME-1994 comprised in the certificate. The repurchase proceeds may be paid to me/us by cheque/bank draft at my/our cost.

Signature(s) of holder(s)

1.
2.
3.

Signature of Witness

Name :

Occupation :

Address :

Acceptance Date

All correspondence regarding GROWING CORPUS GROWING INCOME SCHEME-1994 may be addressed to the Registrars whose address is mentioned below :

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700 016, the 28th March 1994

No. CWR/2/90—Whereas the draft Regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959 were published as required by sub-section (3) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), in the Gazette of India Part III Section 4 dated 27 November, 1993 under the order of the Institute of Cost and Works Accountants of India, No. CWR (1)/87 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby before the expiry of 45 days of the date on which copies of the said order as published in the Gazette of India were made available to the public,

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on 9 December, 1993;

And whereas the objections and suggestions received have been considered by the Council;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 39 of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Council with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Cost and Works Accountatnts (Amendment) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountatnts Regulations, 1959 (hereinafter referred to as the said Regulations), —

(a) Regulation 54 shall be renumbered as sub-regulation (1) thereof and after sub-regulation (1) as so renumbered, the following sub-regulation shall be inserted, namely : —

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a fellow shall not be eligible to stand for election as, or for being a member to the Council if,—

(a) he has held office as a member of the Council during the three consecutive terms, whether full or part; *or;*

(b) he is employed by or under the Institute.

Explanation 1—For the purpose of this rule, one term of office of an elected member to the Council shall be the duration of any Council constituted under Section 14 of the Act.

Explanation 2—A fellow who has ceased to hold office as a member of the Council as aforesaid continuously for two consecutive terms shall again be eligible to stand for election to the Council under sub-regulation (1) from the constituency in which his name is included." ;

(b) in Regulation 117, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), a member of a Regional Council shall not be eligible to stand for election as, or for being a member to any Regional Council if,—

(a) he has held office as a member of the Council or any Regional Council during three consecutive terms, whether full or part; *or,*

(b) he is employed by or under the Institute.

Explanation 1—For the purposes of this rule, one term of office of an elected member to the Council shall be the duration of any Council constituted under Section 14 of the Act and one term of office of an elected member to the Regional Council shall be the duration of the Regional Council constituted under Regulation 121 of the said Regulations.

Explanation 2— A member, who has ceased to hold office as a member of the Council or Regional Council as aforesaid stand for election to Regional Council under sub-regulation continuously for two consecutive terms shall be eligible to (1)."

S. R. ACHARYYA
Secretary

Footnote : The Principal Regulations were pulished in the Gaette of India vide No. GSR 611 dated 25 May, 1959.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रण, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1994
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1994